Thursday, 26 August, 1965

# लोक-सभा वाद-विवाद
## का
## संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
## OF
## 3rd
## LOK SABHA DEBATES

[ बारहवां सत्र
Twelfth Session ]

Parliament Library
1-6-92
26-12-83

[ खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 1—10 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 8—गुरुवार 26 अगस्त, 1965 / 4 भाद्र, 1887 (शक)

*No.* 8—*Thursday August* 26, 1965/ *Bhadra* 4, 1887 (*Saka*)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 209 | विज्ञापनों पर पाबन्दियां | Limitations on Advertisements . | 783-784 |
| 210 | अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये गये ऋण | Advances granted by Scheduled banks . . . . . | 784-786 |
| 211 | दिल्ली में बूस्टर पम्प | Booster Pumps in Delhi . . | 786-788 |
| 212 | सिन्ध जल आयोग | Indus Waters Commission . . | 788-790 |
| 213 | कृषकों को बिजली के कनेक्शन | Electric Connections to Agriculturists | 790-793 |
| 214 | भूमि अर्जन | Acquisition of land . . . | 793-796 |
| 215 | गैर-सरकारी विद्युत्-उपक्रमों का आधुनिकीकरण | Modernisation of Private Electricity Undertakings . . . . . | 796-797 |
| 216 | यमुना-जल का दूषित होना | Pollution of Jamuna Water . . | 798-800 |
| 217 | बाल पक्षघात का टीका | Polio Vaccine . . . . . | 800-801 |
| 218 | महलनबीस समिति का प्रतिवेदन | Mahalanobis Committee Report . | 801-802 |


## प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | | |
|---|---|---|---|
| 219 | भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम | Industrial Credit and Investment Corporation of India . . . | 803 |
| 220 | निम्न तथा मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजनायें | Low and Middle Income Group Housing Schemes . . . . | 803 |
| 221 | पश्चिमी जर्मनी से सहायता में कटौती | Cut in Aid from West Germany . | 804 |
| 222 | बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क का लगाया जाना | Replacement of Sales Tax by Excise Duty . . . . . . | 804 |


*किसी नाम पर अंकित यह+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.



1—21 L. S./65

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*


| ता० प्र० संख्या S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 223 | प्रबन्ध अभिकरणों की अवधि का बढ़ाया जाना | Renewal of Managing Agencies . | 804–805 |
| 224 | ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पीने का पानी | Drinking Water for Rural Areas . | 805 |
| 225 | रुपये का विनिमय मूल्य | Exchange Value of Rupee . | 806 |
| 226 | मंत्रियों के मकानों की मरम्मत | Repairs to Ministers' Houses . | 806 |
| 227 | कम्पनी सेक्रेटरी | Company Secretaries . . . | 806–807 |
| 228 | डालर की सरकारी विनिमय दर | Official Exchange Rate of Dollar . | 807 |
| 229 | परिवार नियोजन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र दल | U.N. Team on Family Planning . | 807 |
| 230 | आयकर की बकाया राशि | Arrears of Income-tax . . . | 807–808 |
| 231 | सरकारी उपक्रमों में उच्चतम पद | Top Posts in Public Undertakings . | 808 |
| 232 | परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति | Committee on Transport Policy and Coordination . . . . . | 809 |
| 233 | ग्रामीण अग्रिम केन्द्र | Rural Pilot Centres . . | 809 |
| 234 | नागपुर के श्रीराम दुर्गा प्रसाद | Sriram Durga Prasad of Nagpur . | 809–810 |
| 235 | परिवहन सर्वेक्षण | Transport Survey . | 810 |
| 236 | जीवन बीमा निगम की प्रीमियम | L.I.C. Premia . . . | 810 |
| 237 | दिल्ली जल परीक्षण प्रयोगशाला | Delhi Water Testing Laboratory . | 811 |
| 238 | शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा | Ceiling on Urban Property . . | 811 |
| **अता० प्र० संख्या** U. Q. Nos. | | | |
| 702 | जापान से नया ऋण | New Credit from Japan . . | 812 |
| 703 | करीवेल्लूर सरकारी अस्पताल | Karivelloore Government Hospital . | 812 |
| 704 | केरल में हैजा | Cholera in Kerala . . . | 813–814 |
| 705 | पानी में 'फ्लूरिन' | Fluorine in Water . . | 814 |
| 706 | पैसा ढालना | Minting of Paisa . . . | 815 |
| 707 | हिन्दी में व्यापार-सूचनायें | Trade Notices in Hindi . . | 815 |
| 708 | फार्म छापना | Printing of forms . . . . | 815 |
| 709 | अन्तर्राष्ट्रीय नर्स परिषद् | International Council of Nurses . | 816 |
| 710 | केरल में परिवार नियोजन योजना | Family Planning Scheme in Kerala | 816-817 |
| 712 | सामुदायिक विकास कार्यक्रम | Community Development Programmes . . . . . | 817 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*


| अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 713 | उत्तर प्रदेश में उच्चतर अनुसन्धान कार्य के लिये चिकित्सा संस्थान | Miedical Institute for Higher Research in U.P. . . . . | 817–818 |
| 714 | केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम | Central Sales Tax Act . | 818 |
| 715 | संतति-निग्रह | Birth Control . . . . . | 818 |
| 716 | पंजाब में परिवार नियोजन केन्द्र | Family Planning Clinics in Punjab | 819 |
| 717 | केरल के लिये तापीय संयन्त्र | Thermal Plant for Kerala . . | 819 |
| 718 | पंजाब के एक मंत्री का दामाद | Punjab Minster's Son-in-law . | 819-820 |
| 719 | जमुना तल से पानी | Water from Jamuna Bed . . | 820–821 |
| 720 | मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड | Madhya Pradesh Electricity Board | 821 |
| 721 | गन्दी बस्तियों को हटाना | Slum Clearance . . | 821–822 |
| 722 | स्वर्ण नियंत्रण आदेश | Gold Control Order . | 822 |
| 723 | विट्ठलभाई पटेल भवन | Vithalbhai Patel House . . | 823 |
| 724 | डाक्टरों के विदेशों में जाने पर प्रतिबन्ध | Ban on Doctors going Abroad | 823 |
| 725 | कच्चे टिंक्चर का विक्रय | Sale of Raw Tincture . | 823 |
| 726 | अस्पतालों के सम्बन्ध में समिति | Committee on Hospitals . | 823–824 |
| 727 | बम्बई में सोने का तस्कर व्यापार | Gold Smuggling in Bombay . | 824 |
| 728 | कोचीन पत्तन के सीमाशुल्क अधिकारी | Customs Authorities at Cochin Port | 824 |
| 729 | नई दिल्ली में सरकारी फ्लैटों पर अनधिकृत कब्जा | Unauthorised occupation of Government Accommodation in New Delhi. . . . . . | 824–825 |
| 730 | उत्तर प्रदेश में भारत सेवक समाज को सहायता | Aid to Bharat Sewak Samaj, Uttar Pradesh . . . . . | 825 |
| 731 | उत्तर प्रदेश में ग्रामोद्योग परियोजना कार्यक्रम | Rural Industries Projects Programme in U.P. . . . . | 825 |
| 732 | उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति उद्योग | Panchayat Samiti Industries in Uttar Pradesh . . . . | 825 |
| 733 | सरयू नदी सिंचाई परियोजना | Saryu River Irrigation Project | 826 |
| 734 | दिल्ली वाटर वर्क्स | Delhi Water Works . | 826 |
| 735 | यूनिट-ट्रस्ट | Unit Trust . . . . . | 826–827 |
| 736 | केरल में फिलेरिया उन्मूलन | Filaria Eradication in Kerala . | 827 |
| 737 | कालीकट के लिये जल-निस्सारण योजना | Drainage Scheme for Calicut . | 827 |
| 738 | कृत्रिम लारिंक्स | Artificial Larynx . . . . | 827–828 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*


| अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 739 | गोबिन्द सागर जलाशय | Gobind Sagar Reservoir . . | 828 |
| 740 | छूत के रोगों की रोकथाम | Prevention of Contagious Diseases . | 828–829 |
| 741 | दिल्ली के गांवों में बिजली की व्यवस्था करना | Rural Electrification in Delhi . | 829 |
| 742 | परिवार नियोजन शल्य चिकित्सा | Family Planning Operations . | 829–830 |
| 743 | पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिकर भत्ता | Compensatory Allowance in Hilly Areas . . . . . . | 830 |
| 744 | भारत तथा पूर्व-पाकिस्तान में से बहने वाली नदियां | Rivers flowing through India and East Pakistan . . . . | 830 |
| 745 | इद्दिकी जल-विद्युत् परियोजना | Idikki Hydro-electric Project | 831 |
| 746 | केरल में तपेदिक के रोगियों को सहायता | Assistance to T.B. Patients in Kerala | 831 |
| 747 | दिल्ली में होटल | Hotels in Delhi . . . | 832 |
| 748 | फरक्का बांध में सीमेंट का स्टाक | Cement Stock at Farakka Barrage. | 832 |
| 749 | इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, दिल्ली में झुग्गियां | Jhuggies in Indraprastha Estate, Delhi . . . . . . | 832–833 |
| 750 | जठर आंत्र-शोथ | Gastro-Enteritis . . . . | 833 |
| 751 | चोरी छिपे लाये गये सामान को चोर बाजार में बेचना | Smuggled Goods sold in Black Market . . . . . | 833–834 |
| 752 | भारत में मकानों की समस्या | Housing Problem in India . | 834 |
| 753 | विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिये मकान | Houses for Students and Teachers | 834 |
| 754 | आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण | Flood Control in Andhra Pradesh | 835 |
| 755 | सिंचाई सुविधाओं का लाभ उठाने वालों पर सुधार कर | Betterment levy on Irrigation Beneficiaries . . . . . . | 835 |
| 756 | औषधियों का आयात | Import of Drugs . . | 835–836 |
| 757 | दिल्ली में मूल्य | Prices in Delhi . . . | 836 |
| 758 | दिल्ली में लू से मृत्यु | Deaths due to heat in Delhi . | 836 |
| 759 | कोपिली बिजली घर | Kopili Power Station . . | 836–837 |
| 760 | मध्य प्रदेश में पानी की समस्या वाले गांवों में पानी की व्यवस्था करना | Water Supply to Problem Villages in M.P. . . . . . . | 837 |
| 761 | थेनियर मुकाम बांध | Thannier-Mukkam Bund | 837 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*


| अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 762 | पहाड़ी क्षेत्रों में आय-कर से छूट | Exemption from Income-Tax in Hilly Areas . . . . | 837–838 |
| 763 | प्रबन्ध अभिकरण | Managing Agencies . . | 838 |
| 764 | आवास मंत्रियों का सम्मेलन स्थगित किया जाना | Postponement of Housing Ministers' Conference . . . . . | 838 |
| 765 | ईंटें बनाने का संयंत्र | Brick Plant in Delhi . . | 838–839 |
| 766 | पंचेत बांध | Panchet Dam | 839 |
| 767 | परिवार नियोजन सम्बन्धी गोष्ठी | Seminar on Family Planning | 839 |
| 768 | दिल्ली में गृह-निर्माण | Housing in Delhi | 840 |
| 770 | सेवानिवृत्ति सम्बन्धी नियम | Retirement Rules . . | 840–841 |
| 771 | परिवार नियोजन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी | International Seminar on Family Planning . . . . . | 841 |
| 772 | गलगण्ड (गोयटर) | Goitre . | 841–843 |
| 773 | परिवार नियोजन सप्ताह | Family Planning Week | 843 |
| 774 | आवास मंत्रियों का सम्मेलन | Housing Minsters' Conference . | 844 |
| 775 | देहातों के लिये पेय जल की व्यवस्था | Drinking Water Supply for Villages | 844 |
| 776 | जन्म-दर | Birth Rate . . . | 844–845 |
| 777 | सिंचाई और जल निस्सारण सम्बन्धी कांग्रेस | Congress on Irrigation and Drainage . . . . . . | 845 |
| 778 | विदेशों में जाने वाले गैर-तकनीकी कर्मचारी | Visit of Non-technical Personnel Abroad . . . . . . | 845 |
| 779 | कैंसर सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन | Report of Committee on Cancer . | 846 |
| 780 | स्टेट-बैंक कर्मचारी संघ | State Bank Employees' Association | 846 |
| 781 | ऊपरी तुंगभद्रा योजना | Upper Tungabhadra Scheme . | 846–847 |
| 782 | भारत में लगाई गई विदेशी पूंजी | Investment of foreign Capital in India . . . . . | 847 |
| 783 | राष्ट्रपति भवन में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी की मृत्यु | Death of C. P. W. D. Worker at Rashtrapati Bhavan . . | 848 |
| 784 | गांधी सागर बांध | Gandhisagar Dam | 848 |
| 785 | कैंसर ी दवा | Cure of Cancer . | 848 |
| 786 | पोषक आहार सम्बन्धी कार्यक्रम | Nutritious Diet Programme . . | 848–849 |
| 787 | गाजीपुर अफीम कारखाना | Ghazipur Opium Factory . | 849 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*


| अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 788 | श्रीनगर में जीवन बीमा निगम भवन | L.I.C. Buildings in Srinagar . | 849 |
| 789 | माल यातायात का सर्वेक्षण | Survey of Goods Traffic . . | 849–850 |
| 790 | नर्सों को ट्रेनिंग देना | Training of Nurses . . | 850 |
| | सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table . . | 850–851 |
| | मंत्री परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव— | Motion of No-Confidence in the Council of Ministers— | |
| | श्री लाल बहादुर शास्त्री | Shri Lal Bahadur Shastri . | 851–855 |
| | श्री मी० रु० मसानी | ,, M. R. Masani . . | 856–857 |
| | कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक | Companies (Second Amendment) Bill | |
| | संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव— | Motion to consider, as reported by Joint Committee— | |
| | श्री अ० ना० विद्यालंकार | Shri A. N. Vidyalankar . . | 858–859 |
| | श्री प्र० चं० बरूआ | ,, P. C. Borooah . . | 859 |
| | श्री अल्वारेस | ,, Alvares . . . | 850–860 |
| | श्री व० बा० गांधी | ,, V. B. Gandhi . . | 860 |
| | श्री गो० ना० दीक्षित | ,, G. N. Dixit . . . | 860–861 |
| | श्री च० का० भट्टाचार्य | ,, C. K. Bhattacharyya . | 861–862 |
| | श्री ति० त० कृष्णमाचारी | ,, T. T. Krishnamachari . | 862–863 |
| | खंड 2 से 60 और खंड 1 | Clauses 2 to 60 and 1 | |
| | संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव— | Motion to pass as amended— | |
| | श्री ति० त० कृष्णमाचारी | Shri T. T. Krishnamachari . | 863–884 |

# लोक-सभा

# LOK SABHA

**गुरुवार, 26 अगस्त, 1965/4 भाद्र, 1887 (शक)**
Thursday, August 26, 1965/Bhadra 4, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.*

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम प्रश्नों को लेंगे। श्री प्र० चं० बरुआ।

**Shri Bagri :** Sir, I rise on a point of order..........

**Mr. Speaker :** On this very question? There can be no point of order in it as he has only called the number of the question.

**Shri Bagri :** My submission is that according to your ruling the name of a member is deleted from a question on his arrest and his name is not included unless he is released from jail. I have been released from jail and I had submitted to you that my name..........

**Mr. Speaker :** Was your name included in this question?

**Shri Bagri :** My name had been deleted from certain questions for yesterday and the day-before-yesterday.......

**Mr. Speaker :** I am talking of today. You may tell me the number of the question in which your name had been clubbed previously and I shall give you an opportunity.

**Shri Bagri :** My name is deleted from there.

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### विज्ञापनों पर पाबन्दियां

+
***209. श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री रा० बरुआ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के कर ढांचे के अन्तर्गत 'विज्ञापनों' पर लगाई गई पाबिन्दयों के प्रश्न पर हाल ही में पुनर्विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू)** : (क) जी हां। किसी कर निर्धारिती द्वारा विज्ञापन पर किये गये खर्च की छूट देने के लिए सीमाओं और शर्तों को निर्धारित करने के प्रश्न पर सरकार ने अब फिर से विचार किया है, जिसके लिए 1964 के वित्त अधिनियम द्वारा आयकर अधिनियम में व्यवस्था की गयी थी।

(ख) किसी कर निर्धारिती द्वारा विज्ञापन आदि पर किये गये खर्च की छूट देने के लिए कुछ सीमाएं तथा शर्तें निर्धारित करने के नियमों का मसविदा तयार कर लिया गया है और उससे प्रभावित होने वाले हितों से सुझाव मांगने के उद्देश्य से उन्हें शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जायगा।

**श्री प्र० चं० बरुआ** : जब कभी भी विज्ञापनों का प्रश्न आता है, श्री ति० त० कृष्णमाचारी का स्मरण हो आता है, जो हमारे देश के एक सर्वोपरि व्यापारी के रूप में, उन वस्तुओं को, जिनका व्यापार उनकी फर्म करती है, विज्ञापनों द्वारा भारत जैसे बड़े देश में, घर घर में पहुंचाने में सफल हुए हैं। अब वित्त मंत्री के रूप में वह विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। इन दोनों परस्पर भिन्न स्थितियों में वह किस प्रकार ताल मेल स्थापित कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यापार अथवा प्रत्येक उत्पाद की विज्ञापन संबंधी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं और प्रत्येक स्थान पर एक जैसी नहीं होती।

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : प्रारूप नियम बनाये जायेंगे और माननीय सदस्य उनपर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। सरकार उन सब सुझावों पर विचार करेगी।

**श्री प्र० चं० बरुआ** : सरकार विज्ञापनों पर होने वाले व्यय को कम करना चाहती है परन्तु लंका रेडियो से प्रसारित वाणिज्यिक विज्ञापनों पर जो व्यय होता है, तथा इस प्रकार जो बहुत बड़ी राशि देश से बाहर जा रही है, उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्या सरकार ऐसे विज्ञापनों पर भी प्रतिबन्ध लगाना तथा विदेशी मुद्रा को बचाना चाहती है ?

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : लंका रेडियो को दिये जाने वाले विज्ञापनों को कम करने के संबंध में कुछ कदम उठाये गये हैं।

**श्री रा० बरुआ** : इस प्रतिबन्ध से राजस्व में कितना लाभ होगा और इस उपाय के परिणामस्वरूप विदेशी कागज के आयात में कितनी बचत होगी ?

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह प्रश्न अभी नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि प्रारूप नियम बनाये जा रहे हैं। संबंधित पक्षों के विचार जानने के पश्चात ही नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकेगा।

**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि समवायों तथा विज्ञापन अभिकरणों की इस बारे में कड़ी प्रतिक्रिया रही है ? क्या जारी किये गये आदेशों पर पुनर्विचार किया जायेगा ?

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यदि नियमों के प्रकाशित किये जाने के पश्चात् ये बातें उठाई जाती हैं, तभी सरकार पक्का निश्चय कर सकेगी।

## अनुसुचित बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

+
*210. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री श्रीनारायण दास :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान तथा चावल की जमानत पर अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने के नियमों में कोई फेरबदल की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां।

(ख) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेश के, जिस रूप में वह इस समय लागू है, उपबन्ध दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4631/65।**]

**Shri Yashpal Singh :** Even after a careful reading of the statement, the position is not clear to me. Is the Hon. Minister in a position to tell whether the price of paddy and rice has been affected as a result of this modification?

**Shri B. R. Bhagat :** Their prices have been affected by reducing advances against paddy and rice. But there are other factors like non-availability of rice and paddy in the market, whose effect would be nullified by the modification.

**Shri Yashpal Singh :** May I know whether any separate arrangements have been made in the case of small scale industries or they would be placed on the same footing as big industries?

**Shri B. R. Bhagat :** Which industries? Mills? The ceiling mentioned in the statement applies to all. There is no question of big or small. However exemption has been given to the food corporation.

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि अनुसूचित बैंकों की कुरीतियों के बारे में गम्भीर शिकायतें मिली थीं कि वे वास्तव में धान तथा चावल की जमानत पर ऋण देते हैं परन्तु उसे किसी अन्य वस्तु की जमानत पर दिये गये ऋण के रूप में दिखाते हैं ? क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

**श्री ब० रा० भगत** : हमें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई विशेष मामला हमारे ध्यान में लाया जायेगा तो उसकी जांच की जायेगी।

**Shri Buta Singh :** So far as the imposition of restrictions on the advances by the scheduled banks is concerned, no differentiation has been made between the mill owners and farmers whereas the farmers are poor and they cannot stock enough foodgrains with them. May I know whether Government are prepared to relax these restrictions a bit in the case of farmers?

**Shri B. R. Bhagat :** It is not a question of farmers and big millowners. These will apply to all traders. If farmers do this trade all these things which apply to mills, will also apply to them. However if the farmers want to give their produce to the food corporation or the warehousing corporation. They will be entitled to exemption.

**श्री रामनाथन चेट्टियार** : चावल तथा धान के अतिरिक्त अन्य किन वाणिज्यिक फसलों पर ये प्रतिबन्ध लगाए गए हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का संबंध केवल धान तथा चावल से ही है।

**श्री भागवत झा आझाद** : यह अनुसूचित बैंक सरकारी आदेशों के अनुसार धान तथा चावल की जमानत पर ऋण नहीं देंगे। परन्तु यदि वे चारे के विरुद्ध ऋण दें तो ऐसे मामलों में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, ताकि इस आदेश का दुरुपयोग न किया जा सके ?

**श्री ब० रा० भगत :** चारे संबंधी स्थिति की जांच की जायेगी ।

**श्री सिंहासन सिंह :** क्या यह अन्य राज्यों में भी लागू होगा और यदि हां, तो कितने राज्यों पर ? अधिक से अधिक कितने धान अथवा चावल के विरुद्ध ऋण दिया जा सकेगा ?

**श्री ब० रा० भगत :** यह उन सभी राज्यों पर लागू होता है जहां चावल पैदा होता है और चावल का व्यापार किया जाता है । वास्तव में यह कार्य मिलों द्वारा किये गये व्यापार तथा भाण्डागार निगम के माध्यम से जहां लाभांश होता है तथा खाद्य निगम के माध्यम से जहां कोई लाभांश नहीं है, किये गये व्यापार के आधार पर किया जाता है ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** सरकार ने अभी बताया है कि व्यापारियों को दिये जाने वाले ऋणों को नियंत्रित करने के लिये वह विनियामक उपाय करती है । क्या सरकार को यह जानकारी है कि अब किसान भी गल्ला जमा करने लगे हैं . . . . .

**श्री रंगा :** किसान कभी जमाखोरी नहीं करते ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** किसान भी जमाखोरी करते हैं और इसका कारण यह है कि, स्वयं रिजर्व बैंक के अनुसार, किसानों को 93 प्रतिशत ऋण ऐसे साधनों से प्राप्त होते हैं जिनपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है । जैसे साहूकार । मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या ऐसी स्थिति में किसान जमाखोरी करने लगा है और क्या सहकारी बैंकों के माध्यम से उन साधनों पर भी इस प्रकार का नियंत्रण रखने का कोई विचार है ?

**श्री कपूर सिंह :** किसानों पर लगाए गये इस आक्षेप का हम विरोध करते हैं ।

**श्री ब० रा० भगत :** जैसा कि माननीय सदस्या को पता है, अनुसूचित बैंकों पर हमारा नियंत्रण है और इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद हम सहकारी क्षेत्र पर भी कुछ नियंत्रण रख सकेंगे । परन्तु किसी निजी साहूकार पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन है ।

**श्री मानसिंह पृ० पटेल :** ये ऋण गोदामों में पड़े हुए माल की जमानत पर दिये जाते हैं । क्या किसानों को उनके खालिहातों अथवा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के लिये सरकार ने कोई उपाय निकाले हैं ?

**श्री ब० रा० भगत :** सहकारी समितियां यह काम करती हैं ।

**दिल्ली में बूस्टर पम्प**

+
*211. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों द्वारा निजी तौर पर लगाये गये बूस्टर पम्प दिल्ली में जल संभरण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ;

(ख) क्या इन पम्पों के प्रयोग के बारे में कोई ऐसे नियम नहीं हैं कि ये नल इस तरह न लगाये जायें कि अन्य व्यक्तियों को पानी न मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) अनधिकृत तौर से लगाये गये बूस्टर पम्प पानी देने की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करते हैं ।

(ख) दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में बूस्टर पम्पों का लगाया जाना दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 225 के अधीन विनियमित किया जाता है । नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में बूस्टर पम्प, नई दिल्ली में स्वच्छ जल वितरण का विनियमन करने वाले उप नियमों के खण्ड 14(बी) के अनुसार लगाये जाते हैं ।

(ग) निगम से यह मालम हुआ है कि अनधिकृत रूप से बूस्टर पम्प लगाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ।

**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार को पता है कि ये बूस्टर पम्प काफी मात्रा तक जल के अभाव के लिये जिम्मेदार है ? यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन बूस्टर पम्पों के लगाये जाने संबंधी विनिमयों को कड़ा करने का है ?

**श्री प० शे० नास्कर** : विनियम बने हुए हैं । कुछ ऐसे नागरिक जिन्हें दूसरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती, अपनी आर्थिक स्थिति का लाभ उठा कर बूस्टर पम्प लगा लेते हैं । दिल्ली नगर निगम ने ऐसे 24 बूस्टर पम्पों का पता लगाया है और इन मामलों में उचित कार्यवाही की गई है । जल संभरण उपक्रम के सभापतिने मुझे सूचित किया है कि एक ऐसा दल है जो ऐसे क्षेत्रों में जाता है और अनधिकृत रूप से लगाये गये बूस्टर पम्पों का पता लगाता है ।

**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार ने इन बूस्टर पम्पों का सर्वेक्षण किया है और यह पता लगाने का प्रयास किया है कि ये बस्टर पम्प क्यों लगाये जाते हैं ? क्या यह सच नहीं है कि ये इसलिये लगाये जाते हैं क्योंकि दबाव कम होने की वजह से पानी ऊपर नहीं पहुंचता ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : यह सच है कि दबाव अधिक करने तथा उन क्षेत्रों में, जहां ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं पहुंचता, ऊपर की मंजिलों में पानी पहुंचाने के लिये बस्टर पम्पों की आवश्यकता होती है । विनियम ये हैं कि घर में एक हौज होना चाहिये और जितने पानी की आवश्यकता हो उसका 40 प्रतिशत जल उसमें जमा किया जाना चाहिये और बूस्टर पम्प का इस्तेमाल इस जल को ऊपर की मंजिल पर पहुंचाने के लिये किया जाना चाहिये । परन्तु कुछ विवेकहीन लोग ऐसा करते हैं कि वे उसे . . . . .

**श्री हरी विष्णु कामत** : मंत्री महोदया उन्हें 'विवेकहीन' के नाम से पुकारती हैं जबकि उपमंत्री ने उन्हें 'सहानुभूतिहीन' कहा है ।

**डा० सुशीला नायर** : मैं उन्हें 'विवेकहीन' ही समझती हूं । ये लोग उन्हें मुख्य लाइन से जोड़ देते हैं जिससे अन्य लोगों को जल की कम सप्लाई होती है । जहां तक सर्वेक्षण का प्रश्न है, यह सरकार का काम नहीं है, अपितु दिल्ली नगर निगम इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करती है ।

**Shri Yashpal Singh :** What should the people do when there is acute scarcity of water. Even Members of Parliament have to go to Railway Station to take a bath because the water supply in South Avenue remains suspended for about 9 to 10 hours in a day. If the Minister is not able to solve the problem it should be transferred to the Ministry of Irrigation and Power.

**Shri Onkar Lal Berwa :** Dirty water is supplied.

**श्री कपूर सिंह** : आप माननीय मंत्री को माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने के लिये बाध्य करें।

**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या उन व्यक्तियों को, जो बूस्टर पम्प लगाना चाहते हैं, हौज बनाने के पश्चात् एसा करने की अनुमति देने के बारे में कोई समुचित योजना बनाई गई है ? क्या यह भी सच है कि कुछ सीमा के उपरान्त सरकार को इसे बन्द करना पड़ेगा और ऐसा करने से पहले उसे जल सम्भरण के लिये अन्य प्रबन्ध करने पड़ेंगे ?

**श्री पू० शे० नास्कर** : बूस्टर पम्प लगाने के बारे में दिल्ली नगर निगम ने कुछ नियम तथा विनियम बनाए हैं । जो कोई नागरिक बूस्टर पम्प लगाना चाहे, उसे इन विनियमों का पालन करना चाहिये और मुझे बताया गया है कि इन्हें लगाने की अनुमति दी जा रही है ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Whether it is a fact that these booster pumps have been installed, because there is not sufficient water in the taps and water is available only for four hours in the morning and its supply remains suspended in the night? What is the reason that the dirty water comes from the taps?

**Dr. Sushila Nayar :** No, Sir. It is not correct.

**श्री स्वैल** : कुछ विवेकहीन नागरिक बूस्टर पम्पों को मुख्य लाइन से जोड़ देते हैं ? यह काम कौन करता है ? क्या यह सच है कि यह काम नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा अथवा उनकी रजामन्दी से किया जाता है ?

**डा० सुशीला नायर** : वे गैरसरकारी व्यक्तियों द्वारा यह काम करवा लेते हैं ।

**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : जो लोग बड़ा हौज नहीं बनवा सकते, उन्हें क्या उपाय सुझाया जाता है ?

**Dr. Sushila Nayar :** The question here is that, in the case of multi-storeyed buildings, where water does not reach the upper storey, booster pump has to be installed to increase the pressure of water. Poor people are not houseowners; therefore the question does not arise.

+ **सिन्ध जल आयोग**

*212. **श्री यशपाल सिंह :** **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री रामेश्वर टांटियां :** **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
**श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री कपूर सिंह :**
**श्री नवल प्रभाकर :** **श्री प्र० के० देव :**
**श्री हेमराज :** **श्री गुलशन :**
**श्री श्रीनारायण दास :** **श्री सोलंकी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21 मई, 1965 को कराची में हुई स्थायी सिन्ध जल आयोग की अट्ठारहवीं बैठक में भाग लेने के लिये जो भारतीय प्रतिनिधि गये थे क्या उन्हें पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने सड़क से लाहौर जाने की अनुमति नहीं दी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : इस विषय पर पाकिस्तान सरकार को लिखा था, किन्तु अभी तक उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

**Shri Yashpal Singh :** Protests are lodged with the Pakistan Government almost daily and in spite of reminders the Pakistan Government have been evading replies. Is there any permanent solution to this problem so that our citizens going to Pakistan are not humiliated like this?

**सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** स्थायी हल यही है कि अगली बार जब भारत में बैठक होगी तब वसा ही रवैया अपनाया जाये। ये बैठकें एक बार पाकिस्तान में, और दूसरी बार भारत में, इसी क्रम में होती रहती हैं।

**Shri Yashpal Singh :** About 17-18 meetings have been held so far. How many such meetings will be held in future and how many times the Indians will be humiliated like this?

**डा० कु० ल० राव :** संधि में यह तय हुआ है कि प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बैठक होनी चाहिये। हल की जाने वाली समस्याओं की संख्या अधिक होने के कारण प्रति वर्ष तीन अथवा चार से अधिक बैठकें करनी पड़ी हैं।

**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या वह बठक हुई अथवा नहीं?

**डा० कु० ल० राव :** बैठक 28 मई तथा 3 जून के बीच हुई।

**श्री दी० चं० शर्मा :** सिन्धु आयोग एक स्थायी संस्था है और यह भारत तथा पाकिस्तान दोनों तक ही सीमित है। यह आयोग कब तक काम करता रहेगा—क्या यह वर्ष 2065 तक काम करता रहेगा अथवा इसकी कालावधि जल्दी ही समाप्त होने वाली है?

**डा० कु० ल० राव :** जब तक हमें पूरा जल उपलब्ध नहीं होगा यह आयोग बना रहेगा, अर्थात् 1973 तक।

**श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या सरकार का विचार आयोग के पाकिस्तानी सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करने का है जैसा पाक अधिकारियों ने आयोग के भारतीय सदस्यों के साथ किया था?

**डा० कु० ल० राव :** जैसा मने पहले बताया यदि पाकिस्तान हमें संतोषजनक उत्तर नहीं देता, तो पाक दल के भारत में आने पर उनके साथ भी वसा ही व्यवहार किया जायेगा।

**श्रीमती सावित्री निगम :** भारतीय दल किन किन विषयों पर चर्चा करने के लिये लाहौर जा रहा था और क्या विचार-विमर्श तथा पत्र व्यवहार के द्वारा उनमें से कोई बात हल की गई है?

**डा० कु० ल० राव :** उस बैठक का मुख्य विषय वार्षिक प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देना था। संधि के अनुसार यह काम 1 जून तक हो जाना चाहिये। चूंकि बैठक होनी थी और प्रतिवेदन को पहली जून तक अन्तिम रूप दिया जाना था इस लिये भारतीय दल को वहां जाना पड़ा।

**Shri Onkar Lal Berwa :** Whether the Indian delegation, which went there had sought any premission from Pakistan? If so, the nature of the reply received?

**डा० कु० ल० राव** : भारतीय दल के पास, जब वह पाकिस्तान के लिये रवाना हुआ, सभी कागजात अर्थात् वीसा तथा पारपत्र आदि थे जिनके आधार पर वह किसी भी मार्ग से यात्रा कर सकता था।

**श्री कपूर सिह** : क्या सड़क द्वारा यात्रा करने की अनुमति न दिये जाने से भारतीय दल को अपना सरकारी कार्य करने में कोई बाधा आई ?

**डा० कु० ल० राव** : इसके परिणामस्वरूप बैठक देर से हुई। बैठक 21 मई को होनी थी परन्तु वास्तव में वह 28 मई को हुई।

**Shri Gulshan :** Whether any international treaty lays down that in the case of maltreatment of delegation of any country by another country, as has been done by Pakistan, the matter would be referred to the International body?

**डा० कु० ल० राव** : बिल्कुल ऐसी ही बात है। यह वास्तव में एक अन्तर्राष्ट्रीय अशिष्टाचार है।

### कृषकों को बिजली के कनेक्शन

*213. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नलकूप चलाने या अन्यथा सिंचाई के प्रयोजनों के लिये किसानों को बिजली के कनेक्शन देने के मामले में प्राथमिकता देने की राज्यों में कोई एकसी नीति नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) लगभग सभी राज्यों में गांवों में बिजली सप्लाई को, और खास कर पम्पों और अन्य कृषि सम्बन्धी बिजली की सप्लाई को पहले से ही प्राथमिकता दी जा रही है और ग्राम विद्युतन पर बल दिया जाता है।

(ख) सिंचाई कूओं को बिजली देने के लिये भारत सरकार ने आगे ही क़ाफी जोर दिया हुआ है।

**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या यह सच है कि बहुत से नलकूप बिजली के कनेक्शन न मिलने के कारण बेकार हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे नलकूपों की गणना की है ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूंगा यदि वह मुझे ऐसे नलकपों की सूची देंगे जिनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला अथवा जो बेकार हैं। जहां बिजली उपलब्ध नहीं है अथवा बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है वहां पर डीजल पम्प उपयोग में लाये जा रहे हैं।

**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या सरकार उन हिदायतों की एक प्रति अथवा उस परामर्श की एक प्रति जिन्हें इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को उसने जारी किया है या दिया है, सभा-पटल पर रखेगी ?

**डा० कु० ल० राव** : मुझे इसमें प्रसन्नता होगी।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या सरकार को विदित है कि बहुत से राज्यों में विशेषकर बिहार में किसानों को बिजली के कनेक्शन न देने के कारण बहुत से नलकूप कार्य नहीं कर रहे हैं ?

**डा० कु० ल० राव** : मैंने सुना है कि बिहार में विशेषरूप से उत्तर बिहार में जहां बिजली की कमी है, बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जाते। परन्तु हमें आशा है कि अगली योजना में ट्रान्समिशन लाइ नों का विकास करके हम बिजली के कनेक्शन दे सकेंगे।

**श्री अ० प्र० शर्मा :** यहां पर किसानों ने नलकू ों पर अपना पसा खच किया है परन्तु ये नलकूप बिजली के कनेक्शन न मिलने के कारण बकार पड़ हैं। दूसरी और देश में खाद्यान्नों की कमी है। उन्हें बिजली के कनेक्शन देने में कितना समय लगेगा ?

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या सरकार को विदित है कि विभिन्न राज्यों में बिजली की दरों में अत्यधिक भिन्नता है और किसानों से ली जाने वाली दरें उद्योगपति ों से ली जाने वाली दरों से कई गुना हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ?

**डा० कु० ल० राव :** बिल्कुल ऐसा है। ये दरें भिन्न हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राज्यों में किसानों से ली जाने वाली दरें उद्योगपतियों से ली जाने वाले दरों से अधिक हैं। हम चाहते हैं कि ये दरें उचित हों। छोटी सिंचाई खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन है। वह मंत्रालय इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि दरें कम की जायें और उनमें समता स्थापित की जाये।

**डा० रानेन सेन :** अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि ये दरें भिन्न-भिन्न हैं जिसके फलस्वरूप किसान कठिनाई उठा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि सरकार ने स्वयं पिछले वर्ष इसका अनुभव किया था। किसानों से ली जाने वाली बिजली की दरों को कम करने के लिए पिछले वर्ष के दौरान सरकार ने कहां तक कार्यवाही की है ?

**डा० कु० ल० राव :** अब तक जो कार्यवाही की गई वह पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और गुजरात के बारे में थो जहां कि दरें बहुत अधिक ऊंची हैं। सरकार ने बताया है कि जो भी प्रत्येक मामला आयगा उस पर विचार किया जायेगा तथा उपदान (सबसिडी) दिया जायगा।

**डा० रानेन सेन :** पश्चिम बंगाल में दर बहुत ऊंची है।

**डा० सरोजिनी महिषी :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छोटी सिंचाई के लिये दिया गया प्रत्येक आलाटमेंट उपयोग में नहीं लाया गया और किसानों को दिये गये पम्प-सेटों में पड़े-पड़े जंग लग रही है, क्या मंत्री महोदय छोटी सिंचाई के लिये विभिन्न राज्यों में उपयोग में लाई गई धन राशि के बारे में तथा किसानों को, विशेष रूप से जोरदार (क्रैश) कार्यक्रम के अन्तर्गत, दिये गये बिजली के कनेक्शनों के बारें में भी एक प्रतिवेदन देंगे ?

**डा० कु० ल० राव :** मैं यह प्रश्न अपने साथी खाद्य तथा कृषि मंत्री को जिनके अधीन छोटी सिंचाई है, दे दूंगा।

**श्रीमती रेणुका राय :** इस तथ्य को ध्यान म रखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बिजली की दरें बहुत ऊंची हैं, क्या उद्योगपतियों के लिये भी दर बढ़ाने के बारे म कोई कदम उठाने का विचार है जिससे दर समान हो सके ?

**डा० कु० ल० राव :** हमारा यही प्रयास रहा है कि किसानों से ली जाने वाली दरें यथासंभव कम से कम हों। इसी उद्देश्य के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

**Shri Bhagwat Jha Azad :** In the background of answers given to supplementary questions may I ask the Minister whether he has made any assessment of the number of tubewells functioning or lying idle in north Bihar or in your Uttar Pradesh? Whether on the basis of that Report of the Committee which is with the Government, you may state to which extent the work is going on according to the priority which you promised to give for tube-wells and the percentage of those agriculturists who should have been supplied water but now they are not getting water?

डा० क० ल० राव : नलकूप का विषय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से संबंधीत है । परन्तु क्योंकि माननीय सदस्य ने बड़ा उपयोगी प्रश्न पूछा है, मैं संबंधित राज्यों से जानकारी मांगूगा और देखूंगा कि क्या कार्यवाही की जा सकती है ।

**Shri Bade :** You have started Thermal Power Stations because agriculturists are not given or cannot be given electric connections even after the completion of Chambal Scheme. May I know the reason for which electricity generated on Thermal Power Stations is not supplied to agriculturists in Madhya Pradesh?

डा० कु० ल० राव : जितनी निधि हमें उपलब्ध है उसके अनुसार यथासंभव ग्रामों में बिजली अधिकाधिक देने का हर प्रयत्न किया जा रहा है । यह आशा की जाती है कि चौथी योजना की अवधि में हम एक लाख से भी आधक गांवों में बिजली दे सकेंगे । गांवों से मेरा तात्पर्य कृषि संबंधी कामों से है ।

श्रीमती आकम्मा देवी : क्या सरकार को विदित है कि ऐसे राज्य भी हैं जहां बिजली तो है परन्तु कूपों म जल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार छोटी सिंचाई योजनाओं की व्यवस्था के लिये इन क्षेत्रों पर उचित ध्यान देगी ?

डा० कु० ल० राव : मुझे यही बात कहनी पड़ेगी । छोटी सिंचाई का मामला खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह यह प्रश्न उस मंत्रालय से पूछें ।

**Shri Sarjoo Pandey :** When the construction work on the Rihand Dam was going on Government gave an assurance that electricity would be supplied to Eastern U. P. at cheap rates. Three years have elapsed since the completion of that dam, but arrangement has not been made so far to supply electricity at cheaper rate. May I know whether Government are contemplating any proposal on this matter?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है एक समिति नियुक्त की गई थी जिसके संयोजक मद्रास के विद्युत् मंत्री श्री वेंकटरामन थे । इस समिति ने गांवों में पूर्ण रूप से बिजली देने के लिये कतिपय सिफारिशें की हैं । इनमें एक सिफारिश यह भी है कि यह काम यथासंभव शीघ्रता से किया जाना चाहिये । इसके लिये उसने कुछ सुझाव दिये है । विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों से इन सुझावों के बारे में बातचीत की जा रही है ।

श्री म० ल० जाधव : क्या सरकार ने कृषि संबंधी पम्पों के लिये उपयोग में लाई गई बिजली का न्यूनतम शुल्क न उगाहने के बारे में निर्णय किया है क ोंकि उन पर काम नहीं चल रहा है ?

डा० कु० ल० राव : इनमें से यह भी एक बात है जिस के बारे में वित्त मंत्रालय से बातचीत चल रही है।

श्री हरिचन्द्र माथुर : दरों के अलावा क्या मंत्री महोदय को यह भी विदित है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एक वर्ष में लगभग 1000 से 1500 गांवों में पूर्ण रूप से बिजली लगाई गई है जबकि राजस्थान में कुल मिलाकर 1000 गांवों में भी पूर्णरूप से बिजली नहीं लगाई गई है ? क्या ऐसे राज्यों को जो पिछड़ गये हैं उत्तेजित करने के लिये सरकार का कोई कार्यक्रम हैं ? इन मामलों में सरकार का ठोस रूप से क्या करने का विचार है ?

डा० कु० ल० राव : मेरे विचार में यह सच है कि राजस्थान में केवल 2 प्रतिशत गांवों में पूर्णरूप से बिजली लगी है जबकि वहां 8 प्रतिशत गांव हैं और दूसरे बहुत से राज्यों में ऐसे गांवों की प्रतिशत संख्या इससे अधिक है । हमारा प्रयत्न यह रहेगा कि यथासंभव अधिक से अधिक गांवों में जो कृषि संबंधी गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णरूप से बिजली लगाई जाये । विशेषरूप से राजस्थान में, चौथी योजना में काफी मात्रा में बिजली लगाई जानी है ।

**श्री हरिचन्द्र माथुर :** ठोस रूप से अब आप क्या कर रहे हैं ?

**डा० कु० ल० राव :** मैं कह सकता हूं कि यदि राजस्थान सरकार द्वारा यह बात अच्छी प्रकार रखी जाये कि संगठित रूप से अधिक बिजली बनाने की वहां सम्भावनायें हैं तो उस पर विचार किया जायेगा ।

**श्री हरिचन्द्र माथुर :** क्या आप मुझे कृपया एक बात स्पष्ट करेंगे ? क्या यह सच है कि 4 करोड़ रुपये के लिये जो इस वर्ष व्यय किये जाने हैं, पहले ही एक मामला भली प्रकार पेश किया गया है और आपने उसका अनुमोदन भी कर दिया है ?

**डा० कु० ल० राव :** मेरा तात्पर्य केवल निरन्तर क्रम से है । माननीय सदस्य को ज्ञात हो कि इस वर्ष वित्त मंत्रालय ने देश भर में बिजली के कनेक्शन अधिक संख्या में देने के लिये 5 करोड़ रुपये दिये हैं और मेरे विचार से इस धनराशि में से राजस्थान का भाग बहुत अधिक है ।

**श्री बूटा सिंह :** क्या मंत्री महोदय सभा को यह बताने की स्थिति में हैं कि क्या तीसरी योजना में गांवों में अधिकाधिक बिजली लगाने के लिए रख गये लक्ष्य प्राप्त हो जायेंगे या नहीं ?

**डा० कु० ल० राव :** मुझे यह बताने में बहुत प्रसन्नता है कि गांवों में बिजली लगाने का काम जितनी व्यवस्था की थी वास्तव में उससे भी अधिक किया गया है ।

**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या सरकार को क्या यह तथ्य मालूम है कि आसाम में किसान बिजली के उपयोग करने का स्वप्न भी नहीं देख सकते ? किसानों तक बिजली पहूंचाने के लिये क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

**डा० कु० ल० राव :** यह पूरी तरह सच है कि आसाम में गांवों तक पहूंचना बहुत कठिन है क्योंकि वहां जगह दूर दूर हैं । मैं केवल यही कह सकता हूं कि आसाम में जितनी बिजली उपलब्ध है वह बढ़ाई जा रही है और यह सम्भव होगा कि बिजली अधिक पैदा करने पर अधिक ट्रान्समिशन लाइनें बढ़ें और अधिक संख्या में गांवों में बिजली लगाई जाये ।

### भूमि अर्जन

+

***214. श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हन्सदा :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री 25 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 159 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक कर्मचारियों सम्बन्धी आवास योजनाओं के लिए भूमि अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र करने के उपायों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : समिति की सिफारिशों का सारांश लोक सभा पटल पर रखा है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4632/65**] इन पर आवास मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में विचार होगा तथा उसके बाद उनकी सिफारिशों के आधार पर आवश्यक कार्यवाई की जायगी ।



2—21 L. S./65

**श्री रामेश्वर टांटिया :** 25 फरवरी को माननीय मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि समिति अपना प्रतिवेदन दो महीनों के अन्दर दे देगी। चूंकि 6 महीने बीत चुके हैं इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि समिति की क्या सिफारिशें हैं।

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** प्रतिवेदन प्राप्त हो चुकी है। जो विवरण मैंने सभा-पटल पर रखा है उसमें मैंने सिफारिशों का सारांश दिया है। इससे पहले कि इन सिफारिशों पर कार्यवाही की जा सके वे मूल निकाय अर्थात आवास मंत्रियों के सम्मेलन को जिसने इस समिति का संयोजन किया था, भेजी जानी हैं। लगभग दो महीनों के अन्दर इस सम्मेलन के होने की सम्भावना है।

**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या केवल बड़े बड़े नगरों पर ही आवास योजनाओं के लिये विचार किया जायेगा अथवा छोटे नगरों पर भी जहां कि कुछ उद्योग स्थापित हैं?

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** प्रतिवेदन भूमि अर्जन तथा प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों के बारे में है। भूमि ऊंचे मूल्य पर ली जाती हैं और उद्योगपतियों को दे दी जाती हैं। समिति की जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर थाकर ने को थी सिफारिशें विवरण में दी गई है; इस समिति ने बहुत उपयोगी सिफारिशें दी हैं।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या यह ठीक नहीं है कि भूमि सुधार सम्बन्धी राज्यों का अनुभव ज्ञात किया जाये? क्या मंत्री महोदय भी अनुभव करते हैं कि इससे प्रभावी रूप में उद्देश्य प्राप्त होगा यदि यह मामला राज्यों पर ही छोड़ दिया जायें?

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** जहां तक हो सकता है मैंने सभा को कई बार स्पष्ट कर दिया है कि तीसरी योजना में आवास के लिये उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई है जितनी दी जानी चाहिये। इसी सभा में कुछ माननीय सदस्यों ने भी इसका हवाला दिया है। भूमि अर्जन, धनराशि का दिक्परिवर्तन, केन्द्रीय तथा राज्य आवास बोर्डों की स्थापना जैसे मामलों के बारे कुछ कदम उठाने का हमारा विचार है। मुझे विश्वास है कि योजना आयोग द्वारा पर्याप्त धनराशि दी गई तो हम इस समस्या को हल कर सकेंगे।

**श्रीमती सावित्री निगम :** दिल्ली तथा अन्य कहीं सीमेन्ट की कमी, और भूमि की कीमतों में अचानक वृद्धि को देखते हुये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** यह स्वीकार करना पड़ेगा कि देश में सीमेन्ट की भारी कमी है। मैंने योजना आयोग को सुझाव दिया है कि आवास का कोटा इस मंत्रालय की मर्जी पर छोड़ना चाहिये जिससे मैं प्रत्येक राज्य के काम को देख सकूं और धनराशि नियत कर सकूं जैसा हमने पुनर्वास मंत्रालय के समय किया। यह प्रस्ताव अभी तक योजना आयोग के पास पड़ा है और मैं उसके लिये कहूंगा।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या सरकार यह जानकारी देने की स्थिति में है कि कितनी भूमि है और सरकार द्वारा अर्जित भूमि का जिसे आवास योजनाओं के लिये ठीक नहीं किया गया है और राज्य सरकार या गैर सरकारी व्यक्तियों को नहीं दी गई है, मूल्यांकन क्या है? क्या मैं उसका मूल्यांकन जान सकता हूं?

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मुझे खेद है; तीसरी योजना में कितना धन नियत किया गया है इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य मुझे इसके लिये सूचना दें तो मैं इस जानकारी को इकट्ठा करूंगा।

**Shri Bhagwat Jha Azad :** Whether in order to bring uniformity in the laws relating to acquisition of land in various states, State Governments have agreed to the suggestion so far made and if agreed to, is any progress being made in this direction?

**Shri Mehr Chand Khanna :** When this conference of State Governments will have taken place, I shall write them. Housing Ministers at the States admitted it during their conference. That is why we set up a Committee of four Ministers including Prof. Thacker. I think that we shall get cooperation of all the states. If the enforcement of new rules which we are framing, are agreed to, I will not face as much difficulty in the land acquisition as I have been facing till now. I shall see to it myself.

**श्रीमती रेणुका राय :** सिफारिश संख्या 2 में कहा गया है कि जब तक कलेक्टर मआवजा देने की आज्ञा न दे साधारणतया उससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पर कब्जा नहीं लेना चाहिये। प्रथम तो मैं यह विशिष्ट रूप से जानना चाहती हूं कि क्या ग्रामीणक्षेत्रों में भूमि का जहां घर बना लिये गये हैं अर्जन कर लिया जाता है और इसके बदल अन्य मकान पहले दिये जायेंगे जिससे औद्योगिक श्रमिक तथा खेतिहर श्रमिक भूमि अर्जन के परिणाम स्वरूप अपने घरों से विस्थापित नहीं होंगे।

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** इस बात पर कि ग्रामिण क्षेत्रों में भूमि अर्जन के मामले बहुत कठिनाई भी होती है आवास मंत्रियों के चंडीगढ़ के सम्मेलन में चर्चा हुई। या तो यह भूमि खेतों की है या उन पर घर बने है और इसीलिये यह समिति इस प्रश्न का अवलोकन करने के लिये नियुक्त की गई और उसने कतिपय सिफारिशें की हैं।

**Shri Onkar Lal Berwa :** What are the reasons for which compensation has not been paid for the land acquired by Military in Rajasthan?

**Shri Mehr Chand Khanna :** The acquisition of land and payment of compensation therefor concern the State Governments. I grant only funds and try to see that the funds are utilized properly.

**Shri Onkar Lal Berwa :** The price has not been paid for acquired land and Military has taken possession of this land.

**डा० रानेन सेन :** क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अत्याधिक भूमि प्राप्त की है परन्तु अब यह भूमि नीलामी करके बेची जा रही है बजाय इसके कि सरकार औद्योगिक आवास तथा श्रमिकों के लिये आवास बनाने का प्रयत्न करे और यदि ऐसा है तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं लगभग 15 दिन पहले कलकत्ते में था। मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि आवास बनाने के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय है। उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। मेरे विचार से संकेत नमक झील की भूमि की ओर है। इसका इस योजना से अर्थात राज्य सरकार की योजना से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से कहा है कि उस योजना में से कुछ भूमि मुझे उपलब्ध करें और उन्होंने कृपा करके इसे स्वीकार कर लिया है।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** I want to know how much we will be able to provide housing for industrial workers during Third Plan. Whether Government also propose to issue orders to the industrialists to provide houses near their industrial sites?

**Shri Mehr Chand Khanna :** This question relates to land. I have many times given statistics regarding thereto and still now I am prepared to do so.

**श्री अ० प्र० शर्मा :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण के लिये विभिन्न राज्यों में दूसरी तथा तीसरी योजना के दौरान बहुत अधिक धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है, क्या सरकार ये धनराशियों दूसरे राज्यों को जो इस सम्बन्ध अधिक अच्छा कार्य कर रहे हैं, देगी ?

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** नियत की गई धनराशियां दो प्रकार की हैं। एक तो जीवन बीमा निगम द्वारा नियत की गई है और धनराशि जोकि राज्य सरकारों को दी जायेगी निर्धारण में कुछ सहायता की है। परन्तु राज्य की योजनाओं के अन्तर्गत नियत धनराशियों का दिक्परिवर्तन करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है।

**श्री अ० प्र० शर्मा :** तब भी जबकि वे इसका उपयोग ही न करें ?

**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं क्या कर सकता हूं ?

**Shri Sarjoo Pandey** : Seeing the statement it appears that according to the suggestions made for acquisition of land the minimum period of 18 months have been given for acquiring land. There is a lot of malpractices prevailing in rural areas for acquiring land. Whether Central Government is suggesting State Governments that a full opportunity for defending themselves is provided to the persons whose land is acquired and whether Central Government has suggested the State Governments for safeguarding their rights?

**Shri Mehr Chand Khanna :** The Rules for acquiring land have been given in clause 4 and 6 of the Land Acquisition Act. Notices are served to the people and they receive compensation. I think that the State Governments are observing all the formalities.

## ग़ैर-सरकारी विद्युत्-उपक्रमों का आधुनिकीकरण

+

*215. **श्री स० चं० सामन्त :**

**श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री 25 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न सं० 1522 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी विद्युत् उपक्रमों के आधुनिकीकरण के प्रश्न पर रिपोर्ट तैयार करने के लिये समिति नियुक्त करने के बारे में अब कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति कब तक नियुक्त की जायेगी;

(ग) इस समिति के निर्देशपद क्या होंगे; और

(घ) समिति अपनी रिपोर्ट कब देगी ?

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाना है।

**विवरण**

बम्बई में 26 दिसम्बर, 1964 को हुई भारत के विद्युत् उपक्रम संघ की गत वार्षिक बैठक में मैंने यह सुझाव दिया था कि ग़ैर-सरकारी सैक्टर में विद्युत् उत्पादन और वितरण की प्रणालियों के आधुनिकीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये वे एक समिति स्थापित कर लें, ताकि इस की रिपोर्ट से समस्या का पूर्ण मूल्यांकन करने में सहायता मिले। बाद में, संघ ने यह सुझाव दिया था कि यह अधिक उचित होगा यदि देश की विद्युत् प्रणालियों के सम्बन्ध में सरकार ही एक ऐसी समिति की स्थापना करे। किन्तु, फिर संघ ने ही इस काम को अपने हाथ में लेने और अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने की इच्छा प्रकट कर दी थी। संघ से प्रार्थना की गई है कि वे यह बताए कि वे अपनी रिपोर्ट कब तक दे सकेंगे।

**Shri Rameshwar Tantia :** There are now big private electricity undertakings, I want to know how their rates are compared to Government electricity rates and whether these undertakings fix their rates in consultation with Government or arbitrarily.

**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री डा० कु० ल० राव) :** इन तीन महत्वपूर्ण नगरों कलकत्ता, बम्बई तथा अहमदाबाद में बडे बड़े ग़ैर सरकारी बिजली उपक्रम हैं। दूसरे क्षेत्रों में ली जाने वाली दरों से इनकी दरें बहुत कम हैं।

**श्री रामेश्वर टांटिया :** सरकारी उपक्रमों द्वारा ली जाने वाली दरों से इनके द्वारा ली जाने वाली बहुत कम दर लेने के क्या कारण हैं ?

**डा० कु० ल० राव :** यह तब हुआ था जब मशीने बहुत सस्ती थीं और इन्हें लगने की लागत बहुत कम पड़ती थी।

**डा० रानेन सेन :** यही तीन नगर हैं जहां बिजली उपक्रम ग़ैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे हैं। क्या मैं जान सकता है कि सरकार के सामने क्या बाधा है जो इन तीन बिजली उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है ?

**कुछ माननीय सदस्य :** क्यों ?

**डा० रानेन सेन :** ...........और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे नगरों में बिजली एककों की लागत नहीं घटायी जा रही है ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सुझाव है।

**श्री भागवत झा आजाद :** मैं माननीय उपमंत्री को उनके भागलपुर के दौरे के समय कही गई बात याद दिलाता हूं कि ये गैर-सरकारी बिजली कम्पनियां न केवल बहुत पुरानी किस्म की मशीनें ही इस्तेमाल कर रही है अपितु बहुत ऊंची दरों पर बिजली दे रही हैं। इन कम्पनियों को सीधे ही हटाने की बजाय सरकार एक समिति क्यों नियुक्त करना चाहती है, जिससे यह मामला कई वर्षों तक लटकता रहेगा और उपभोक्ताओं को हानि होती रहेगी ?

**डा० कु० ल० राव :** यह सच है कि मैंने पहले जिन उपक्रमों का उल्लेख किया था उनके अतिरिक्त इस देश में छोटे छोटे उपक्रम बड़ी संख्या में हैं, जो कि बहुत ही अकुशल हैं। और बहुत महंगी बिजली देते हैं। सरकार का इरादा इन उपक्रमों को धीरे धीरे अपने हाथ में लेने का है, विशेषत: उन उपक्रमों को जो अकूशल हैं।

**श्री भागवत झा आझाद :** आप अपराधियों को कह रहे हैं कि वे इस बात पर अपना निर्णय दें। ऐसा क्यों ?

**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

## यमुना-जल का दूषित होना

*216. **श्री हरी विष्णू कामत :**
**श्री द्वा० ना० तिवारी :**
**श्री विश्वनाथ राय :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 6 मई, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1221 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना-जल के दुषित होने के कारणों की जांच करने की लिये नियुक्त की गई समिति की उपपत्तियों तथा निष्कर्षों पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री यू० शे० नास्कर) :** (क) जी हां ।

(ख) सभी सिफारिशों पर विभिन्न सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है ।

**श्री हरि विष्णु कामत :** यह विचारते हुए कि सितम्बर का महीना बिलकुल समीप आ गया है जब भगवान न करे यह यमुना अपने किनारों से चढ कर जन और धन की भारी हानि कर दे, क्या मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से आश्वासन दे सकते हैं कि दिल्ली और नई दिल्ली में पीने का पानी दूषित नहीं होगा और यहां के लोगों को गन्दा पानी नहीं पीना पड़ेगा ?

**श्री पु० शे० नास्कर :** इसमें राय भिन्न हो सकती है ।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न के पहले भाग का क्या बना, क्या इस बात की कोई आशा है कि दिल्ली और नई दिल्ली को साफ पानी मिलेगा ?

**श्री यू० शे० नास्कर :** कुछ दिन हुए मैं ने इस प्रश्न पर जल सम्भरण तथा गन्दे जल निस्तारण बोर्ड के अध्यक्ष डा० रोशन लाल से बातचीत की थी । उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि पानी के दूषित होने का अभी तक कोई खतरा नहीं है, जैसा कि गत वर्ष था । समिति की सिफारिशों पर तुरन्त कार्यवाही की गई है अर्थात् यह कि नजफगढ़ नाले पर बांध बनाना, बादलों बांध आदि का निर्माण उपयुक्त कार्यवाही की गई है । अभी तक एसी कोई घटना नहीं हुई है ।

**श्री कपूर सिह :** इस सभा के साथ ऐसा हल्का व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? प्रतिदिन हमें अपने घरों में दूषित पानी मिल रहा है और हमें कहा जा रहा है कि पानी के दूषित होने का कोई खतरा नहीं है ।

**श्री हरि विष्णू कामत :** उन्होंने कहा कि कोई खतरा नहीं है । **(अन्तर्बाधा)** ।

**श्री भगवत झा आज़ाद :** श्रीमन्, आप ज्यादा अच्छा जानते हैं कि हमारे घरों में प्रति दिन हमें कितना दूषित पानी दिया जाता है । क्या मंत्री महोदय के लिये ऐसा कहना उचित है ?

**श्री कपूर सिह :** आपको उन्हें कहना चाहिये कि वे इतनी गैर जिम्मेदारी से न बोलें **(अन्तर्बाधाएं)** ।

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशिला नायर)** : मैं माननीय सदस्यों की उत्सुकता और दोष को भली भांति समझती हूं, क्योंकि जलसंभरण संबंधी स्थिति से असुविधा पैदा हुई है..

**श्री हरि विष्णू कामत** : केवल असुविधा ही नहीं, बल्कि बीमारी और मौत भी।

**अध्यक्ष महोदय** : उत्सुकता नहीं, अपितु हमें यहां पर क्रोध और रोष को सहन करना पड़ता है।

**डा० सुशीला नायर** : श्रीमन् मैंने 'रोष' शब्द का भी प्रयोग किया है। जहां तक नलों के पानी की शुद्धता का संबंध है, विदेशी विशेषज्ञों ने जो यहां पर आये हैं और डा० टेलर के प्रतिवेदन में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि .... (**अन्तर्बाधएं**)। क्या मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर सकती हूं कि वे कृपया धैर्य रख कर उत्तर सुनें?

**अध्यक्ष महोदय** : जब एक महिला उत्तर दे रही हो तो माननीय सदस्यों को अधिक धैर्य रखना चाहिये।

**Shri Gulshan** : We want better water and not better reply.

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप नहीं सुनना चाहते तों मैं अगले प्रश्न को लेता हूं। माननीय सदस्यों का ऐसा रवैया नहीं होना चाहिये।

**श्री हरी विष्णु कामत** : हमनें प्रश्न पूछा है और हम उत्तार सूनना चाहतें है।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य धैर्य से नहीं सुन सकते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

**Shri Onkarlal Berwa** : We ask her and she asks Mr. Taylor. We fail to understand this.

**डा० सुशीला नायर** : श्रीमन्, मैं निवेदन कर रही थी कि डा० टेलर ने, जिन्हें हमने सारे मामले को जांच करने के लिये आमन्त्रित किया था, अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से बताया है कि पर्याप्त यमुना नदी का पानी दूषित हो जाता है, फिर भी परिष्करण और क्लोरिनीकरण आदि के पश्चात् नागरिकों को जो पानी दिया जाता है वह अच्छा होता है और दूषित नहीं होता।

मैं यह भी बताना चाहती हूं कि गत वर्ष भी जब कि यमुना नदी के जल के दूषित होने के संबंध में इतनी चर्चा थी, पानी का परिष्करण अच्छा और काफी संतोषजनक था और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि कोई महामारी नहीं हुई और न ही रोग फैले मैं सभा को आश्वासन देती हूं कि हम स्वच्छ और पीने योग्य जल का संभरण करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक पानी की मात्रा आदि अन्य कठिनाइयों का संबंध है, कभी कभी जब नल खोला जाता है तो आरम्भ में कुछ गदला पानी आता है— इन सब बातों की भी जांच की जा रही है और मुझे आशा है कि हम इन कठिनाइयों को भी दूर कर लेंगे।

**श्री हरि विष्णु कामत** : जिस समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन है उसने कई तुरन्त करने वाले और कुछ दीर्घकालीन उपायों का सुझाव दिया है। तुरन्त किये जाने वाले दो उपाय हैं जो जून, 1965 तक पूरे हो जाने चाहियें थे। देढ़ मास से अधिक समय बीत चुका है। क्या वे कार्य पूरे कर चुके हैं। अथवा नहीं? और जल संभरण की योजना संबंधी मास्टर प्लन (वृहद् योजना) की क्या स्थिति है?

**डा० सुशीला नायर** : आप किस सुझाव का उल्लेख कर रहे हैं?

**श्री हरी विष्णू कामत** : क्या उनके सामने सिफारिशें हैं ?

**डा० सुशीला नायर** : जी हां ?

**श्री हरी विष्णू कामत** : एक तो नजफगढ़ नाले के बांये किनारे के बारे में है ।

**डा० सुशीला नायर** : शीघ्र किये जाने वाला कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है ।

**श्री हरी विष्णू कामत** : दूसरी सिफारिश पृष्ठ 4 पर है । वह जून, 1965 तक पूरी हो जानी चाहिये थी ।

**डा० सुशीला नायर** : योजना का नाम बताइये ।

**श्री हरी विष्णू कामत** : बुरारी नाला के स्थायी संगम के पुनर्निमाण का कार्य आदि ।

**डा० सुशीला नायर** : सब सिफारिशों के संबंध में की गई कार्यवाही के संबंध में मेरे पास छ: पृष्ठ का एक विवरण है । यदि आप चाहें तो मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगी ।

**श्री हरी विष्णू कामत** : इसे सभा पटल पर रख दिया जाय ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी यही ठीक समझता हूं ।

**Shri D. N. Tiwary :** The Hon. Minister got a certificate from Dr. Taylor and she is convinced that the water is absolutely pure,but I have seen that as and when there is flood in the river, bulletins are issued containing instructions for the people to boil water before drinking. If the water is not polluted, why instructions are issued for boiling the water?

**Dr. Sushila Nayar :** Sir, such orders are not always issued. Of course, last year there was some doubt that there might be some defect in the water and then it was advised that only boiled water should be taken.

**श्री विश्वनाथ राय** : चूंकि यमुना के पानी में कई वर्षों से गन्दगी आती है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस गन्दगी को पूर्णतया रोकने में क्या मुख्य बाधा है ?

**डा० सुशीला नायर** : नदियों के पानी में गन्दगी हमेशा ही आती है । यमुना का पानी टेम्ज़ नदी के पानी की अपेक्षा, जो लन्दन को पानी देती है, कम गंदा होता है । स्वास्थ्य प्राधिकार इस पानी को साफ करता है और उपभोक्ता को अच्छी हालत में देता है ।

**बाल पक्षाघात का टीका**

+

***217. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** **श्री स० चं० सामन्त :**
**श्रीमती सावित्री निगम :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल पक्षाघात का टीका दिल्ली में बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या इस टीके को वाणिज्यिक आधार पर प्राप्त करने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : जी हां। पोलियो वैक्सीन सरकार इस समय रूस से आयात कर रही है। किन्तु दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दक्षिण भारतीय पास्च्यूर संस्थान् कुनुर में लाइव पोलियो वैक्सीन के उत्पादन की व्यवस्था कर दी गई है।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या बच्चों को बालपक्षाघात के टीके लगाने के लिये कोई आयोजित कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है ? यदि हां, तो टीका लगाने के कार्यक्रम का क्या लक्ष्य है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** इस समय सारे देश में बालकों के संबंध में कोई आयोजित कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि पहले तो अभी बहुत सी अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने हैं और दूसरे अभी दवाई तैयार करने का कार्यक्रम भी पूरा नहीं हुआ है।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या यह सच है कि लोगों को टीका लगवाने के लिये बिहार, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र आदि दूर के स्थानों से दिल्ली आना पड़ता है— मैं यह बात अपने अनुभव से कह रही हूं—— यदि हां, तो क्या इन एककों को विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने का कोई कार्यक्रम है, ताकि लोगों को बालपक्षाघात का टीका लगवाने के लिये लम्बी यात्रा न करनी पड़े ?

**डा० सुशीला नायर :** अब तक हमने बालपक्षाघात के टीके उन क्षेत्रों को दिये हैं, जहां पर महामारी हुई हो अथवा इस रोग से ग्रस्त रोगी अधिक हुए हों। सब को टीका लगाने का कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया गया। दूसरे, स्वास्थ्य प्राधिकारी जो कुछ देते हैं, उसके अतिरिक्त लोग इसे खरीद भी सकते हैं। बम्बई में 'डेक्रूज' नाम का एक सार्थ है। उनके अभिकर्ता भी हैं और उनसे यह खरीदे जा सकते हैं।

**श्रीमती सावित्री निगम :** देश में कब तक इस टीके का उत्पादन होने लगेगा ? क्या यह सच है कि इस आयातित टीके की कमी के कारण पिछले कुछ महीनों में बाल पक्षाघात बहुत बच्चों को हुआ है ?

**डा० सुशीला नायर :** जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, हम आशा करते हैं कि उत्पादन 1966 के आरम्भ में चालू हो जायेगा। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है।

**श्री राम सहाय पाण्डेय :** टीके का सामान्य कार्यक्रम अभी तक आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

**डा० सुशीला नायर :** अभी इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई। उदाहरणार्थ, हम देखते हैं कि ऐसे कई बड़े क्षेत्र हैं, जहां पर बालपक्षाघात बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी एक निश्चित दशा होने पर ही बड़े पैमाने पर बालपक्षाघात के टीके लगाने का कार्यक्रम आरम्भ करने की आवश्यकता होती है। अभी हम उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं।

## महलनवीस समिति का प्रतिवेदन

+

*218. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री हेडा :**
**श्री गोकुलानन्द महन्ती :** **श्री दे० जी० नायक :**
**श्री हेमराज :** **श्री मि० सू० मूर्ति :**
**श्रीमती सावित्री निगम :** **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :**
**श्री स० चं० सामन्त :** **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महलनवीस समिति ने अपने प्रतिवेदन का दूसरा भाग दे दिया है जो प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रहन सहन के स्तरों में हुए परिवर्तनों के बारे में हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसके कब तक दिये जाने की संभावना है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) चूंकि यह सवाल तकनीकी ढंग का है जिसके लिये पेचीदा आंकड़ों की छानबीन की जरूरत है, इसलिए समिति अभी तक अपना काम पूरा नहीं कर पायी है।

(घ) वर्तमान संकेतों के अनुसार, अनुमान है कि अन्तिम रिपोर्ट इस वर्ष की समाप्ति से पहले ही तैयार हो जायेगी ।

**Shri Vishwanath Pandey :** May I know whether the Mahalanabis Committee has submitted any interim report to the Government and if so, the main features thereof?

**Shri B. R. Bhagat :** First part of the Report was received and placed on the Table of the House. It has been published also.

**Shri Vishwanath Pandey :** What is the constitution of the Committee and whether the Government have asked the Committee to submit their Report within a specified time?

**Shri B. R. Bhagat :** The list of the members of the Committee has already been placed on the Table and if permitted I can read the names.

**श्री भागवत झा आजाद :** क्या सरकार को देश के लोगों की यह प्रतिक्रिया मालूम है कि प्रतिवेदन का पहला भाग प्रकाशित होने के बाद से धन और शक्ति केवल कुछ ही लोगों के हाथों में इकट्ठी जमा हो रही है और इसी कारण यह समिति भलेही कार्य तो कर रही है, परन्तु दबाव के कारण अपना प्रतिवेदन नहीं दे रही है और सरकार ने समिति को अपना प्रतिवेदन शीघ्र देने के लिये क्यों नहीं कहा है ?

**श्री ब० रा० भगत :** इस समिति पर कोई दबाव नहीं है। इसके सभी सदस्य प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वास्तव में सरकार यह चाहती है कि प्रतिवेदन यथा शीघ्र प्राप्त हो । .........

**श्री भागवत झा आजाद :** यह क्यों नहीं दिया गया ? यह समिति काफी पहले नियुक्त की गई थी। फिर अभी प्रतिवेदन क्यों नहीं आया ?

**अध्यक्ष महोदय :** आपको उत्तर अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिल सकता। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं और आपको सुनना है।

**श्री भागवत झा आजाद :** वह गलत उत्तर दे रहे हैं।

**श्री ब० रा० भगत :** मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य को कुछ भ्रान्ति हुई है। परन्तु वास्तव में बात यह है कि हम इसके लिये उत्सुक है कि यह प्रतिवेदन यथाशीघ्र मिल जाये। समिति के सभी सदस्य प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ; उनको दबाव में रह कर काम करने की आदत नहीं है। माननीय सदस्य को यह बात मालूम होनी चाहिये। मैं इस बात से पूरी तरह इन्कार करता हूं कि सरकार कुछ दबाव डाल रही है।

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### Industrial Credit and Investment Corporation of India

*219 **Shri Kinder Lal:**
**Shri Vishwa Nath Pandey:**
**Shri Heda:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the World Bank has approved the grant of a loan to the Industrial Credit and Investment Corporation of India;

(b) if so, the total amount and the terms and conditions thereof;

(c) the total amount disbursed as loan to the various industrial units in the country so far; and

(d) the rate of interest which the Industrial Credit and Investment Corporation of India charges from these industrial units?

**The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat)** : (a) Yes, Sir.

(b) The amount of the loan is 50 million. The loan carries interest at 5½ per annum and is repayable over a period of 18 years inclusive of grace period upto February 1, 1968.

(c) No amount has yet been disbursed from this loan. Out of the five loans amounting to $ 90 million already obtained by the Industrial Credit & Investment Corporation of India from the World Bank, a sum of $ 58·92 million has been disbursed upto 31st July, 1965.

(d) The rate of interest charged from the industrial units on the foreign currency loans is 8½% per annum.

### निम्न तथा मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजनायें

*220. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निम्न तथा मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजनाएं तीसरी योजना के लक्ष्यों से बहुत पीछे रह गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख) : जी नहीं, इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत बहुत संतोषजनक प्रगति हुई है। तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत कुल 35.20 करोड़ रुपयों के योजित नियतन में से 27.98 करोड़ रुपये व्यय हुए, जबकि मध्य आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत 22.50 करोड़ रुपयों के नियतन में से 16.81 करोड़ रुपये व्यय हुए। शेष नियतन का योजना के पांचवें वर्ष में पूरी तरह से उपयोग हो जावेगा।

**पश्चिमी जर्मनी से सहायता में कटौती**

***221. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री हेमराज :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सहायता क्लब के सदस्यों में से केवल पश्चिमी जर्मनी ने ही 1965-66 के लिये भारत को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौती की है ; और

(ख) यदि हां, तो कटौती कितनी की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख) : जी, हां। संघीय जर्मन गणराज्य द्वारा 1965-66 के लिए दी जाने वाली सहायता 1964-65 में उसके द्वारा दी गयी सहायता से 4.34 करोड़ रुपया कम है। मालूम हुआ है कि संघीय जर्मन गणराज्य की सरकार के चालू वर्ष के बजट में पूंजीगत सहायता की रकम में कमी किये जाने के कारण ऐसा हुआ है।

**बिक्रि-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना**

***222. श्री हेमराज :**

**श्री अ० प्र० चं० बरुआ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने के लिये अखिल भारतीय बिक्री-कर समिति की मांग को स्वीकार करने के लिये विभिन्न व्यापार संगठनों ने उन से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना मंत्री (श्री० ब० रा० भगत) :** (क) सरकार को इस प्रकार के कुछ तार मिले हैं।

(ख) संविधान के अंतर्गत बिक्री-कर राज्य-विषय है और इसलिये यह राज्य सरकारों का अंतर्भूत अधिकार है। राज्य सरकारें दूसरी किन्ही भी वस्तुओं पर बिक्री-कर हटाकर उत्पादन-शुल्क लगाने की योजना के विस्तार के पक्ष में नहीं हैं। और यदि वे ऐसा करने के लिए सहमत भी हों तो भी बिक्री-कर को पूर्णतः हटाकर उसके स्थान पर उत्पादन-शुल्कों को लगाना संभव नहीं है।

**प्रबन्ध अभिकरणों की अवधि का बढ़ाया जाना**

***223. श्री हरिश्चंद्र माथुर :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 तथा 1965-66 में अब तक समवाय विधि बोर्ड को प्रबन्ध अभिकरणों की अवधि बढ़ाने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) इन्हें किस प्रकार निपटाया गया है और क्या तत्संबन्धी एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) क्या 'गाइड-लाइन्स' और सिद्धान्त बनाये गये ?

**योजना मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रखा है।

**विवरणी**

प्रबन्ध अभिकरणों की अवधि का बढाया जाना

| | | | निबटारे | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | | प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या | मामले जिन में अवधि एक वर्ष से अधिक के लिए न बढ़ाई गई | मामले जिन में अवधि एक वर्ष से अधिक के लिए बढ़ाई गई | अस्वीकृत मामले | मामले जो वापस ले लिए गए या जिन का पीछा न किया गया | अ-निर्णीत |
| 1964-65 | . . | 230 | 89 | 75 | 61 | 4 | 1 |
| 1965-66 | (15-8-65 तक) | 383 | 239 | 114 | 19 | 9 | 2 |

(ग) समवाय विधि सलाहकार आयोग से, समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 411 द्वारा अपेक्षित सलाह लेने के पश्चात्, प्रबन्ध अभिकरण की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी प्रत्येक आवेदन-पत्र पर उसके गुण-दोषों के आधार पर समवाय अधिनियम की धारा 326 के अनुसार समवाय विधि बोर्ड द्वारा विचार किया गया। धारा 326 में दी गई व्यवस्था के अनुसार, उन कम्पनियों के प्रबन्ध अभिकरण के करारों को समाप्त करने के आदेश दिये गये जहां जहां समवाय विधि बोर्ड कथित धारा की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट बातों के कारण उनसे सन्तुष्ट नहीं था। दूसरे मामलों में, बोर्ड ने मुख्यत: लाभों के संतुलन को दृष्टि में रखते हुए अपने विवेक का प्रयोग किया।

**ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पीने का पानी**

*224. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करने की योजनाओं की क्रियान्विति में बहुत कम प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जल की कठिनाई और अभाव वाले उन क्षेत्रों में जिनकी आबादी लगभग 12 करोड़ 50 लाख है और जिसमें से अब तक केवल 10 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए ही सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था की गयी है, ग्राम जल संभरण योजनाओं की क्रियान्विति की प्रगति कुछ धीमी सी रही है, किन्तु लगभग 23 करोड़ ग्रामीण आबादी जो अपेक्षातया सुगम स्थानों में रहते हैं और जहां साधारण कुएं एवं अन्य स्थानीय स्त्रोत उपलब्ध हैं, पीने के पानी की सन्तोषजनक व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

(ख) प्रत्येक राज्य में जल की कठिनाई एवं अभाव वाले क्षेत्रों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के लिए विशेष जांच प्रभागों की स्थापना की जा चुकी है। अधिकांश जांच-प्रभागों ने प्रारम्भिक इंजिनियरी योजनाएं तैयार कर ली हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय और नाली योजनाओं के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की 16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की अपेक्षा चौथी योजना में 195 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया है।

**रुपये का विनिमय मूल्य**

***225. श्री व० बा० गांधी :**
**श्री पु० र० पटेल :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री हेमराज :**
**श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री श्यामलाल सर्राफ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय नकदी की बहुत कमी है ; और

(ख) क्या इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार की रुपये का विनियम मूल्य बनाए रखने की कोई योजना है और यदि हां, तो वह क्या है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) अंतर्राष्ट्रीय नकदी (इंटरनेशनल लिक्विडिटी) के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में सक्रिय रूप से विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

(ख) सरकार इस उद्देश्य से इन विचार-विमर्शों के निकट सम्पर्क में है और इनमें भाग भी ले रही है कि इन का परिणाम देश के लिए अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हो सके ।

**मंत्रियों के मकानों की मरम्मत**

***226. डा० मा० श्री० अणे :**
**श्री गौरी शंकर कक्कड़ :**
**श्री सिद्दय्या :**
**श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :**

क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में दिल्ली में मंत्रियों के निवास स्थानों की मरम्मत तथा उनमें परिवर्तन करने पर वास्तविक व्यय कितना हुआ ;

(ख) उपरोक्त अवधि में मंत्रियों के निवास स्थानों पर फर्नीचर तथा अन्य सामान की व्यवस्था करने पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) उनके रख-रखाव पर बिजली और पानी के व्यय को मिलाकर कितना व्यय हुआ ?

**निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**कम्पनी सेक्रेटरी**

***227. महाराज कुमार विजय आनन्द :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह अनिवार्य करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि सभी सरकारी उपक्रमों में उन अर्हता-प्राप्त कम्पनी सेक्रेटरियों को, जिन्होंने समवाय विधि प्रशासन द्वारा आयोजित सेक्रेटरियल पाठ्यक्रम की परीक्षा पास की है, नियुक्त किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो यह कब लागू होगी ; और

(ग) यदि नही, तो देरी के क्या कारण हैं ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार आशा करती है कि अपने प्रशिक्षण की बदौलत अर्हता-प्राप्त कम्पनी सेक्रेटरी कम्पनियों के कुशल प्रबन्ध में अपना योग दे सकेंगे तथा इससे उनकी सेवाओं की मांग बढ़ जायेगी। इस बात का कम-से-कम इस समय कोई औचित्य नहीं है कि कम्पनियों को ऐसे व्यक्तियों को नौकर रखने के लिये बाध्य किया जाये चाहे उन्हें इनकी सेवाओं की आवश्यकता हो अथवा न हो।

### डालर की सरकारी विनिमय दर

*228. **श्री सं० ब० पाटिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डालर की सरकारी विनिमय दर क्या है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि वर्ष के आरम्भ में डालर की कीमत 7.75 रु० थी और अप्रैल के आरम्भ में 7.80 रु० तथा जून, 1965 के अन्तिम सप्ताह में 8.10 रु० हो गयी ; और

(ग) यदि हां, तो डालर की कीमत बढ़ने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है या की जायेगी ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) सरकारी विनिमय दर के अनुसार एक अमरीकी डालर 4.76190 रुपये के बराबर होता है।

(ख) और (ग) : डालर और रुपयों के बीच विदेशी मुद्रा के सभी अधिकृत लेनदेन ऐसी दर पर किये जाते हैं जो सरकारी विनिमय दर से एक प्रतिशत कम या अधिक नहीं होती। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित दरों का सम्बन्ध सम्भवत: गैर-कानूनी और गुप्त रूप से किये जाने वाले लेन देनों से है। सरकार, विनिमय नियन्त्रण विनियमों को और अधिक कठोरता से लागू करके इन गैर-सरकारी लेन देनों को घटाने की हर कोशिश कर रही है।

### U.N. Team on Family Planning

*229. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Health** be pleased to refer to the reply given to Starred question No. 986 on the 22nd April, 1965 and state:

(a) whether the United Nations Team on Family Planning has submitted its final report; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

**Minister for Health (Dr. Sushila Nayar)** : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

### Arrears of Income-Tax

*230. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred question No. 696 on the 1st April, 1965 and state:

(a) the total amount recovered so far out of the sum of Rs. 277·46 crores representing the arrears of Income-tax as on the 31st March, 1964; and

(b) the reasons for which the balance could not be recovered?

**The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu)** : (a) The arrears have been reduced by Rs. 86·30 crores upto 31-3-65 as a result of collections, adjustments etc.

(b) A substantial portion of the balance of arrears is either irrecoverable or is pending in certificate proceedings, Appeals, Revisions and Double Income tax reliefs, claims etc.

**सरकारी उपक्रमों में उच्चतम पद**

***231. श्री यशपाल सिंह :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**डा० पू० ना० खां :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में उच्चतम पदों को भरने की प्रक्रिया की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी, हां।

(ख) सिफारिशों की मुख्य मुख्य बातें यह हैं :—

(एक) अपने प्रबन्धकीय संसाधनों की व्यवस्था करने में अन्ततोगत्वा सरकारी क्षेत्र को आत्म-निर्भर होना चाहिये परन्तु अन्तरिम अवधि में उपयुक्त व्यक्तियों को पाने के लिये सभी संसाधन जुटाने पड़ेंगे। इस के लिये, उन व्यक्तियों को, जो पहले ही सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(दो) सरकारी क्षेत्र के लिये नियुक्तियां सामान्यतया 4 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये की जानी चाहियें।

(तीन) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का चार भिन्न भिन्न अनुसूचियों में वर्गीकरण करना चाहिये तथा प्रत्येक अनुसूची के मुख्य कार्यपालक के लिये नियत वतनमान होना चाहिये अर्थात :—

(1) अनुसूची 'क' के लिये 3500-125–4000 रुपये
(2) अनुसूची 'ख' के लिये 3000-125-3500 रुपये
(3) अनुसूची 'ग' के लिये 2500-100-3000 रुपये
(4) अनसूची 'घ' के लिये 2000–100–2500 रुपये

(ग) सरकारने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

## परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति

***232. श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री हेमराज :**
**श्री महेश्वर नायक :**
**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
**श्री हेडा :**

क्या **योजना** मंत्री 25 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 157 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति का अन्तिम प्रतिवदन इस बीच प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) से (ग) : समिति का मसौदा प्रतिवदन फिलहाल विचाराधीन है। समिति को आशा है कि आगामी कुछ सप्ताहों में उसका काम पूरा हो जायगा।

## ग्रामीण अग्रिम केन्द्र

***233. श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री 25 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 586 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षत्रों में कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन के लिय अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघकालीन ऋण देने के लिय देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण प्रायोगिक (पायलट) केन्द्रों का जाल बिछाने के भारत के राज्य बैंक के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिय संबंधित प्राधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) से (ग) : इस सम्बन्ध में अभी विचार किया जा रहा है।

## नागपुर के श्रीराम दुर्गा प्रसाद

***234. श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**

क्या **वित्त** मंत्री नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रहाद के मामल के बारे में 8 अप्रैल, 1965 के अ-तारांकित प्रश्न संख्या 2103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री रामेश्वर साहू) :** (क) अभी नहीं, श्रीमन।

(ख) और (ग) : सीमा-शुल्क अपराधों सम्बन्धी जांच-पड़ताल करीब-करीब पूरी हो गई है। और कई 'शो-काज नोटिस' जारी किये जा चुके हैं। आयकर विभाग और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है। एक से अधिक अभिकरणों (एजेन्सी) को बहुत सारे कागज़ों की छानबीन करनी होती है और यही विलम्ब का कारण है।

## परिवहन सर्वेक्षण

***235. श्री प्र० चं० बरुआ :**

**श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा विश्व बैंक भारत के पूर्वी क्षेत्र में परिवहन के सभी साधनों के सर्वेक्षण के लिए धन जुटाने के लिए सहमत हो गए हैं ताकि सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये परिवहन विनियोजन कार्यक्रम तैयार कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। (**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.—4633/65**)

## जीवन बीमा निगम की प्रीमियम

***236. श्री यशपाल सिंह :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री पोट्टेकाट्ट :**
**श्री अ० व० राघवन :**
**श्री केप्पन :**
**श्री हेडा :**
**डा० महादेव प्रसाद :**
**श्री राम सेवक :**
**श्री क० गे० सेन :**

क्या **वित्त** मन्त्री 25 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 571 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की पालिसियों की प्रीमियम दरों को कम करने के बारे में की जा रही जांच अब पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) 1961 से 1964 तक की अवधि से सम्बन्धित बीमा-कृत व्यक्तियों की मृत्यु दर की निगम द्वारा ब्यौरेवार जांच किए जाने के फलस्वरूप उसके परिणामों के उपलब्ध हो जाने के पश्चात् निगम द्वारा प्रीमियम संरचना की समीक्षा की जायगी। 1966 में इन परीणामों के मिल जाने की संभावना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

## दिल्ली जल परीक्षण प्रयोगशाला

237. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री नवल प्रभाकर :**
**श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
**श्री नवल प्रभाकर :**
**श्री रवीन्द्र वर्मा :**
**श्री पैं० वेंकटासुब्बाय :**
**श्री दे० द० पुरी :**
**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री सेझियान :**
**श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 25 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1581 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल परीक्षण प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण के बारे में दिल्ली नगर निगम को सलाह देने के लिये ब्रिटेन के एक विशेषज्ञ दिल्ली आए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने कोई सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.–4634/65]**

## शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा

*238. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **योजना** मंत्री शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा संबंधी 25 फरवरी, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित विश्लेषण तथा विचार विमर्श अब पूरा हो गया है ;

(ख) क्या कोई नीति बनाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट मामले विचारार्थ पेश करने से पहले, इस प्रश्न के राजस्व, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अन्वेषण किया जाना जरूरी है। इन कठिनाइयों के कारण, इन अन्वेषणों में काफी समय लगता है और आशा है कि इस वर्ष के उत्तरार्ध में राज्य सरकारों इत्यादि से विचार विमर्श शुरू हो जायगा।

## जापान से नया ऋण

702. श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल जापान द्वारा भारत को दिये जाने वालें ऋण की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिये जापान गया है ; और

(ख) यदि हां, तो शर्तों का ब्यौरा क्या है तथा इस ऋण का उपयोग किस प्रकार किया जायगा ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी हां। एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल 28.57 करोड़ रुपय के पांचवें येन ऋण की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिये जून, 1965 में जापान गया था ; इस ऋण का संकेत जापान सरकार ने एड इण्डिया कनसर्शियन की वाशिंगटन में हुई 21 अप्रैल, 1965 की बैठक में दिया था।

(ख) जापान के निर्यात-आयात बैंक और अन्य बारह जापानी बैंकों के साथ 25 जून, 1965 को इस ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थें। इस ऋण का उपयोग गोरखपुर और गुजरात उर्वरक परियोजनाओं, दुर्गापुर अलॉय स्टील प्लांट और अन्य परियोजनाओं, कारखानों, मशीनों और पदार्थों जिनको जापान से प्राप्त किया जायगा, को धन दने के लिय किया जायगा। इस ऋण में से 19.04 करोड़ रुपये 15 वर्षों में वापिस किया जायेंगे और शष 19.04 करोड़ रुपयें 18 वर्षों में वापिस किये जायेंगे।

## करीवेल्लूर सरकारी अस्पताल

703. श्री अ० क० **गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि केरल के कन्नूर जिले करीवेंल्लूर अस्पताल में दवाइयों के अभाव के कारण बहुत से रोगियों को बाहर से दवाइयां खरीदने को कहा जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रोगियों को दवा लेने के लिये वर्षा तथा कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है क्योकि वहां पर छतवाले स्थान की पर्याप्त व्यवस्था नही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) रोगियों को केवल ऐसी दवाइयां बाहर से खरीदनें के लिए कहा जाता है जिनका स्टाक अस्पताल में खत्म हो गया हो।

(ख) इस समय रोगियों के लिए प्रतीक्षा करने का कोई छतदार स्थान नहीं है।

(ग) केरल राज्य में सम्बन्धित प्राधिकारी एक सायबान (शैड) बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं।

### केरल में हैजा

704. **श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री मणियंगाडन :**
**श्री काजरोलकर :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष केरल में मार्च, अप्रैल तथा मई हैजा फैला था ;

(ख) यदि हां, तो जिलेवार कितने व्यक्ति मरे ;

(ग) क्या इस रोग के कारणों की जांच करने के लिये सरकार ने एक विशेष दल भेजा है ;

(घ) यदि हां, तो उनका प्रतिवेदन क्या है ; और

(ङ) यह रोग फिर न हो, इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां। जनवरी 1965 में केरल में अलप्पी जिले में हैजा महामारी के रूप में फैला और फिर यह अन्य जिलों में भी फैल गया।

(ख) राज्य में मार्च, अप्रैल और मई, 1965 में मृत व्यक्तियों के प्रत्येक जिले के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

| जिला | मार्च, 1965 | अप्रैल, 1965 | मई, 1965 |
|---|---|---|---|
| 1. त्रिवेन्द्रम . . . . | 2 | 12 | 8 |
| 2. क्विलोन . . . . | 6 | 4 | 2 |
| 3. अलप्पी . . . . | 29 | 7 | 5 |
| 4. कोट्टायम . . . . | 7 | .. | 24 |
| 5. एर्णाकुलम . . | 11 | 16 | 15 |
| 6. त्रिचूर . . . | .. | .. | .. |
| 7. पालघाट . . . | .. | .. | .. |
| 8. कोजिकोड़ . . | .. | .. | .. |
| 9. कन्नानूर . . . | .. | .. | .. |
| कुल . | 55 | 39 | 54 |

(ग) अखिल भारत स्वच्छता तथा लोक-स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता के महामारी विज्ञान के प्रोफेसर के नेतृत्व में एक दल ने मई, 1965 में इन बस्तियों का दौरा किया और महामारी के कारणों की जांच की। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के महा-निदेशालय में एक सहायक महा-निदेशक ने भी पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया।

(घ) इस दल ने एक प्राथमिक प्रतिवेदन दे दिया है। इस दल द्वारा और स्वास्थ्य सेवाओं के सहायक महा-निदेशक द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :—

(1) क्योंकि वर्तमान महामारी बहुत दिनों तक चलेगी इसलिये हैजा नियंत्रण उपायों को वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त अगले वर्ष के लिये भी बनाये जायें।

(2) समय पर सामूहिक रूप से टीके लगाये जायें और उन क्षेत्रों की जनता पर विशेष ध्यान दिया जाये जहां महामारी फैलने का डर अधिक हो।

(3) टीका लगाने का कार्यक्रम समयानुसार चलाने के लिये हैजा कर्मचारी अधिक संख्या में नियुक्त किये जायें।

(4) किसी व्यक्ति के हैजे से पीडित होने पर घोषित किये जाने तक की प्रतीक्षा न कर हैजा-निरोधक उपाय किये जाये और आंत्र-शोथ अथवा हैजे की शंका होने पर फौरन ये उपाय किये जायें।

(5) इस महामारी में जो 'स्ट्रेन' पृथक किया गया, वह 'एल-टोर' है। ऐसी महामारी में इसको रोकने का इलाज केवल हैजे के टीके लगाना ही नहीं है; समुचित रूप से स्वच्छता बहुत जरूरी है।

(6) महामारी वैज्ञानिकों की घोषणा के अनुसार हैजा 1966-67 में फिर महामारी के रूप में फैलेगा। हैजा रोकने के उपाय करने की आवश्यकता बहुत जरूरी है।

(ङ) इस दल की और स्वास्थ्य सेवाओं के सहायक महा-निदेशक की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार का 6 महीनों के भीतर तटवर्ती क्षेत्रों में सामूहिक रूप से टीका लगाने का एक विशेष संगठन बनाने का प्रस्ताव है। राज्य में दल की अन्य सिफारिश भी क्रियान्वित की जा रही हैं। पता लगा है कि जनवरी से 23 जुलाई, 1965 तक की अवधि में 34 लाख व्यक्तियों को टीके लगाये गये हैं।

## पानी में 'फ्ल्यूरिन'

705. **श्री अ० क० गोपालन:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के लगभग 19 गांवों में पीने के पानी में 3 से 8 प्रतिशत तक 'फ्ल्यूरिन' है ;

(ख) यदि हां, तो इससे कुल कितने लोगों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों की कोई जांच की है ;

(घ) क्या इस क्षेत्र में ताजा जल की व्यवस्था करने की कोई योजना है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां। 'फ्ल्यूरिन' की मात्रा अधिक से अधिक दस लाख में 6 हिस्से है।

(ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) राज्य सरकार मामले की जांच कर रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इन गांवों के लिए ताजे पानी की व्यवस्था केवल एक नल-पानी प्रदाय योजना के जरिये काफी दूरी से पानी लाकर ही की जा सकती है। राज्य सरकार ने कहा है कि इस पर अधिक लागत आने के कारण राज्य सरकार इस योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकती। उसने यह भी कहा है कि स्थानीय पानी में से 'फ्ल्यूरिन' निकालकर ताजे पानी की व्यवस्था भी 'फ्ल्यूरिन' निकालने का कोई सस्ता तरीका न होने के कारण सम्भव नहीं है। आई० सी० एम० आर० ने घरोंमें चावल की भूसी के 'चारकोल' के प्रयोग से पानी में से 'फ्ल्यूरिन' निकालने का एक तरीका निकाला है। प्रभावित क्षेत्र में इसे लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य सरकार का ध्यान इसकी ओर दिलाया जा रहा है।

### पैसा ढालना

706. **राम हरख यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान पैसे के स्थान पर एक नये प्रकार का पैसा ढालने का है ;

(ख) यदि हां, तो नया सिक्का ढालने की क्या व्यवहार्यता है ; और

(ग) नये सिक्के कब तक चलाये जायेंगे ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) जी, हां।

(ख) नया सिक्का, एल्यूमिनियम मगनीशियम की मिश्र धातू से ढालने का विचार है ; जो परीक्षण किये गये हैं उनसे पता चलता है कि ऐसा करना व्यवहार्य है।

(ग) इस समय यह ठीक ठीक बताना सम्भव नहीं है कि नया सिक्का कब चालू किया जायगा, लेकिन आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक इसे चालू किया जा सकेगा।

### Trade Notices in Hindi

707. **Shri Vishram Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of the offices of the various Collectorates of the Central Excise Department in Northern India which circulate, from time to time, the trade notices regarding Central Excise in English only and the names of the offices of such Collectorates which circulate them in Hindi alongwith English version; and

(b) the date by which the arrangements are likely to be made to supply Hindi translation of trade notices by such Collectorates which are issuing notices at present in English only?

**The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) :** (a) Trade notices regarding Central Excises are issued in English only by all the offices of Central Excise in Northern India except by the office of Collector of Central Excise, Delhi where those pertaining to Tobacco only are issued in Hindi along with English.

(b) Hindi translation of trade notices can be taken up only after effective machinery for translation of technical terms is evolved.

### Printing of Forms

708. **Shri Vishram Prasad :** Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state:

(a) the number of forms received for printing at various Government printing presses since 1st January, 1965 so far;

(b) the number of forms received for printing in English, English and Hindi both and in Hindi separately; and

(c) the arrangements made or being made to print these forms in diglot form which were received for printing in English only?

**The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) :** (a) to (c). The information is being collected from the various Government of India Presses and will be laid on the table of the Sabha.

## अन्तर्राष्ट्रीय नर्स परिषद्

709. **श्री राम हरख यादव : क्या स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) में हाल में हुई अन्तर्राष्ट्रीय नर्स परिषद् की तरहवीं कांग्रेस में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो कितने देशों ने मुख्य रूप से भाग लिया तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जहां तक भारत का संबंध है क्या सफलता मिली; और

(घ) उस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

**स्वास्थ्य मंत्री ( डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां।

(ख) कांग्रेस में निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने भाग लिया :—

1. उपाध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय नर्स परिषद तथा उपचर्या सलाहकार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, प्रशिक्षित नर्सों की भारतीय संस्था तथा नर्सिग सुपरिटेन्डट, क्रिश्चयन मैडिकल कालिज तथा हास्पिटल, वेल्लोर।
3. उपाध्यक्ष, प्रशिक्षित नर्सों की भारतीय संस्था तथा कर्मचारिवृन्द अधिकारी, भारतीय रेड क्रास सोसायटी, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, लेडी रीडिंग हैल्थ स्कूल, नई दिल्ली।
5. महा-स.चव, प्रशिक्षित नर्सों की भारतीय संस्था, नई दिल्ली।
6. सचिव, दक्षिण भारत निरीक्षक बोर्ड, स्वेडिश मिशन अस्पताल, तिरपत्तूर।
7. मिशन अस्पताल, इन्दौर का एक प्रतिनिधि।

पहले चार प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था।

(ग) चूंकि कांग्रेस नर्सों की उच्च स्तरीय व्यवसायिक बैठक थी। अतः इस में किया गया वाद-विवाद इन संगठनों के लिये मूल्यवान था जिनके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

अध्यक्ष, प्रशिक्षित नर्सों की भारतीय संस्था तथा उपचर्या अधीक्षक, ईसाई चिकित्सा कालेज एवं अस्पताल, वेल्लोर को निदेशकों के बोर्ड के एक सदस्य के रुप में चुना गया तथा अध्यक्ष, प्रशिक्षित नर्सों की भारतीय संस्था तथा कर्मचारिवृन्द अधिकारी, भारतीय रेडक्रास सोसायटी, नई दिल्ली को दो स्थायी समितियों में से एक का सदस्य चुना गया।

(घ) भारत सरकार को कोई खर्चा नहीं करना पड़ा।

## केरल में परिवार नियोजन योजना

710. **श्री अ० व० राघवन : क्या स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के छंटनी किये गये निगरानी कर्मचारियों से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें परिवार नियोजन योजना में काम पर लगाया जाये;

(ख) 1964–65 में कितने कर्मचारी छंटनी किये गये;

(ग) कितने व्यक्तियों को परिवार नियोजन योजना में काम दिया गया है; और

(घ) शेष कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां, केरल सरकार को छंटनी किये गये निगरानी कर्मचारियों से इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें परिवार नियोजन योजना में काम में लगाया जाये।

(ख) से (घ) : राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

**Community Development Programmes**

712. **Shri M. L. Dwivedi :**
**Shri S. C. Samanta :**
**Shri Subodh Hansda :**

Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission, before allocating funds for Community Development programmes under the Plans makes a study of the amount to be actually utilised and that which may go waste;

(b) whether any progress has been made in raising the living standards of the people for whose welfare these blocks have been set up besides the rise effected in the standard of the people engaged in the construction of residential buildings near the headquarters of the Development Blocks and other development works; and

(c) the machinery at the disposal of the Planning Commission to ensure the proper utilisation of the funds so allocated?

**The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) :** (a) The life of community development blocks is ten years consisting of Stage I and Stage II of equal duration with a budget provision of Rs. 12 lakhs and Rs. 5 lakhs respectively. The allocation of funds for these blocks is governed by the schematic pattern and a fixed sum of Rs. 1,20,000, Rs. 1,68,000, Rs. 2,16,000, Rs. 2,64,000 and Rs. 4,32,000 respectively is available for the first five years during Stage I and a sum of Rs. one lakh per year during the Stage II period. This is a fixed pattern applicable to all the blocks. Therefore, the question of making any study about the funds actually utilised before allocating funds to the Community Development Blocks does not arise.

(b) The Ministry of Community Development and Co-operation is responsible for the implementation of the programme through the State Governments. The Ministry assesses the working of the community development programme in the States through a system of periodic reports.

(c) The Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission have made, from time to time, evaluations of the working of the community projects in the country. These reports have already been published.

**उत्तर प्रदेश में उच्चतर अनुसन्धान कार्य के लिये चिकित्सा संस्थान**

713. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को उच्चतर अनुसंधान कार्य के लिये एक चिकित्सा संस्थान स्थापित करने के लिय सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

**स्वास्थ्य मंत्री ( डॉ० सुशीला नायर) :** (क) से (ग): जी, नहीं। रीजनल पी० जी० इन्स्टीटयूटों के खोलने के प्रश्न पर विभिन्न राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी इस प्रस्ताव पर अन्वीक्षणत्मक खोज की गई है।

## केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम

714. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विधेयक के कब पेश किये जाने की संभावना है ?

**वित्त मंत्री (श्री ती० त० कृष्णमाचारी) :** (क) केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम 1956 में संशोधन करने के लिए कुछ सुझाव मिले हैं और राज्य-सरकारों के परामर्श से उनकी जांच की जा रही है।

(ख) अधिनियम में संशोधन करने और किस किस बारे में संशोधन किये जायं इस प्रश्न का निर्णय भाग (क) में उल्लिखित जांच पूरी हो जाने पर ही किया जा सकेगा।

## संतति निग्रह

715. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि व्यवहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था के निदेशक ने देश में जन्म-दर 50 प्रतिशत कम करने के लिये चार योजना अवधियों में फैली हुई एक राष्ट्रीय संतति निग्रह योजना बनाने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव का संक्षेप ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक जो कार्यवाही की है, उसके बारे में उनका क्या मतभेद है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री डा० सुशीला नायर ) :** (क) जी, हां।

(ख) व्यावहारिक जनशक्ति अनुसन्धान के निदेशक ने सुझाव दिया है कि जन्म दर में कमी बन्धकरण अपरेशन अथवा प्रेरित गर्भस्त्राव अथवा दोनों द्वारा की जा सकती है न कि गर्भ निरोधक रूढ़ तरीकों से। उन्होंने बन्धकरण अपरेशन को प्रधान तरीके के रूप में अधिमान दिया है और सुझाव दिया है कि 6 प्रति हज़ार की दर से नागरिकों की प्रतिवर्ष बन्धकरण शल्य क्रिया की जाये। उन्होंने बन्धकरण आपरेशन के प्रत्येक मामले में 100 रुपये के खर्चे का अनुमान लगाया है और उन्होंने सुझाव दिया है कि बन्धकरण कार्यक्रम के लिये चौथी और पांचवी योजना में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाये।

भारत सरकार बन्धकरण पर काफी बल देती रही है परन्तु वह इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि परिवार आयोजन कार्यक्रम में केवल बन्धकरण के ही तरीके को अपनाया जाये। अतः वह सभी तरीकों अर्थात् गर्भनिरोध के रूढ़ तरीकों, बन्धकरण तथा गर्भशयांतर गर्भनिरोधक उपकरण की नवीनतम पद्धति का प्रचार करती रहेगी। भारत सरकार उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का बन्धकरण करने के लिये उल्लिखित खर्चों को आवश्यक अथवा वांछनीय नहीं समझती है।

## Family Planning Clinics in Punjab

716. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the number of Family Planning Clinics functioning at present in the rural and urban areas in Punjab;

(b) the number of clinics proposed to be opened in Punjab during 1965-66; and

(c) the estimated amount of expenditure thereon?

**The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) :** (a) It has been reported that by the 30th June, 1965 there were 172 rural and 45 urban Family Welfare Planning Centres in Punjab.

(b) 484 Rural and 5 urban Family Welfare Planning Centres are proposed to be opened in the Punjab during 1965-66.

(c) Rs. 215·95 lakhs in 1965-66.

## केरल के लिये तापीय संयंत्र

717. **श्री वारियर :** **श्री मुहम्मद कोया :**
**श्री वासुदेवन नायर :** **श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री प्रभात कार :** **श्री मणियंगाडन :**

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** 18 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिये राज्य में तापीय संयंत्र लगाने का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

**सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० के० एल० राव) :** (क) तथा (ख) : प्रस्ताव विचाराधीन है।

## पंजाब के एक मंत्री का दामाद

718. **श्री वारियर :** **श्री बृजराज सिंह :**
**श्री प्रभात कार :** **श्री बड़े :**
**श्री वासुदेव नायर :** **श्री दलजीत सिंह :**
**श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री बागड़ी :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :** **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के एक मंत्री के दामाद की, जो अपने श्वसुर के साथ विदेश यात्रा कर रहे थे, पालम हवाई अड्डे पर तलाशी ली गई तथा उनके सूटकेश में भारतीय व विदेशी मुद्रा पाई गई;

(ख) क्या यह भी सच है कि श्वसुर को तो जाने दिया गया और दामाद को रोक लिया गया; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल की जा रही है ?

**वित्त मंत्री (श्री ति॰ त॰ कृष्णमाचारी)** : (क) 22 मई 1965 को पालम हवाई अड्डे पर, लंदन जाने वाले एक यात्री के पास निम्नलिखित मुद्राएं पायी गयी; जिनकी उसने घोषणा नहीं की थी:—

(i) स्टिलग पौंड—85

(ii) अमरीकी डालर—225

(iii) माल्टा की मुद्रा—2 पौंड

(iv) स्विस फ्रैंक—100

(v) फ्रांसीसी फ्रैंक—100

(vi) डी॰ एम॰—25 और

(vii) भारतीय मुद्रा—31 रुपये।

(ख) वह पंजाब सरकार के एक मंत्री का दामाद बताया जाता है जो खुद भी उसी जहाज से जा रहे थे। लेकिन सीमा शुल्क पड़ताल के लिए उक्त व्यक्ति के प्रस्तुत होने से बहुत पहल ही मंत्री की सामान्य क्रम से सीमा शुल्क सम्बन्धी पड़ताल की जा चुकी थी। मुद्रा पकड़ लिये जाने के बाद वह यात्री स्वयं वायु-यात्रा पर जाने से रुक गया।

(ग) जांच-पड़ताल समाप्त हो गयी है और मामला इस समय न्याय-निर्णयाधीन है।

### जमुना तल से पानी

**719. श्री प्र॰ चं॰ बरुआ :**

**श्री नवल प्रभाकर :**

**श्री हेम राज :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए जमुना के निचले तल से पानी निकालने की संभावनाओं का पता लगाने का कार्य एक स्थानीय उद्यमकर्ता के सहयोग से किसी फ्रांसिसि **फर्म** को सौंपा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा॰ सुशीला नायर)** : (क) यह कार्य एक भारतीय फर्म मेसर्ज़ मस्केरेन्हस एण्ड तारपोरेवाला कन्सल्टिंग इंजीनियर्ज़ एण्ड स्ट्रक्चरल स्पेशलिस्टस, बम्बई को जिस का एक फ्रांसीसी साथी मान॰ पी॰ क्लास्से सहयोगी है, सौंपा गया है।

(ख) इस मामले में निम्नलिखित कार्य किये जाने हैं :—

(1) मिलने वाली तहों की गहराई तथा कणात्मकता को निश्चित करने के लिये परीक्षात्मक संछिद्रण करना;

(2) पानी तथा मिलने वाली तहों आदि के नमूनों का परीक्षण; और

(3) मिलने वाली तहों की प्रसरणीयता की मात्रा निश्चित करने के लिये पम्पक्रिया द्वारा परीक्षण करना।

उपर्युक्त (1) के बारे में स्थिति यह है कि फर्म ने जमुना नदी के साथ साथ 6 परीक्षणात्मक छिद्र किये हैं तथा छिद्र संख्या 3 को संतोषजनक पाया है जो कि शाहदरा जाने वाली सड़क के दक्षिण में बायें किनारे पर है। फर्म ने छिद्र संख्या 3 की सीध में दो और छिद्र भी किये है। 8 छिद्रों में से तहों का निरीक्षण करने के पश्चात फ्रांसीसी सलाहकार ने सुझाव दिया है कि 7 और छिद्र किये जायें—6 दक्षिण में शाहदरा सड़क के साथ साथ तथा एक छिद्र उत्तर की ओर। इनमें से तीन छिद्र पूरे किये जा चुके हैं।

उपर्युक्त (2) के बारे में फर्मने तहों के नमूने तथा पानी के नमूने विश्लेषण के लिये दिये हैं तथा इसके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

उपर्युक्त (3) के सम्बन्ध में फर्मने एक बड़ा छिद्र करने के लिये उस स्थान पर पहले ही उपकरण भेज दिये हैं जहां पम्प लगाया जाना है।

## मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड

720 **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री 25 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न सं० 1569 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतानें की कृपा करेंगे कि 3085 एम० टन प्लेटों के आयात के लिये, जिनकी मध्य प्रदेश बिजलीं बोर्ड को आवश्यकता है, क्या व्यवस्था की गई है?

**डा० कु० ल० राव (सिंचाई और बिजली मंत्री) :** मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के लिये अपेक्षित 3085 मीट्रिक टन प्लेंटों का आयात निम्न रूप से प्रबन्धित है :–

1964 के आरम्भ में पोलैंड से 2292 मीट्रिक टन

1964 के आरम्भ में जापान से 543 मीट्रिक टन

डच ऋण के अन्तर्गत 250 मीट्रिक टन।

पोलैंड और जापान से आने वाली प्लेटों में से लगभग 2768 मीट्रिक टन प्लेटें पहुंच चुकी हुई हैं। पोलैंड से प्राप्त होने वाली 67 मीट्रिक टन की शेष मात्रा को राज्य बिजली बोर्ड के कहने पर केन्सल किया जा रहा है। डच ऋण के अन्तर्गत आने वाली स्टील प्लेटें 4–6 महीनों में आ जाएगी, ऐसी सम्भावना है।

## गन्दी बस्तियों को हटाना

721. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने तो गन्दी बस्तियों के हटाने के लिये भारी राशि नियत की है लेकिन उसका पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) राज्यवार, कितनी-कितनी राशि नियत की गई तथा कितनी-कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक ओर तो गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है और दूसरी ओर नई गन्दी बस्तियां बनती जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है तथा वे कहां तक सफल हुए ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचंद खन्ना) :** (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण (परिशिष्ट) में दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4635/65]**

(ग) और (घ) : गांव से शहरी क्षेत्रों में तेजी से आ रही जन संख्या के साथ स्थिति बिगड़ती जा रही है। राज्य सरकारें नई गन्दी बस्तियों की बाढ़ को रोकने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं लेकिन समस्या ही इस प्रकार की है कि प्रयत्न पूरी तरह कारगर नहीं हो सकते।

## Gold Control Order

722. **Shri M. L. Dwivedi :**
**Shri S. C. Samanta :**
**Shri Subodh Hansda :**

Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether there has been any variation in the turn-over of gold and financial position of the country as a result of enforcement of Gold Control Order;

(b) the advantage of the order being in force while gold is available in abundance in black market;

(c) the extent of increase in the use of 14 carat gold in 1964-65 as compared to in 1963-64; and

(d) the names of places where 14 carat gold can be had easily at the rates fixed by Government ?

**The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) :** (a) It is not possible to isolate and specify the result of the Gold Control Order on the turn over of gold and the financial position of the country.

(b) The scheme of gold control supplements the provisions of the Customs Act, 1962 and facilitates identification of the source whenever illicit gold is detected.

(c) A statement showing the available figures of use of gold of a purity not exceeding 14 carats by licensed dealers for ornaments from September 1964 is laid on the table of the House. Comparable figures for 1963-64 are not available.

(d) 14 carat gold is available with licensed refiners and dealers, but the price thereof has not been fixed by Government.

### Statement

| *Month* | *Quality in grammes* |
|---|---|
| September, 1964 | 600,500 |
| October, 1964 | 818,620 |
| November, 1964 | 867,835 |
| December, 1964 | 774,061 |
| January, 1965 | 773,886 |
| February, 1965 | 1,026,616 |
| March, 1965 | 884,114 |
| April, 1965 | 852,791 |
| May, 1965 | 714,895 |
| June, 1965 | 593,027 |

Note : The figures for 1965 are provisional.

### विट्ठलभाई पटेल भवन

723. **श्री विभूति मिश्र :**

**श्री न० प्र० यादव :**

**श्री क० ना० तिवारी :**

क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषतः संसद् सदस्यों के लिये निर्मित विट्ठलभाई पटेल भवन के फ्लैट उन्हें पसन्द नहीं आये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन फ्लैटों में रहने के लिये संसद् सदस्यों को प्रेरणा देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग) : हमारी धारणा यह नहीं है। फिर भी यह सच है कि विठ्ठलभाई पटेल हाउस के कमरों (सूइट्स) के अलाटमेंट के लिए शुरू में अधिक मांग नहीं थी लेकिन धीरे धीरे मांग आना आरम्भ हो गई है।

### डाक्टरों के विदेशों में जाने पर प्रतिबन्ध

724. **श्री दी० चं० शर्मा :**

**श्री मुहम्मद कोया :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक कितने चिकित्सा स्नातकों को विदेशों में अध्ययन के लिये जाने की अनुमति नहीं दी है; और

(ख) चालू वर्ष में अब तक कितने स्नातकोत्तर डाक्टरों को अग्रेतर अध्ययन के लिये विदेश जाने की अनुमति दी गई है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) 5।

(ख) 166।

### कच्चे टिंक्चर का विक्रय

725. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 25 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1543 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीनों में कच्चा टिंक्चर बेचने के अपराध में कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : दिल्ली में पिछले छः महीनों में औषधि तथा कान्तिवर्धक सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबन्धों के प्रतिकुल कच्चा टिंक्चर रखने तथा बेचने के लिये तीन व्यक्तियों को दण्ड दिया गया था।

### अस्पतालों के सम्बन्ध में समिति

726 **श्री रामेश्वर टांटिया :**

**श्री स० चं० सामन्त :**

**श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 25 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 369 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्पतालों के कार्यकरण का सवक्षण करने के लिए एक समिति गठित करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया था समिति के निर्देशपद क्या हैं; और

(ग) यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

**स्वास्थ्य मंत्री ( डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग) : अब भी मामला विचाराधीन है।

### बम्बई में सोने का तस्कर व्यापार

727. **श्री किन्दर लाल :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि 31 मई, 1965 को दादर (बम्बई) के रिहायशी क्षेत्र में मारे गये छापों के दौरान 10 लाख रुपये के मूल्य का सोना पकड़ा गया ;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मामले में कुछ विदेशी भी शामिल थे ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) 31 मई 1965 को जल्दी सबेरे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय, बम्बई, के अधिकारियों ने बम्बई में दादर स्थित एक रिहायशी फ्लैट से अन्तर्राष्ट्रीय दर पर 6,87,500 रु० के मूल्य का 1,28,301·800 ग्राम सोना पकडा ;

(ख) दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और बाद में जमानत पर रिहा कर दिये गये; और

(ग) अब तक की गई जांच पड़ताल से यह पता नहीं चलता कि इस मामले में कोई विदेशी शामिल है।

### [कोचीन पत्तन के सीमाशुल्क अधिकारी]

728. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या वित्त मंत्री कोचीन पत्तन के सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में 6 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3245 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां।

(ख) अधिकारियों में से किसी के भी विरुद्ध आरोपों की पुष्टि में प्रमाण नहीं मिलने से वे औपचारिक रूप से सिद्ध नहीं किये जा सके। तथापि, उनमें से कुछ को जहाज पर डयूटी देते समय, वहां दिये गये भोजन में हिस्सा बंटाने के लिये चतावनी दे दी गयी है।

### नई दिल्ली में सरकारी फ्लैटों पर अनधिकृत कब्जा

729. **श्री अ० व० राघवन :**
**श्री पोट्टेकाट्ट :**
**श्री केप्पन :**

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में कितने सरकारी फ्लैटों पर अनधिकृत कब्जा है ;

(ख) कितने व्यक्तियों ने ऐसे फ्लैटों को खाली करने से इन्कार कर दिया है और उनका सरकारी पदनाम क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) 138 ।

(ख) और (ग) : 95 । चपरासी से लेकर राजपत्रित अधिकारी तक विभिन्न श्रेणियों के व्यक्ति हैं तथा इसके साथ ही कुछ गैर-सरकारी और सेवानिवृत्त अधिकारी भी हैं। प्रत्येक मामले में समुचित कार्रवाई की जा रही है ।

### उत्तर प्रदेश में भारत सेवक समाज को सहायता

730. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में भारत सेवक समाज की उत्तर प्रदेश शाखा को विभिन्न शिबिरों का आयोजन करने के लिए कुल कितनी राशि दी गई; और

(ख) 1965–66 में कितनी राशि देने का विचार है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख) : योजना आयोग, भारत सेवक समाज की उत्तर प्रदेश शाखा को शिबिरों का आयोजन करने के लिए कोई अनुदान नहीं देता ।

### उत्तर प्रदेश में ग्रामोद्योग परियोजना कार्यक्रम

731. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग की ग्रामोद्योग योजना समिति द्वारा प्रायोजित ग्रामोद्योग परियोजना कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र चुने गये हैं;

(ख) चवन की कसौटी क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) से (ग) : एक विवरण सभा के पटल पर प्रस्तुत है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4036/65।**]

### उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति उद्योग

732. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य में पंचायत समिति उद्योग स्थापित करने के लिये 1964–65 में कोई वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश को 1965–66 में कितनी राशि नियत की गई है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी, नहीं क्योंकि राज्य सरकार ने 1964–65 अथवा 1965–66 के लिए अपनी वार्षिक योजनाओं में ऐसी कोई योजना शामिल नहीं की थी ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

## सरयू नदी सिंचाई परियोजना

733. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने सरयू नदी सिंचाई परियोजना जो आपात्काल के कारण स्थगित कर दी गई थी, मंजूर कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब से आरम्भ होगा; और

(ग) इस पर कुल कितना धन खर्च होगा ?

**सिंचाई और बिजली मंत्री ( डा० कु० ल० राव) :** (क) से (ग): सरयू नहर परियोजना, जिस पर प्रारंभिक कार्य संकट काल को ध्यान में रखते हुए छोड़ दिया गया था, के लिये राज्य सरकार ने फिर प्रस्ताव किया है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार के प्रारंभिक चतुर्थ योजना प्रस्तावों में सम्मिलित है। तकनीकी तौर से पास कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा भेजी गई पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट में अनुचित लागत 38.43 करोड़ रुपये दिखाई गई है। इस परीयोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा जांच की जा रही है। परियोजना के स्वीकार हो जाने के पश्चात् इस पर कार्य आरम्भ किया जाएगा ।

## Delhi Water Works

734. **Shri D. N. Tiwarey :** Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have sanctioned an additional grant of Rs. 75 lakhs to increase the capacity of Water Works in Delhi during the year 1965-66;

(b) if so, the increase likely to be made in the capacity of the Water Works; and

(c) the progress made in this behalf so far?

**The Minister for Health ( Dr. Sushila Nayar) :** (a) & (b). A provision of Rs. 250 lakhs has been made in the budget of the Ministry of Health for giving a loan to the Delhi Municipal Corporation during 1965-66 for its water supply & sewage disposal schemes. This includes a provision of Rs. 75 lakhs for the installation of a second 40 MGD plant at Wazirabad in addition to the plant of similar capacity now under installation.

(c) The project estimate for the second 40 MGD Plant has already been approved by the Delhi Water Supply and Sewage Disposal Committee of the Corporation. Tenders for various pumping installations required for this plant have been received and the surveys of various rising mains to be laid and new reservoir proposed to be constructed are being made.

## Unit Trust

735. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount invested by the public in the Unit Trust of India upto the 30th June, 1965; and

(b) the dividend declared so far?

**The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) :** (a) The total amount realised by the Unit Trust of India on account of sale of units to the public upto the 30th June, 1965 was Rs. 19,13,47,800.

(b) For the accounting year which ended on the 30th June, 1965, a dividend of 61 paise per unit of Rs. 10 or 6·10 per cent. has been declared.

### केरल में फिलेरिया उन्मूलन

736. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केरल में फिलेरिया उन्मूलन के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) राज्य में ईस रोग के प्रकोप पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ा है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशिला नायर) :** (क) फाइलेरिया का पूर्णरूपेण उन्मूलन करने का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है। अभी तक जो उपाय बरते गये हैं, उनका उद्देश्य इस रोग के प्रसार पर नियंत्रण पाना है।

केरल में दो प्रकार के फाइलेरिया संक्रमण व्याप्त है—डब्ल्यू वंक्रोफ्टी और वी० मलाई। अनुमान है कि 25 लाख व्यक्ति वंक्रोफ्टी फाइलेरिया क्षेत्र में रहते हैं। जहां तक डब्ल्यू वेक्रोफ्टी के नियंत्रण का प्रश्न है, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में 20 फाइलेरिया नियंत्रण एकक कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार ने अगस्त, 1955 से केरल में एक फाइलेरिया प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की है, जहां पर इस कार्यक्रम के लिए अपेक्षित चिकित्साधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस केन्द्र में इस राज्य के 19 चिकित्साधिकारी, 12 जीवशास्त्री और 54 निरीक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

जहां तक वी० मलाई रोग का प्रश्न है, भारत सरकार ने इसके लिये एक विशेष प्रायोजना मंजूर की है जो शीघ्र ही अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी।

(ख) जिन क्षेत्रों में लगभग 4 या 5 वर्षों से नियंत्रण के सक्रिय उपाय बरते जा रहे हैं, वहां पर इस संक्रमण के फैलाव में कमी हुई है।

### कालीकट के लिये जल-निस्सारण योजना

737. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट नगर निगम ने जल-निस्सारण योजना के लिये केन्द्रीय सहायता के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशिला नायर) :** (क) तथा (ख) : कालीकट नगरपालिका द्वारा केन्द्रीय सरकार से अपनी जल-निस्सारण योजना के लिये अनुदानों के लिये की गई मांग राज्य सरकार के विचाराधीन है।

### कृत्रिम लारिंक्स

738. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में उन लोगों के लिये, जिन्हें कैंसर आदि के कारण सुनाई नहीं देता, कृत्रिम लारिंक्स का आयात किया है;

(ख) इसके लिये कितना सीमा-शुल्क लिया गया ;

(ग) यह उपकरण बम्बई में किस तारीख को पहुंचा तथा किस तारीख को रोगियों में वितरित किया गया; और

(घ) यदि कोई विलम्ब हुआ है, तो उस के कारण क्या हैं ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशिला नायर) :** (क) जी, हां।

(ख) पूरा सीमा-शुल्क अर्थात् 179.56 रुपये प्रति नग क्योंकि प्रदत्त शुल्क की 50 प्रतिशत राशि लौटाये जाने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ग) (एक) पहुंचने की तारीख 29-3-65।

(दो) सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो, बम्बई में पहुंचने की तारीख 30-4-1965।

(तीन) रोगियों में वितरित करने की तारीख 24-5-65 तथा 28-5-1965 के बीच।

(घ) कुछ विलम्ब हुआ था क्योंकि सीमा-शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने के प्रश्न पर अन्य सम्बन्धित विभागों से विचार विमर्श करना पड़ा था।

## गोबिन्द सागर जलाशय

739. **श्री हेमराज**
**श्री अ० ना विद्यालंकार :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहाड़ी नदियो तथा नालों की मिट्टी गोबिन्द सागर जलाशय में बहुत बड़ी मात्रा में जमा होती जा रही है; और

(ख) यदि हा, तो इस मिट्टी को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही ?

**सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) जी, हां। गोबिन्द सागर लेक में गाद भरने की गति जितना ख्याल कीं जातीं है उस से अधिक है।

(ख) ऐसे जलाशयों से गाद निकालना व्यवहार्य नहीं है। फिर भी, देश में स्थित भाखड़ा वाह क्षेत्र में उपयुक्त भूमि संरक्षण उपायों से जलाशय में अधिक गाद के जाने को रोकने के लिये आवश्यक पग उठाये जा रहे हैं।

## Prevention of Contagious Diseases

740. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether any unit has been set up for the study and prevention of contagious diseases in Delhi;

(b) if so, the location;

(c) the amount spent so far year-wise; and

(d) the details of work already done?

**The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) :** (a) An Epidemiological Unit has been sanctioned by the Delhi Municipal Corporation to study and help formulate preventive programmes against communicable diseases in Delhi.

(b) The Unit is proposed to be located in the new building of the Public Health Laboratory at Alipore Road, Delhi.

(c) A sum of Rs. 1.5 lakhs has been provided by the Corporation in the Budget Estimates for 1965-66 for the purpose.

(d) The Unit will start functioning shortly.

**Rural Electrification in Delhi**

741. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state:

(a) the number of villages so far electrified in Delhi;

(b) when the remaining villages are likely to be electrified;

(c) whether electricity is supplied for irrigation purposes in those villages;

(d) if so, the number of wells to be provided with electricity;

(e) the time taken to sanction the electricity for wells; and

(f) whether electricity is also sanctioned for small-scale and cottage industries?

**The Minister of Irrigation & Power (Dr. K. L. Rao) :** (a) 260 villages have been electrified upto 31st May, 1965.

(b) The remaining 56 villages are scheduled to be electrified by 31st March, 1966.

(c) Yes.

(d) Wells are given electric connections as and when such requests are received. 263 wells have been provided upto 31-5-1965 and work on several connections is in progress at present.

(e) Normally, it does not take more than a month's time after the receipt of the application, together with the Block Development Officers' certificate.

(f) The electricity for small scale and cottage industries connected with rural economy is freely available upto 10 HP per connection, provided the premises lie within the area specified for inhabitation, known as "Lal Dora".

**परिवार नियोजन शल्य चिकित्सा**

742. **श्री नवल प्रभाकर :**
**श्री हेम राज :**
**श्री मोहन स्वरूप :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष 15 अगस्त तक राज्यवार कितने बन्ध्यीकरण आपरेशन किये गये ;

(ख) इनमें से कितने मामले खराब हुए ;

(ग) शल्य चिकित्सा (आपरेशन) के बाद देखभाल की क्या व्यवस्था की गई थी ;

(घ) चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य के लिए कितनी रकम नियत की गई ; और

(ङ) उनमें से प्रत्येक राज्य को कितनी रकम अग्रिम दी गई ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) इस वर्ष 30 जून तक बन्ध्यीकरण आपरेशनों राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4637/65** ।] 30 जून, 1965 के पश्चात् के आंकड़े अभी तक सभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए । अतः 15, अगस्त, 1965 तक के एसे आपरेशनों की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) राज्यों से प्राप्त हुई जानकारी से पता चलता है 27 मामलों में आपरेशन बिगड़ गये थे जैसे खून चलना आदि। उन सभी की चिकित्सा कर दी गई है ;

(ग) पुरुषों की बाद की देखभाल की जाती है। स्त्रियों को अस्पतालों में रखा जाता है और जब उन्हें छुट्टी देने योग्य समझा जाता है तो ऐसा कर दिया जाता है।

(घ) और (ङ) : परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये प्रत्येक राज्य को अस्थायी रूप से दिये गये धन का ब्यौरा विवरण में दे दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4637/65।**]

## पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिकर भत्ता

**743. श्री नवल प्रभाकर :**
**श्री हेमराज :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार पहाड़ी, क्षेत्रों में ऊंचाई तथा क्षेत्र के आधार पर प्रतिकर भत्ता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो क्या जांच पड़ताल पूरी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**वित्त मंत्री (श्री ति०त० कृष्णमाचारी)**: (क) से (ग) : जी, हां। यह फैसला किया गया है कि भत्तों की वर्तमान योजना में फेर-बदल करना और उसे पेचीदा बनाना ठीक नहीं होगा। यदि कष्ट के किन्हीं खास उदाहरणों की तरफ ध्यान दिलाया गया तो उन पर, उनके गुण-दोषों के आधार पर, विचार किया जायगा।

## भारत तथा पूर्व-पाकिस्तान में से बहने वाली नदियां

**744. श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री पें० वेंक्टासुब्बया :**
**श्री रवीन्द्र वर्मा :**
**श्री कोल्ला वेंकैया :**
**श्री स० ना० स्वामी :**
**श्री लक्ष्मी दास :**

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत तथा पूर्व-पाकिस्तान में से बहने वाली नदियों के जल के समुचित बटवारे की समस्या का सौहार्दपूर्ण एवं पारस्परिक रूप से संतोषजनक हल निकालने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव की महत्वपूर्ण बातें, क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) से (ग) : पाकिस्तान सरकार ने दोनों देशों के विशेषज्ञों की एक और बैठक का सुझाव दिया है। अतः ये विशेषज्ञ दोनों दलों को मान्य समय और स्थान पर बैठक करेंगे।

### इड्डिकी जल-विद्युत परियोजना

**745. श्री वारियर :** **श्री प्रभात कार :**
**श्री वासुदेवन नायर :** **श्री मणियंगाडन :**

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में इड्डिकी जल-विद्युत् परियोजना की शीघ्रतिशीघ्र कार्यान्विति के लिये 1965–66 के लिये आवश्यक राशि मंजूर कर दी है, और

(घ) यदि हां, तो केरल सरकार ने कितनी राशि की मांग की थी तथा कितनी राशि मंजूर की गई ?

**सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० लाव)** : (क) तथा (ख) : 100 लाख रुपये के पूर्व स्वीकृत प्रबन्ध के अतिरिक्त, केरल सरकार ने 1965–66 के लिये 450 लाख रुपये और मांगे थे, किन्तु भारत सरकार ने केवल 100 लाख रुपये के अतिरिक्त धन की स्वीकृति देनी सम्भव पाई है।

### केरल में तपदिक के रोगियों को सहायता

**746. श्री मुहम्मद कोया :**
**श्री मणियंगाडन :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में 1 अगस्त, 1965 तक केरल में तपेदिक के कितने रोगियों ने वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थनापत्र दिये ;

(ख) कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई; और

(ग) प्रार्थनापत्रों को निबटाने में देरी न हो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) "केरल तपेदिक रोगी सहायता योजना" के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिये आवेदनपत्र तपेदिक अस्पतालों या इस प्रयोजन की मान्यता प्राप्त संस्थाओं, जो रोगी के घर के निकट हो, को दिये जा सकते है । इस योजना के अन्तर्गत 1–4–65 तक सहायतार्थ आवेदनपत्र देने वालों की वास्तविक संख्या की जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

केरल से 7 तपेदिक रोगियों ने भारत सरकार को स्वास्थ्य मंत्री के स्वविवेकीय निधि से वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थनापत्र भेजे हैं।

(ख) उपरोक्त अवधि में केरल सरकार ने 1010 व्यक्तियों के लिये वित्तीय सहायता की मंजूरी दी और 40 व्यक्तियों को भुगतान हो चुका है।

1–4–65 से 1-8–65 तक 3 व्यक्तियों को स्वास्थ्य मंत्री के स्वविवेकीय निधि से वित्तीय सहायता मंजूर की गई ।

(ग) केरल सरकार ने अपने ज़िला अधिकारियों द्वारा ये हिदायतें जारी की है कि वे बिना विलम्ब इस विषय के प्रार्थना पत्रों को निपटाये ।

भारत सरकार भी ऐसी प्रार्थनाओं को यथासंभव शीघ्र निपटाती है।

### दिल्ली में होटल

747. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : श्री लक्ष्मी दास :
श्री म० ना० स्वामी : महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निकट भविष्य में राजधानी में सरकारी क्षेत्र में बहुत से बड़े होटलों का निर्माण करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये होटल कैसे तथा कितने बड़े होंगे ; और

(ग) इन पर कितना व्यय होगा ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां।

(ख) 250 बिस्तरों का एक "वन स्टार" होटल अगले महीने चालू हो जायेगा। दूसरा 240 बिस्तरों का "टू स्टार" होटल इस वर्ष नवम्बर में खुल जायेगा। 300 बिस्तरों के "फाईव स्टार" होटल का निर्माण लगभग छः महीने में शुरू कर दिया जायेगा। इसी प्रकार के 500 से 600 बिस्तरों का एक और होटल बनाने के लिए भी विवरण तैयार किया जा रहा है।

(ग) इन इमारतों के तैयार हो जाने और होटलो के चालू हो जाने के बाद ही व्यय का पता चलेगा।

### फरक्का बांध में सीमेंट का स्टाक

748. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध पर सीमेन्ट का बड़ा स्टाक था ;

(ख) क्या सरकार ने उसे निबटाने का निश्चय किया था ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इसके कारण कोई हानि हुई है ?

**सिंचाई और बिजली मंत्री (डा०कु०ल०राव)** : (क) से (घ) : ठेके दार द्वारा प्रस्तुत कार्य-क्रम के आधार पर प्राप्त किये गये सीमेंट को अनुसूचि के अनुसार पूर्णतः उपयोग में न लाया जा सका। कुछ सीमेंट जो आवश्यकता से अधिक हो गया था पुराना होता जा रहा था। क्योंकि 90–120 दिनों से अधिक रखने से सीमेंट की शक्ति में कमी पड़ जाती है, परियोजना अधिकारियों ने फालतू सीमेंट को सीमा सड़कों, खाद्य उत्पादन, बाढ नियन्त्रण आदि से संबद्ध आवश्यक कार्यों की कार्यान्विति के लिये पश्चिम बंगाल सरकार के कुछ विभागों को पुनर्पूर्ति आधार पर दे दिया। इस लेन-देन में कोई हानि नहीं हुई है। परियोजनाओं पर सीमेंट का जो वर्तमान स्टाक है वह केवल उन की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ही काफी है।

### Jhuggies in Indraprastha Estate, Delhi

749. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya**
**Shri Bade :**
**Shri Brij Raj Singh :**

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Jhuggies in Indraprastha Estate, Delhi have been demolished;

(b) if so, the name of the place where those dwellers have been rehabilitated;

(c) whether Government have decided to allot any houses to these dwellers; and

(d) if so, whether the price of these houses will be realised in lump sum or in instalments?

**The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) :** (a) and (b). 266 families squatting near Tilak Bridge, Indraprastha Estate, Delhi, were removed in June 1965, and were offered alternative accommodation. Of these, 232 accepted the offer and were allotted plots of 25 quare yards each in the colonies at Seelampur, Wazirpur and opposite Rajauri Garden. The remaining 34 families did not avail of the offer of alternative accommodation and presumably made their own arrangements.

(c) and (d) Only those persons, who squatted on Government and public land prior to July 1960 and are not Government servants or migratory labourers will be allotted plots of 80 square yards or tenements, as and when they become available. These allotments will be on rental basis.

**जठर आंत्र-शोथ**

750. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मई और जून, 1965 में बड़ी संख्या में लोगों के जठर आंत्र-शोथ से रुग्ण होने के समाचार मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी हां । इस वर्ष अप्रैल से आरंभ होकर जुलाई और अगस्त तक जठर आंत्र-शोथ से रुग्ण होने वालों की संख्या बढ़ती गई ।

(ख) इस बीमारी के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है । लोगों को समाचार पत्रों तथा इश्तिहारों द्वारा धूल और मक्खियों वाले कटे हुए फलों तथा पीने वाली चीज़ों के प्रति जागरुक कर दिया गया है । लोगों टी० ए० बी० और हैज़े के टीके लगवाने के लिये सेवा नगरपालिका के अस्पतालों में उपलब्ध करायी गयी है 25 डाक्टरों को हैज़े और टाइफाइड के टीके लगा दिये गये हैं । दोषपूर्ण खाद्यपदार्थों और फलों को नष्ट करने की कार्यवाही की जा रही है । खाने पीने वाले स्थानों और बर्फ की फैक्टरियों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जा रहा है । झुग्गियों के क्षेत्र और कुड़े वाले स्थानों पर मक्खियों को समाप्त करने की कार्यवाही तेज़ कर दी गई है ।

**चोरी छिपे लाये गये सामान को चोर बाजार में बेचना**

751. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दीवार घड़ियां तथा छोटी घड़ियां आदि आयातित वस्तुएं बड़ी मात्रा में बम्बई तथा कलकत्ता में जोर बाजार में बिकती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार की चोरबाजारी को रोकने के लिये क्या कायवाही की है ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णामाचारी):** (क) मोटे तौर से ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि घड़ियों जैसी उपभोक्ता वस्तुएं (चाहे वे वध तरीके से आयात की गयी हों अथवा चोरी छिपे लायी गयी हों) बम्बई, कलकत्ता तथा देश में अन्य स्थानों पर बेची जा रही हैं ।

(ख) जब कभी सीमा शुल्क अधिकारियों के पास विश्वसनीय सूचना होती है कि किसी दुकान अथवा स्थान पर चोरी छिपे लायी गयी वस्तुओं का स्टाक मौजूद है, उन स्थानों की सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा तलाशी ली जाती है और वहां पायी गयी अवैध वस्तुएं, सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के लिए, पकड़ ली जाती हैं। बड़े बड़े सीमा शुल्क कार्यालयों में जब्त की गयी उपभोक्ता वस्तुओं को विभागीय खुदरा दुकानों में वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचने की व्यवस्था भी है। यह व्यवस्था ऐसी वस्तुओं को काले बाजार में पहुंचने से रोकने के लिए की गयी है।

**भारत में मकानों की समस्या**

**752. श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
**श्री दे० द० पुरी :**

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने फोर्ड प्रतिष्ठान के कलकत्ता स्थित कार्यालय के श्री अल्फ्रेड वान योक द्वारा हाल में अन्तर्राष्ट्रीय स्थानीय प्राधिकार संघ को प्रस्तुत प्रतिवेदन की जांच की है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में मकानों की समस्या संसार में सब से गंभीर है और उसे हल करन को प्रगति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा यदि समस्या को शीघ्र हल करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य योजना के अन्त तक कितना पूरा हो जायेगा ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) फोड प्रतिष्ठान के श्री अल्फ्रेड वान योक की रिपोर्ट विशेष रूप से कलकत्ता शहर की आवास समस्याओं से संबंधित है, न कि सम्पूर्ण भारत से। उसमें केवल सामान्य रूप से यह उल्लेख हुआ है "भारत के सामने नागरीकरण की समस्या सब से बड़ी है जितनी कि संसार में कभी नहीं हुई"।

(ख) रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई करना मुख्यतः पश्चिमी बंगाल के लिए है।

(ग) यह अनुमान किया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गयी वितीय व्यवस्था का 84 प्रतिशत तक उपयोग हो जावेगा। फिर भी भवन निर्माण तथा मज़दूरी की सामान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भौतिक रूप से लक्ष्य की उपलब्धि कम होगी।

**विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिये मकान**

**753. श्री अ० व० राघवन :** क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकार को अभ्यावेदन किया है कि योजनाओं के अन्तर्गत विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिये मकानों की पृथक व्यवस्था की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय किया गया है ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां। इस मंत्रालय की सामाजिक आवास योजनाओं में उपलब्ध निधियां सीमित हैं, उनमें से विद्यार्थियों और शिक्षकों को विशेष नियतन करना संभव नहीं है। मामले को शिक्षा मंत्रालय के पास भेज दिया गया है जो कि इस प्रस्ताव से मुख्यतः संबंधित है।

## आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण

754. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा केरल में बाढ़ नियन्त्रण उपायों के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(घ) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं; और

(ङ) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

**सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

## सिंचाई सुविधाओं का लाभ उठानें वालों पर सुधार कर

755. **श्री हेडा** : **श्री लक्ष्मी दास** :
**श्री कोल्ला वेंकैया** : **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
**श्री म० ना० स्वामी** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई परियोजनाओं से लाभ उठाने वालों पर सुधार शुल्क लगाने के निर्णय पर किन किन राज्य सरकारों ने अमल किया है ;

(ख) किन किन राज्य सरकारों ने इस निर्णय पर अमल करने से इन्कार किया है अथवा इस पर अमल करने में अपनी कठिनाइयां व्यक्त की है ; और

(ग) उन्होंने क्या मुख्य कठिनाइयां बताई हैं और उन्हें दूर करने के लिय क्या उपाय किये गये हैं ?

**सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जम्मू और काश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को छोड़ कर, सभी राज्यों में समुन्नति कर के लिये कानून पहले से ही पास कर दिये गये हैं। जम्मू और काश्मीर में सरकारी आदेश द्वारा समुन्नति कर लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में सुधार कार्य से लाभ प्राप्त करने वाले क्षेत्र में "बंगाल विकास कानून" के अन्तर्गत सुधार शुल्क लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कर लगाने के लिये वैधानिक अथवा अन्य कोई भी प्रबन्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग): किसी राज्य सरकार ने इस फैसले को अमल में लाने से इन्कार नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का विचार है कि वैधानिक पग उठाने से पूर्व इस मामले पर काफी सोच विचार करना चाहिये।

## Import of Drugs

756. **Shri Bagri:** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have banned the import of some foreign-made life saving drugs;

(b) if so, whether the import of Kanamycin has also been banned; and

(c) the reasons for banning the import of such drugs?

**The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) :** (a) In accordance with the Import Trade Control Policy for the year April, 1965—March, 1966, the import of certain drugs, inluding some drugs which can be regarded as life saving drugs, is not allowed.

(b) No. There is no ban on the import of Kanamycin.

(c) The ban has been placed on the import of certain drugs after taking into account their domestic demand, their indigenous production and their non-essential character from therapeutic point of view.

## Prices in Delhi

757. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the prices of non-controlled commodities in the capital are rising higher and are beyond control; and

(b) if so, the reasons therefor?

**The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) :** (a) and (b). As a result of paucity of supplies in the local market and higher prices in the supplying areas, prices of some non-controlled commodities have shown a rise in the current lean season. The Delhi Administration has taken measures to augment supplies in the local market and to regulate distribution of some of these commodities. In the case of some non-controlled commodities on the other hand, prices as on August 13, 1965 were below the levels prevailing a year ago.

## दिल्ली में लू से मृत्यु

758. **श्री बागड़ी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई-जुलाई 1965 में लू लगने से कितने व्यक्तियों की मृत्यू हुई ; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किये हैं ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) दिल्ली में मई से जुलाई, 1965, तक लू से लगने वालों की संख्या 17 थी ;

(ख) महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टापों, स्कूलों और रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न अभिकरणों द्वारा पीने के पानी को व्यवस्था करने के लिये विशेष प्रबन्ध किये जा रहे हैं । लू लगने वाले रोगियों के इलाज के लिये अस्पतालों में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करा दी गई है ।

## कोपिली बिजली घर

759. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना अयोग ने कोपिली विद्युत् परियोजना को पांचवां पंचवर्षीय योजना तक स्थगित करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

**सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु०ल० राव)** : (क) जी नहीं। असम सरकार ने अपने चौथी योजना के ज्ञापन में कोपिली पन-बिजली परियोजना को पांचवीं योजना के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया है।

(ख) कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान अभी पूरे नहीं किये गये हैं।

(ग) इस समय इसका प्रश्न नहीं उठता।

**मध्य प्रदेश में पानी की समस्या वाले गांवों में पानी की व्यवस्था करना**

**760. श्री विद्या चरण शुक्ल : श्री वाडीवा :**
**श्री अ० सिं० सहगल : श्री चांडक :**
**श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : श्रीमती मैमूना सुल्तान :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश के पानी की समस्या वाले 13,229 गावों के लिये, जहां पानी की व्यवस्था के कोई साधन नहीं हैं, जल संभरण परियोजना आरंभ करने के लिये एक इंजीनियरी विभाग (डिवीज़न) तथा पांच उपविभाग (सब-डिवीज़न) खोलने के लिए अब भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को अपनी स्वीकृति भेज दी है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : मार्च 1963 में मध्य प्रदेश में पानी की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिये राज्य सरकार से मंजूरी दी गई कि एक जांच विभाग (डिवीज़न) और चार उपविभागों बनाये जाए। अप्रैल, 1965 में मध्य प्रदेश सरकारने मांग की थी कि राज्य के लिये एक ऐसा सर्किल बनाने की मंजूरी दी जाये जिसमे 6 डिवीजन तथा 40 सब-डिवीजन हो। राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि इस समय बने हुए सर्किलों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं को बनाने के लिए किया जाये।

**थेनियर मुकाम बांध**

761. **श्री मणियंगाडन** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में थेनियर मुकाम में बांध बनाने का कार्य किया जा रहा है ;

(ख) अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) कार्य कब आरम्भ किया गया था तथा वह कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) कार्य पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) जी, हां।

(ख) दराज का लगभग एक तिहाई भाग पूर्ण हो चुका है।

(ग) इस स्कीम पर कार्य अक्तूबर, 1958 में आरम्भ किया गया था, और आशा है यह स्कीम 1969 में पूर्ण हो जाएगी।

(घ) नींव सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण देरी हो गई, क्योंकि इससे डिजाइन में तब्दीली करना आवश्यक हो गया था। भूमि की निचली तहों के अधिक भार उठाने की असमर्थता के कारण अन्य सभी संगठक भागों के भी डिजाइनों का पुर्नरीक्षण करना पड़ा था।

**पहाड़ी क्षेत्रों में आय-कर से छूट**

762. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि असम तथा नागालैंड के पहाड़ी जिलों की समस्त आदिम जातियां को आय कर से छूट देने के परिणामस्वरूप इस क्षेत्रों में अनियमितता काफी बढ़ गई है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस छूट की आड़ में काला धन कमाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उन क्षेत्रों में प्रारंभिक उपाय के रूप में ऊपरी छूट दे कर उन पर आयकर लगायेगी ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख) : जी, नहीं । असम तथा नागालैंड के पहाड़ी जिलों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के सदस्यों को आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा दी गई छूट के दुरुपयोग का कोई विशेष मामला अभी तक सरकार की निगाह में नहीं आया है ।

(ग) जो कुछ ऊपर कहा गया है उसे मद्देनजर रखते हुये यह सवाल ही नहीं उठता ।

### प्रबन्ध अभिकरण

763. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा प्रबन्ध आयोजित अभिकरणों सम्बन्धी गोष्ठी में व्यक्त किये गये विचारों तथा दिये सुझावों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : यदि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ अभ्यावेदन भेजे तो कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 की धारा 324(1) के अन्तर्गत 4 जनवरी, 1965 को नियुक्त की गई प्रबन्ध अभिकरण समिति गोष्ठी में व्यक्त किये गये विचारों और दिये गये सुझावों पर विचार कर सकती है ।

### Postponement of Housing Ministers' Conference

764. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state:

(a) whether the Housing Ministers' Conference, due to be held at Srinagar on the 9th July, 1965 was postponed;

(b) if so, the reason therefor; and

(c) the date when it is likely to be held?

**The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna)**: (a) Yes.

(b) The Planning Commission was then having discussions with the State Chief Ministers regarding the Fourth Plan. Thereafter, that Plan was to be discussed by the National Development Council. It was therefore considered desirable to hold the Conference after these deliberations were over, so that a clear picture of the outlay on housing in the Fourth Plan might be available to the Housing Ministers during the Conference discussions.

(c) The revised dates for the Conference have not yet been decided.

### Brick Plant in Delhi

765. **Shri Bagri:** Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state:

(a) whether the National Building Organisation propose to instal a plant for the production of bricks in Delhi?

(b) the number of bricks to be manufactured therein each year;

(c) the expenditure likely to be incurred thereon; and

(d) the number of persons likely to get employment therein?

**The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) :** (a) The National Buildings Construction Corporation Limited (and not the National Buildings Organisation) proposes to set up a mechanised brick making plant in Delhi.

(b) 400 lakhs approximately.

(c) Rs. 25 lakhs approximately.

(d) About 250.

## पंचेत बांध

766. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के पंचेत बांध में लगातार अत्यधिक मात्रा में मिट्टी के जमा हो जाने से अधिकारी बहुत चिन्तित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

**सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) पंचेत बांध में गाद भर जाने की गति साधारण से अधिक रही है परन्तु इतनी अधिक नहीं कि जिस से खतरा पैदा हो गया हो।

(ख) दामोदर नदी के वाह क्षेत्र में, जिस में पंचेत बांध का वाह क्षेत्र भी सम्मिलित है, भूमि संरक्षण उपायों को प्रथम योजना अवधि के दौरान आरम्भ किया गया था। इस अवधि में 22.16 लाख रूपयों की लागत पर 2210 हैक० (5,462 एकड़) भूमि का संरक्षण किया गया था। द्वितीय योजना अवधि में इन कार्यक्रम में तेजी लाई गई और 4,458 लाख रुपये की लागत पर 24,100 हैक० (59,566 एकड़) क्षेत्र भूमि का संरक्षण किया गया। तृतीय योजना अवधि में इस काम में और तेजी लाई गई है और इस में 280.26 लाख रुपये की लागत से 81070 हैक० (200,329 एकड़) क्षेत्र के संरक्षण की संभावना है। इस प्रकार, तृतीय योजना के अन्त तक 347 लाख रुपये की लागत पर लगभग 1,07,386 हैक० (2,65,357 एकड़) क्षेत्र के संरक्षण की संभावना है। वर्तमान योजना अवधि में पंचेत बांध के वाह क्षेत्र में भूमि संरक्षण उपायों को प्राथमिकता दी गई है।

## परिवार नियोजन सम्बन्धी गोष्ठी

767. **श्री राम हरख यादव :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई 1965 में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्था के तत्वाधान में एक अखिल भारतीय गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में भाग लेने वालों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जन्म दर तथा जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिये क्या निर्णय किये गये हैं ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4338/65**]

## दिल्ली में गृह-निर्माण

**768. श्री सोलंकी :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में गृह-निर्माण के लिये निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जायेगा।

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कितनी कसर रह जाने की संभावना है ;

(ग) श्रमिकों के लिये और कम तथा मध्यम आय वाले वर्गों के लिये मकानों की यह कमी कितनी-कितनी है ; और

(घ) कमी के कारण क्या हैं ?

**निर्माण और आवास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क), (ख) और (ग) : इस मंत्रालय की सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत स्थिति निम्न प्रकार है :–

| | | मकानों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | योजना | तृतीय योजना का लक्ष्य | अब तक तैयार हुए | तीसरी योजना के अन्त तक संभावित उपलब्धि | कमी (–) आधिक्य (+) |
| 1 | आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना . | 1,436 | 936 | 936 | —500 |
| 2 | निम्न आय वर्ग आवास योजना . | 2,500 | 3,301 | 3,301 | +801 |
| 3 | मध्य आय वर्ग आवास योजना . | 1,250 | 1,222 | 1,250 | कुछ नहीं |
| 4 | ग्रामीण आवास योजना . | 250 | 176 | 250 | कुछ नहीं |
| 5 | गन्दी बस्ती सफाई तथा झुग्गी झोंपड़ी हटाने की योजनायें . | @ 50,000 | @ 21,542 | 32,175 | —17,825 |
| | | 55,436 | 27,177 | 37,912 | —17,524 |

@इनमें 80 वर्ग गज़ तथा 25 वर्ग गज के विकसित प्लाट शामिल हैं।

(घ) समुचित भूमि का न मिल सकना, सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर गैरकानूनी तौर पर बैठे लोगों और गन्दी बस्ती की सफाई में कानूनी कठिनाईयां तथा सीमेन्ट की कमी आदि।

## सेवानिवृत्ति सम्बन्धी नियम

**770. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के बहुतसे अराजपत्रित कर्मचारी, जिन्हें पदोन्नति के अवसर नहीं मिल सके, समय से पहले ही सेवानिवृत्ति होना चाहते हैं, यदि सेवा निवृत्त संबंधी नियमों में इस प्रयोजन के लिये छूट दी जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार इस उद्देश्य से सेवा निवृत्ति नियमों में और भी उदारता की व्यवस्था करने के लिये एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसे कर्मचारी जो अपने वेतनक्रम की अधिकतम सीमा तक पहुंच गए हैं और जिनके लिये पदोन्नति के कोई अवसर नहीं है, यदि नियमों में उचित छूट दी जाये, तो वे पहले ही सेवानिवृत्त होना चाहेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो यह मामला अब किस अवस्था में है तथा इस पर कब तक निर्णय किया जाने की संभावना है ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है कुछ व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप से और सामुहिक रूप से यह मांग की है कि सेवा-निवृत्त होने की 55 वर्ष की आयु और स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की 30 वर्ष की सेवा को और कम कर दिया जाये।

(ख) कोई विशिष्ट प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ग) ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

### परिवार नियोजन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी

**771. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गर्भपात तथा संतति निग्रह के अन्य साधनों को वैध करार देने के प्रश्न पर इस वर्ष बम्बई में जुलाई में त्रिदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय चिकित्सा गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या मुख्य सुझाव दिये गये ; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां।

(ख) (1) भारत जैसे बड़े देश के लिये केवल एक आधुनिक गर्भनिरोध पद्धति प्रयोग में नहीं लायी जा सकती।

(2) गर्भपात को परिवार नियोजन के लिये एक तरीका नहीं बनाना चाहिये और इस के बारे में कानून नहीं बनाया जाना चाहिये।

(3) तीनों पद्धतियों अर्थात् (क) गर्भाशयान्तर निरोधक उपकरण (ख) मुहं से खाने की गोलियां (ग) पोस्ट-मारटम बन्धीकरण और पुरुषों का बन्धीकरण को प्रयोग में लाना चाहिये और लोगों की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहियें।

(ग) इस समय सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम में गर्भाशयान्तर निरोध उपकरण, बन्धीकरण तथा कन्स्ट्रासेप्टिव की सप्लाई जारी रखने का विचार रखती है।

### गलगण्ड (गोयटर)

**772. श्री किन्दर लाल :**

**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

**डा० सारादीश राय**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तरी भारत के गलगण्ड-पीड़ित क्षेत्र में गलगण्ड रोग का सर्वेक्षण करने के लिये एक दल बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) गलगण्ड स्थानिकमारी क्षेत्रों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, बिहार, नागा पहाड़ियां और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के कुछ भाग में गलगण्ड की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिये 1959 में दो सर्वेक्षण दलों का निर्माण किया गया था। इसके पूर्व की एक सर्वेक्षण परियोजनाने पंजाब के कतिपय जिलों का सर्वेक्षण किया था।

(ख) और (ग) : अब तक सर्वेक्षित राज्यों/जिलों में हुई गलगण्ड की घटनाओं का विवरण इस प्रकार है :—

| राज्य | जिला | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | बिलासपुर | 25.7 |
| | महासू | 39.9 |
| | मण्डी | 20.9 |
| | सिरमुर | 35.8 |
| उत्तर प्रदेश | देहरादून | 39.8 |
| | बिजनौर | 26.3 |
| | नैनीताल | 36.0 |
| बिहार | चम्पारन | 40.0 |
| | सारन | 35.5 |
| | मुजफ्फरपुर | 41.7 |
| | दरभंगा | 23.2 |
| | सहरसा | 20.5 |
| | पूर्णिया | 26.5 |
| | संथाल-परगना | 23.5 |
| | हजारीबाग | 8.3 |
| | रांची | 11.8 |
| | पलामु | 2.3 |
| पंजाब | कांगड़ा | 41.17 |
| | होशियारपुर | 40.3 |
| | गुरदासपुर | 52.3 |
| नागा हिल्स | कोहिमा | 32.5 |
| | मोकुकचंग | 26.1 |
| | टयून्सांग | 50.2 |
| जम्मू एवं काश्मीर | उधमपुर | 31.0 |
| पश्चिम बंगाल | दार्जिलिंग | 33.0 |
| | जलपायगुड़ी | 30.0 |

इन क्षेत्रों को आयोडित/आयोडीकृत लवण दिया गया। काफी हद तक गलगण्ड की घटनाओं में कमी हो गई, विशेषतया स्कूल जाने वाले बच्चों में ये घटनायें 37.6 प्रतिशत से गिरकर 19.1 प्रतिशत हो गयी हैं। सामान्य जनता में इस रोग की घटनाएं 42.4 प्रतिशत से घटकर 18·1 प्रतिशत हो गई है।

जून 1965 तक आयोडिकृत लवण की निम्नलिखित मात्राएं दी गई हैं :—

| | टन |
|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | 2,856.5 |
| बिहार | 8,772.5 |
| पंजाब | 7,076.0 |
| उत्तर प्रदेश | 4,264.5 |
| मणिपुर | 135.0 |
| नीफा | 315.0 |

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष आयोडीकृत लवण के उपकरणों की व्यवस्था करने में सरकार को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान कर रही है। सांभर और कलकत्ता में आयोडाइजेशन प्लाण्ट पहले ही लगाया गया है। अगले वर्ष तक खरगोदा में एक नया संयंत्र लगाया जाना है और सांभर और कलकत्ता की एककों को अतिरिक्त लाइनें दी जानी हैं। जब ये कार्य पूर्ण हो जायेंगे तो इनसे देश की गलगण्ड पीड़ित क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी।

## परिवार नियोजन सप्ताह

773. **श्री राम हरख यादव :**
**श्री रा० बरुआ :**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये जुलाई में देश-व्यापी परिवार नियोजन सप्ताह मनाया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस में कितनी सफलता मिली ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी, हां। 15 जुलाई, 1965 से एक परिवार नियोजन जानकारी सप्ताह मनाया गया था। इस का मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान नये गर्भाशियान्त निरोध-उपकरण की ओर दिलाना था और उन को जानकारी देनी थी कि यह एक गर्भधारण से बचने के लिये सुरक्षित, प्रभावी और सरल तरीका है।

(ख) यद्यपि राज्य सरकारों से सप्ताह मनाये जाने के बारे में ब्यौरेवार जानकारी नहीं आयी है, फिर भी जो जानकारी प्राप्त हुई है कि सभी राज्यों में सप्ताह, गोष्ठियों और प्रदर्शनियों द्वारा मनाया गया। स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये गये और आकाशवाणी पर बातचीत, संवाद आदि हुए। इस बात के संकेत मिले है कि सप्ताह सफल रहा।

## आवास मंत्रियों का सम्मेलन

774. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
**श्री म० ना० स्वामी :**
**श्री लक्ष्मी दास :**

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री 18 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1964 में हुए आवास मन्त्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर सरकार ने इस बीच क्या कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) से (ग) : सम्मेलन ने 44 सिफरिशें की थीं जिन में से 13 राज्य सरकारों के लिये थीं । राज्य सरकारों को उन पर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है । 13 सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी है और राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है । 4 सिफारिशों को आवास मंत्रियों के आगामी सम्मेलन के सामने रखा जायगा और दो पर अभी कोई कार्यवाही नहीं होनी है । शेष 12 पर विचार हो रहा है । इस बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4640/65।]**

## देहातों के लिये पेय जल की व्यवस्था

775. **श्री तन सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने प्रत्येक देहात में पेय जल की व्यवस्था करने के लिये कोई बृहद् योजना तैयार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ? और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) भारत सरकार को किसी ऐसी बृहद् योजना की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

## जन्मदर

776. **श्री तन सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन योजना के चालू होने के बाद से जन्म दर में हुई कमी का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी हां, कुछ क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया गया है ।

(ख) (1) पश्चिमी बंगाल के सिंगुर स्वास्थ्य केन्द्र में 1957 में जन्म दर 42 प्रति हज़ार था और 1961 में कम होकर यह 36.9 प्रतिहज़ार हो गया ।

(2) मदुरई जिले में गांधीग्राम के अथूर पंचायत युनियन में जन्मदर 1964 में 1962 के 43.61 प्रति हज़ार जन्म दर से कम होकर 37.72 प्रति हज़ार हो गया है।

(3) अहमदनगर, पुना, सतारा, सांगली, शोलापुर और कोल्हापुर ज़िलों में 1964 में जन्मदर 1960 के 32.1 प्रति हज़ार के जन्म दर से कम हो कर 28.2 प्रति हज़ार हो गया है।

### सिंचाई और जल निस्सारण सम्बन्धी कांग्रेस

**777. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई और जल निःसारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग कांग्रेस जनवरी, 1966 में नई दिल्ली में होगी ;

(ख) इस कांग्रेस में किन विषयों पर चर्चा की जायेगी ;

(ग) कांग्रेस कितने दिन रहेगी ;

(घ) क्या इस कांग्रेस के आयोजन का प्रभारी केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड होगा ;

(ङ) इस कांग्रेस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(च) क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अंशदान के अतिरिक्त गैर सरकारी वाणिज्य तथा उद्योग संस्थानों द्वारा भी अपने संगठनों के जरिए अंशदान दिये जाने की आशा है ?

**सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) :** (क) जी, हां।

(ख) जिन मुख्य विषयों पर विचार किया जाना है वे निम्नलिखित हैं :—

(1) सिंचाई के अधीन खारी भूमि का कृष्यकरण।

(2) सिंचाई तथा निकास नालियों में गाद।

(3) डैल्टा क्षेत्रों का विकास।

(4) सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण तथा अन्य उद्देश्यों के लिये जलाशयों का अनुकलित प्रचालन।

(ग) 4 जनवरी, 1966 से 15 जनवरी, 1966 तक 12 दिन।

(घ) जी, हां।

(ङ) लगभग 7.5 लाख रुपये।

(च) जी, हां। प्राइवेट सेक्टर का अंशदान सर्वथा स्वैच्छिक है।

### विदेशों में जाने वाले गैर-तकनीकी कर्मचारी

**778. श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1965 से 31 जुलाई, 1965 की अवधि तक केन्द्रीय सरकार के कितने गैर-तकनीकी कर्मचारी विदेश गये तथा उनके पद क्या हैं ;

(ख) उक्त कर्मचारी किस प्रयोजन से विदेश गये ; और

(ग) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा तथा रुपया व्यय हुआ ?

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) से (ग) : आवश्यक सूचना विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही उसे सभा की मेज पर रखा दिया जायगा।

## कैंसर सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

779. **श्री राम सेवक :**

**श्री फ० गो० सेन :**

**श्री जसवंत मेहता :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंसर नियंत्र, उसका इलाज तथा तत्सम्बन्धी अनुसन्धान सुविधाओं के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## State Bank Employees' Association

780. **Shri Madhu Limaye:**

**Shri Ram Sewak Yadav:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether any new agreement has been arrived at between the State Bank Employees' Association and the Bank Management; and

(b) if so, the details thereof?

**The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) :** (a) Yes.

(b) The agreement provides for the revision, with effect from the 1st August 1965, of the scales of pay of clerical and subordinate staff, at an estimated cost of about Rs. 27 lakhs per annum. The immediate benefit in the case of the clerical staff varies from Rs. 6 to Rs. 65 per mensem and in the case of the subordinate staff from Rs. 3·25 to Rs. 20 per mensem. It is estimated that about 30,000 employees of the bank will be benefited as a result of the revision of the scales of pay.

## ऊपरी तुंगभद्रा योजना

781. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने ऊपरी तुंगभद्रा योजना के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि इस योजना के लिये भूतपूर्व मद्रास, बम्बई तथा हैदराबाद राज्यों ने वर्ष 1892 में सर्वेक्षण किया था ?

**सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव)** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग केवल तभी राज्य सरकार की ओर से अनुसन्धान हाथ में लेते हैं जब कि इस के लिये विशेष रूप से प्रार्थना की गई हो, और जब सम्बद्ध राज्य सरकार/सरकारें उसका खर्च देना मान लें। जहां तक इस स्कीम का सम्बन्ध है, अभी तक ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) राज्यों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## Investment of Foreign Capital in India

782. **Shri Madhu Limaye:**
**Shri Ram Sewak Yadav:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total amount of foreign capital invested in India at present;

(b) the country-wise break-up of the same; and

(c) the amount of increase in the investment of foreign capital, country-wise, that has taken place during the last 18 years as also the manner in which that increase took place?

**The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) :** (a) to (c). The latest information about foreign investments in India has been compiled by the Reserve Bank of India in their 'Survey of India's Foreign Liabilities and Assets' as at the end of 1961. Two statements showing the position of Foreign Investment in India as at the end of 1961 are placed on the Table of the Lok Sabha. **[Placed in the Library, see No. L.T. 4641/65.]** For the subsequent period, the information about the actual inflow of foreign investment is not known. However, information showing the approvals accorded for foreign investment during years, 1962 to 1964 is indicated in Statement I.

### STATEMENT I

Country-wise break-up of outstanding foreign business investments

(Rs. crores)

| Name of the country | As at the end of 1961 | Approvals recorded | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1962 | 1963 | 1964 |
| Germany (West) . . . | 10·5 | 1·75 | 1·75 | 5·27 |
| Japan . . | 3·2 | 0·24 | 1·22 | 0·48 |
| Switzerland . . . | 9·3 | 0·50 | 1·04 | 1·37 |
| U.K. . . . . | 447·6 | 7·44 | 9·34 | 13·12 |
| U.S.A. . . . . | 95·9 | 10·90 | 13·29 | 5·10 |
| Other countries . . . | 114·5 | 5·53 | 5·56 | 3·86 |
| | 681·0 | 26·36 | 32·20 | 29·20 |

## राष्ट्रपति भवन में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी की मृत्यु

783. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1965 के आरम्भ में राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के काम कर रहे एक कर्मचारी की दम घुटने तथा विषैली गैस से मृत्यु हो गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस के बचाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी ;

(ग) क्या इस मृत्यु की कोई जांच की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के परिणाम क्या हैं ?

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) जी, हां।

(ख) मजिस्ट्रेट के द्वारा दुर्घटना की जांच कराने का अनुरोध दिल्ली के चीफ कमिशनर से किया गया है।

## Gandhisagar Dam

784. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that water in Gandhisagar Dam has risen to the full level;

(b) if so, the places where thermal and diesel stations would be closed down as a result thereof; and

(c) the time by which full load of electricity is likely to be made available to Rajasthan?

**The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :** (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise so long as there is no substantial rise in the water level of Gandhisagar Dam.

## कैंसर की दवा

785. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैनीताल के पास 'चाइना पीक' पर एक ऐसी जड़ी बूटी मिली है जिससे कैंसर का इलाज किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परीक्षण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** (क) इस प्रकार के समाचार हैं।

(ख) चित्तरंजन नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर, कलकत्ता ने इस जड़ी बूटी पर प्रयोगशाला में परीक्षण आरम्भ कर दिया है।

## Nutritious Diet Programme

786. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether Government propose to draw a comprehensive Nutritious Diet Programme;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the date by which it is likely to be implemented?

**The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) :** (a) to (c). Government have no proposals for a comprehensive Nutritious Diet Programme. However, there is a proposal to start a Supplementary Feeding Programme for toddlers and pre-school children of the age-group 1-6 years during the Fourth Five Year Plan as a Centrally-aided scheme with a view to improving their nutritional status The details of the scheme are yet to be worked out. Besides the expanded nutrition programme under the Ministry of Community Development, which has the objective of production and distribution of protective foods to the Vulnerable groups such as pre-school children, pregnant & nursing women will be further expanded to improve the nutrition of the children.

### Ghazipur Opium Factory

787. **Shri Sarjoo Pandey:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to parts (b) and (c) of the Unstarred Question No. 1033 on the 11th March, 1965 and state:

(a) whether Government have since taken any decision on the representation of the Laboratory Attendants of Ghazipur Opium Factory; and

(b) if not, the reasons for the delay?

**The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) :** (a) and (b). The necessary data is being collected for considering the issue in all its aspects.

### L.I.C. Buildings in Srinagar

788. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 694 on the 1st April, 1965 and state:

(a) the causes of fire that broke out in the Life Insurance Corporation Building in Srinagar on 11th March, 1965; and

(b) the action taken by Government in the matter so far?

**The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) :** (a) and (b). The results of the investigation by the local police referred to in reply to Question No. 694 by Shri Surendra Pal Singh on the 1st April, 1965 have not yet been received. Government have, therefore, nothing to add to the aforesaid reply.

### माल यातायात का सर्वेक्षण

789. **श्री रा० बरुआ :**

**श्री द्वारका दास मंत्री :**

**श्री बसमतारी :**

**श्री बागड़ी :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में आकर मिलने वाले पांच राष्ट्रीय राजपथों पर माल के यातायात का हाल ही में सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4042/65**]

**नर्सों को ट्रेनिंग देना**

**790. श्री वारियर :**

**श्री वासुदेवन नायर :**

**श्री प्रभात कार :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल से कुछ लड़कियों को भर्ती किया गया है जिन्हें पश्चिम जर्मनी में नर्स बनने की ट्रेनिंग दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो जर्मनी में उनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी ?

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां।

(ख) उन की सेवा की शर्तें वहीं हैं जो जर्मनी में नर्सों की तथा प्रशिक्षणार्थियों की हैं। जैसे वीसलाक के अस्पतालों में कुल वेतन 530 डी० एम० है। इस में से खाने, रहने और वस्त्रों आदि के खर्च के पश्चात लगभग 180 डी० एम० उन के पास बच रहता है। कलोगन में दो वर्षों के लिये नकद भत्ता 100 डी० एम० है और तीसरी वर्ष में यह 200 डी० एम० है।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संबंधी अध्ययन दल का प्रतिवेदन**

**निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेर चन्द खन्ना)** : मैं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संबंधी अध्ययन दल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। दखिय संख्या एल० टी० 4622/65**]

**केरल राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाएं**

**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(एक) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल नगरपालिकायें, अधिनियम, 1960 की धारा 345 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत एस० आर० ओ० 41/64 जो दिनांक 25 फरवरी, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा नगर परिषदों द्वारा वार्षिक वित्त-विवरण तैयार करने और रखे जाने वाले लेखे से सम्बन्धित नियमों में कुछ संशोधन किये गये हैं ? [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4623/65**]

(दो) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित त्रिवेन्द्रम नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1960 की धारा 137 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत एस० आर० ओ० 260/65 जो दिनांक 22 जून, 1965 के केरल राज पत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा त्रिवेन्द्रम नगर सुधार न्यास कर्मचारी नियम, 1962, में कुछ संशोधन किये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4624/65]**

**दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत वर्ष 1963-64 के लिए दामोदर घाटी निगम के वार्षिक प्रतिवेदन और उसके लेखों पर परीक्षा प्रतिवेदन, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4625/65]**

**केरल विद्युत् (संभरण) अधिनियम 1948 की धारा 69 के अधीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन**

**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं : (1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में 24, मार्च 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल विद्युत् (संभरण) अधिनियम 1948 की धारा 69 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :-

(एक) वर्ष 1961-62 के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड के वार्षिक लेखों पर परीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4626/65]**

(दो) वर्ष 1962-63 के लिए केरल राज्य विद्युत् बोर्ड के वार्षिक लेखों पर परीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4627/65]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल विद्युत (संभरण) अधिनियम, 1948 की धारा 75 (आई ए) के अन्तर्गत वर्ष 1961-62 के लिए केरल राज्य विद्युत् बोर्ड के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4628/65]**

**केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1965**

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू)** : मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1965, की एक प्रति जो दिनांक 14 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1959 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4629/65]**

---

## मंत्री-परिषद् मे अविश्वास का प्रस्ताव-जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—*Contd.*

**प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : प्रत्येक सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पेश करना कोई अच्छी बात नहीं है और विशेष कर वर्तमान स्थिति

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

में यह पेश नहीं किया जाना चाहिये था । मैं श्री मसानी का आभारी हूं कि उन्होंने कुछ अच्छी बातें कहीं । हमारी नीतियों पर मुख्य प्रहार यह किया जाता है कि हमारी योजना बहुत बड़ी है और यह हमारे लिये बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न करेगी । परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश का आर्थिक विकास करना बहुत जरूरी था और इसलिये इसी पर सबसे अधिक जोर दिया गया है । यह जरूरी समझा गया कि देश का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाये । इसलिये पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं ।

हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक है । बहुत समय तक पराधीन रहने के कारण हम प्रत्येक दिशा में बहुत पिछड़े हुए हैं । इसलिये हमें उस पिछड़ेपन को दूर करना है और यही कारण है कि योजनाएं काफी बड़ी बनानी पड़ती है । इसके बावजूद भी हमने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उनके पूरा होने पर भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ती नहीं होती है । हमें पिछली योजना में की गई प्रगति को आगे बनाए रखने के लिये बड़ी योजना बनाने के लिये बाध्य होना पड़ता है । अन्यथा हमारा विकास रुक जायेगा और देश में गरीबी बनी रहेगी ।

देश को बड़ी बड़ी योजनाओं की आवश्यकता है । यहां तक कि देश के उद्योगपति भी यही चाहते हैं कि योजना और भी अधिक बड़ी हो । वे चाहते हैं कि उन्हे बाहर से सहायता मिलती रहनी चाहिये । परन्तु सरकार यही चाहती है कि हमें बाहर से सहायता न लेनी पड़े । मैं यह नहीं कहता कि हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है परन्तु हमारा उद्देश्य यह है कि हम बाहर से कम से कम सहायता प्राप्त करें । योजना आयोग में इससे भी बड़ी योजना का सुझाव दिया गया था । परन्तु हमें अपने संसाधनों को भी ध्यान में रखना है और इसलिये 21,500 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकार किया गया ।

हमें अपनी संसाधन स्थिति का लगातार ध्यान रखना होगा । नए साधनों को जुटाने की कोशिश की जायेगी । हमें आशा है कि हम योजना के लिये साधन जुटा सकेंगे । नए कर लगाये जा सकते हैं । साथ साथ यह भी देखा जायेगा कि कोई कर इतना न बढ़ाया जाये कि उसे बढ़ाने से सरकार को कोई अतिरिक्त राशि ही प्राप्त न हो । क्योंकि हम धन तथा संसाधनों के प्रवाह को बनाए रखना चाहते हैं ।

जहां तक योजना के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने का प्रश्न है, **स्थिति** अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है । परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इस दिशा में भरसक प्रयत्न किये जायेंगे ।

एक समाजवादी देश में सार्वजनिक क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है । सार्वजनिक क्षेत्रका अधिक से अधिक विस्तार किया जाना जरूरी है । कुछ सार्वजनिक कारखानों को छोड़ कर अन्य कारखाने बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं । यदि हम इन कारखानों को मुनाफे पर नहीं चला सकेंगे तो अवश्य ही इस मामले पर पुनर्विचार किया जायेगा । परन्तु मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ वर्षों में ये कारखाने निजी कारखानों से भी अच्छी प्रगति करके दिखा सकेंगे । इनके प्रबन्ध में काफी सुधार किया गया है और आगे भी सुधार किया जा रहा है । निजी उद्योगों में भी अपना योगदान देना है । सरकार उनकी यथासंभव सहायता करेगी ताकि वे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सकें ।

मैं अपने देश की अन्य देशों से तुलना नहीं करना चाहता । परन्तु यह प्रचार किया जा रहा है कि पाकिस्तान अधिक गति से प्रगति कर रहा है । इसके विपरीत पाकिस्तान में काफी समय तक प्रगति की गति बहुत धीमी रही है । केवल 1959–60 से ही वहां

प्रगति की गति तेज हुई है। यह पांच प्रतिशत से अधिक है। 1964–65 में भारत में प्रगति की दर हाल ही में प्रकाशित किये गये अनुमानों के अनुसार 7.33 प्रतिशत थी। परन्तु इस बात को नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि वहां अमीरों तथा गरीबों के बीच अन्तर बहुत अधिक है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे यहां असमानताएं पूर्णतया समाप्त हो गई हैं। यहां पर भी असमानताएं हैं। एक वर्ग विशेष मे बहुत अधिक लाभ उठाया है हालांकि हमारा प्रयत्न बहुमुखी विकास करने का रहा है। कुछ वर्गों का शोषण हुआ है परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बहुत अधिक संख्या में देशवासियों को योजनाओं तथा कार्यक्रमों से लाभ पहुंचा है यह भी, बात है कि हमारी जनसंख्या तथा हमारे देश के आकार की तुलना में पाकिस्तान को बाहर से हमारे से दुगुणी सहायता प्राप्त हुई है। इस सहायता से ज्यादा विकास हो सकता है।

देश में खाद्य स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं है। पिछले डेढ़ महीनों में हमें बड़ी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा है। वर्षा न होने के कारण किसानों तथा व्यापारियों के मन में सन्देह उत्पन्न हो गया था और इस सन्देह में अनाज रोक लिया गया था। परिणामतः देश के कुछ भागों में अनाज की कमी महसूस की जा रही है। परन्तु अब वर्षा होने से कुछ राहत मिली है। बड़े किसानों तथा थोक व्यापारियों ने अनाज रोक रखा है और राज्य सरकारों को उसे निकालने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें बाहर से पर्याप्त मात्रा में अनाज मिलने की आशा है। हम उन क्षेत्रों की सहायता करने की कोशिश करेंगे जो कठिनाई में हैं। ये तो तात्कालिक उपाय है।

खाद्य समस्या का स्थायी हल अधिक उत्पादन करना है। इस उद्देश्य से चौथी योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चौथी योजना में कृषि के लिये जो धन रखा गया है वह तीसरी योजना की तुलना में दुगुणा है। हालांकि जहां तक प्रतिशतता का प्रश्न है यह तीसरी योजना की तुलना में अधिक नहीं है। यदि उन सारी मदों को शामिल कर लिया जाये जिनसे कृषि को सीधा लाभ पहुंचेगा तो चौथी योजना में इसके लिये काफी बड़ी रकम रखी गई है। यदि यह सारा रुपया खर्च हो जायेगा और कृषि के लिये अधिक राशि की आवश्यकता महसूस होगी तो वह उपलब्ध कराया जायगा क्योंकि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। यदि योजना में कोई कटौती करनी होगी तो वह कृषि क्षेत्र में नहीं की जायेगी।

देश के आर्थिक विकास के लिये योजनाएं बनाने की भी आलोचना की गई हैं। भारत जैसे बड़े देश का आर्थिक विकास योजनाओं के बिना संभव नहीं है। यहां तक कि ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे देशों में भी आयोजन एजेंसियां हैं। इस सब आयोजन के लिये योजना आयोग को दोषी ठहराया गया है। परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि योजना आयोग पूर्णतया सरकार की नीतियों का पालन करता है। वह सरकार पर ऊपर स कोई चीज नहीं थोंप सकता। विचार-विमर्श का सिलसिला बना रहता है और अधिकतर मामलों में हम आपस में सहमत होते हैं। विश्व बैंक भी उसी देश को सहायता अथवा ऋण देता है जिसने विकास संबंधी योजनाएँ बनाई हुई है। इसलिये आयोजन को एक बुराई कहना कतई ठीक नहीं है।

जहां तक योजना के लिये संसाधन उपलब्ध करने का प्रश्न है हमें अपने आपपर ही ज्यादा से ज्यादा निर्भर करना है। इसलिये करों आदि के रूप में अधिक से अधिक राशि प्राप्त करनी होगी। परन्तु इन करों से जनसाधारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया जायेगा। चौथी योजना में घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं अपनाई जायेगी। हमें अधिक भार सहन करके भी मुद्रास्फीति को रोकना होगा ताकि कीमतें कुछ सीमा से आगे न बढ़ सकें।

कुछ व्यक्तियों के मन में यह सन्देह है कि इन करों अथवा आयात प्रतिबन्धों से उत्पादन पर असर पड़ेगा। यह कुछ हद तक ठीक है। परन्तु इस पर निश्चय ही विचार करना होगा कि क्या उपाय किये जायें ताकि उत्पादन वृद्धि पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। किसी भी विनियमित अर्थव्यवस्था में कुछ नियन्त्रण और विनियमन आवश्यक होते है। परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि हमें इस बारे में समय समय पर विचार करते रहना चाहिये कि क्या कुछ कंट्रोल हटाए जा सकते है अथवा नहीं। हाल ही में कुछ विशेष किस्म के इस्पात तथा कच्चे लोहे पर से नियंत्रण हटा दिया गया है। सिद्धान्त रूप में यह भी फैसला कर लिया गया है कि सरकार की आवश्यकता को छोड़ कर सीमेंट पर से भी नियंत्रण हटा दिया जायेगा।

श्री दांडेकर ने ऐसी तस्वीर पेश की है जैसे कि देश में कोई प्रगति ही नहीं हुई है और देश तबाही की ओर जा रहा है। इसके विपरीत तथ्य यह है कि 14 वर्षों में जबसे देश में योजना बद्ध विकास कार्य शुरू हुआ है, देश की जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी राष्ट्रीय आय लगभग 69 प्रतिशत गढ़ गई है। प्रतिव्यक्ति आय 27 प्रतिशत बढ़ी है। खाद्यान्न का उत्पादन 54 प्रतिशत बढ़ चुका है जब कि समूचा कृषि उत्पादन लगभग 40 प्रतिशत बढ़ा है। जहां तक औद्योगिक उत्पादन का संबंध है, विभिन्न प्रकार के सामान का उत्पादन होने लगा है और उसमें 145 प्रतिशत वृद्धि हुई है। बिजली का उत्पादन भी पहली योजना की तुलना में पांच गुणा हो गया है। 1950 में मुश्किल से ही कच्चा तेल पैदा अथवा साफ किया जाता था परन्तु 1964 में 22 लाख टन कच्चा तेल पैदा किया गया और 90 लाख टन तेल साफ किया गया। इस्पात के उत्पादन की भी ऐसी ही स्थिति है। सिंचाई सुविधाओं के मामले में भी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करने के पश्चात् अब तक जो प्रगति हुई है उतनी पहले के पचास वर्षों में भी नहीं हुई थी। चौथी योजना अवधि के अन्त में बहुत थोड़ी भूमि ही ऐसी रह जायेगी जिसके लिये सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। सिंचाई के मामले में हमारी प्रगति बहुत ही सराहनीय रही है। समाज सेवाओं तथा परिवहन क्षमता में भी वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर हमारी प्रगति कुछ कम सराहनीय नहीं रही है।

इससे मेरा अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ संतोषजनक है। अभी हमें बहुत प्रगति करनी है। हमें अधिक जटिल समस्याओं को हल करना है। बहुधा ऐसा कहा जाता है कि हमारे कार्यक्रमों तथा नीतिओं को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं कहा जाता है। इसलिये इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालांकि इस मामले की जांच के लिये बहुत से अध्ययन दल काम करते रहे हैं परन्तु इन छुटपुट प्रयासों से हम स्थिति का सामना नहीं कर सकते। मेरा विचार है कि इस मामले पर जिसके अन्तर्गत समूचा प्रशासन आ जाता है विचार करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। ऐसे आयोग की सिफारिशें प्रशासन में सुधार आदि करने की दिशा में काफी सहायक सिद्ध होगी। मुझे आशा है कि यह प्रस्ताव सभी को स्वीकार्य होगा।

मैं अन्य मामलों पर अधिक नहीं कहना चाहता। मेरा इस सभा तथा जनता से निवेदन है कि हम इस समय काश्मीर में पाकिस्तान के साथ भयंकर संघर्ष में जुटे हुए हैं, इसलिये हमें एक होकर इस संकट का सामना करना चाहिये और कोई ऐसा कार्य नही करना चाहिये जिससे शत्रु के हाथ मजबूत हो।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे प्रधान मंत्री को शांतिपूर्वक सुनें और उन्हें अन्तर्बाधाएं नहीं करनी चाहिये।

**Shri Bagri** (Hissar) : Mr. Speakar, Sir.

**Mr. Speaker** : Kindly sit down.

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य स्थिति की गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : The Prime Minister should not say that we do not realise the gravity of the situation. He should explain the policies pursued by his Government.

**Shri Bagri** : Why does he not explain the policy?

**Mr. Speaker** : The Prime Minister should be allowed to proceed.

**Shri Madhu Limaye** : He is charging us that we are not realising the gravity of the situation. We should be allowed an opportunity.

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं इसे पुनः दोहराता हूं क्योंकि,......

**Shri Ram Sewak Yadav** (Barabanki) : He is not correct. Had he realised the gravity of the situation, he would have explained the policy Government is going to pursue in this connection. What for he wants our cooperation? What atmosphere is being created in the country?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे संयुक्त समाजवादी दल से सहयोग की आशा नहीं है।

**(अन्तर्बाधाएं)**

**Mr. Speaker** : If the hon. Members would go on interrupting like this I would be compelled to take some action.

**श्री हनुमंतैया** (बंगलौर नगर) : अवश्य ही कार्यवाही की जानी चाहिये।

**Shri Ram Sewak Yadav** : The Prime Minister who does not want cooperation from the Samyukta Socialist Party is a traitor........

**Shri Radhelal Vyas** (Ujjain) : Mr. Speaker, it has become a daily feature. My submission is........

**Shri Bagri** : The Government which does not want cooperation from the Samyukta Socialist Party is not working in the interests of the country.

**Mr. Speaker** : If the hon. Member cannot listen patiently, he should walk out from here. There ought to be some limit.

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं की जानी चाहिए जिससे हिंसा को प्रोत्साहन मिले। सभायें, विरोध, प्रदर्शन और जलूस इत्यादि साधनों द्वारा विरोध करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि हिंसा की कार्यवाहियाँ हुई तो सरकार के लिए सहन करना कठिन होगा। काश्मीर के बारे में मैंने अपनी नीति स्पष्ट कर ही दी है। कुछ एक चौकियों को ले लेने से ही हमें प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए। हमें इस संकट का मुकाबला करने के लिए देश को तैयार करना है। इस समय सब से बड़ी आवश्यकता एकता की है। हमें पूरी आशा है कि हम इस अग्नि परीक्षा में से सफल होकर निकलेंगे। हम उन लोगों का सहयोग भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जो हमारे विरोधी है। इस विरोधी दल के प्रस्ताव के बारे में मेरा निवेदन है कि यह सरकार और हमारा दल ही देश के कल्याण के लिए जरूरी है।

**श्री मी० रु० मसानी** (राजकोट) : इस प्रस्ताव के दौरान जो प्रश्न सामने आये हैं, उनका काफी अच्छी प्रकार से स्पष्टीकरण किया गया है। सब से पहली बात जो हमने कही यह थी कि गत दो योजनाओं में कृषि की बहुत उपेक्षा की गयी है। प्रधान मंत्री ने इसका प्रतिवाद किया है और कहा है कि इस दिशा में स्थिति का काफी सुधार हुआ है। यह 1,700 करोड़ से 3,400 रुपये का हो गया है। यह भी सम्भावना है कि चौथी योजना में भी इसकी उपेक्षा ही की जायेगी। चौथी योजना में आवंटन दो गुणा हो जायगा, इससे भी कोई विशेष अन्तर आने की सम्भावना नहीं। सामूहिक रूप में चौथी योजना तीसरी योजना से दो गुण बड़ी है। गत पांच वर्षों में मुद्रा का 35 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ है। इस दिशा में वास्तविक रूप में आंकड़े क्या है इस के लिए इस आवंटन में उसी सीमा तक कटौती करनी होगी।

खाद्य मंत्री मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देने म असमर्थ रहे हैं। कृषि मूल्य आयोग द्वारा ग्रामीण-उत्पादों के बारे में अधिकतम मूल्य निर्धारित करने के बारे में जो सिफारिश एक मत से की गयी थी, उसकी उपेक्षा क्यों की गयी है? 30 लाख टन अनाज जो कि सरकार द्वारा बढ़ते हुए मूल्यों के समय इकट्ठे किये गये थे, उसमें से कितनी मात्रा दी गयी है।

मेरा यह भी मत है कि सरकार ने कृषि मूल्य आयोग के लिए जो तीन विशेषज्ञ चूने हैं, उनमें से एक विशेषज्ञ ने त्याग पत्र दे दिया है, वह सरकार की निन्दा के ही बराबर है। एक त्याग पत्र देने वाले श्री राजकृष्ण है, जो कि देश के सर्वमान्य अर्थशास्त्री है। उनका कहना है कि भिन्न प्रकार की नीति अपनाने से देश के वर्तमान कष्ट कम नहीं हो सकते।

हम इस बात को मानते है कि देश में आयोजन हो रहा है। हम आयोजन के पक्ष में हैं, परन्तु हम इस प्रकार का आयोजन नहीं चाहते जैसा कि हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। आज सभी तरह के देश अपनी योजनाओं के तरीकों पर पुनः विचार कर रहे हैं। रूस और यूगोस्लाविया जैसे तानाशाही देश भी ऐसा कर रहे है। वे इस बात के इच्छुक है कि देश की अर्थव्यवस्था में प्रगति हो। मेरा आग्रह है कि हमारी सरकार को भी इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए। हमारी स्थिति बहुत ही अजीब है। हम नियन्त्रणों के जाल में फंसे हुए हैं। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और खामखां लोगों की शक्ति समाप्त होती है। इन नियन्त्रणों के कारण कई बार अच्छे ईमानदार लोगों को भी भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को आश्रय देना पड़ता है। इन कारणों को महात्मा गांधी अच्छी प्रकार जानते थे और इस प्रकार के नियंत्रणों के बिलकुल विरोधी थे। आज स्थिति यह बन गयी है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों को कई तत्व शोषण करने पर उतारू हो गये है। ये सब मिल कर समाज को लूटने का कार्य कर रहे हैं।

लाइसेंस, परमिट अथवा कोटों का प्रयोग करके लोगों को लूटा जा रहा है। और यही लूटने वाले तत्व कई बार कांग्रेस की राज्य सरकारों और उसके मंत्रिमंडलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। आज सारे देश में यदि कोई निहित स्वार्थ है तो वे इस निहित वर्ग के ही है। जीवन का कोई अंग ऐसा नही जिसमें सरकार हस्तक्षेप न करती हो। परन्तु सरकार के जो कर्तव्य है उसके प्रति उसकी नितान्त उपेक्षा है। पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली का सम्भरण, परिवहन, संचार की व्यवस्था तथा अन्य अपेक्षित चीजों के बारे में सरकार का रवैया उपेक्षापूर्ण है। यह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि जीवन का कोई भाग आज राजनीति के बिना नहीं रह गया है। हर काम में राजनीति हस्तक्षेप करती है। विश्वविद्यालयों में भी राजनीति प्रवेश कर गयी है। जहां तक कि उपकुलपतियों की नियुक्तियां भी राजनीतिक आधार पर होने लगी है।]

और तो और खेल कूद के मैदान में भी राजनीति आ गयी है। यह क्षेत्र भी इस से दूर नहीं रह गया है। लोग उनसे तंग आ गये हैं। आज यह भावना फैल रही है और लोगों ने यह कहना आरम्भ कर दिया है कि देश की इन राजनितिज्ञों से रक्षा करनी होगी। यह तो पाकिस्तान और चीन के हमले से भी खतरनाक रूप धारण कर रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षित लोग, जो कि अभी युवक ही है, सैनिक तानाशाही के रूप में बातें कर रहे दिखाई देते हैं।

मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। लोगों का लूट मार करना और आग लगाना अत्यन्त निन्दनीय काम है। परन्तु इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल वे ही अपराधी नहीं प्रत्युत वे लोग भी अपराधी है जो लोकतंत्र को इसलिए कमजोर करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शासन की बागडोर आ गयी है। और यह सत्ताधारी लोग उन लोगों के हाथ मजबूत कर रहे हैं जो कि हिंसा करना और सम्पत्ति को नष्ट करना अपना काम समझते हैं।

इसमें भी कोई संदेह नहीं कि सरकार ने कई एक मामलों में आपातकाल तथा भारत प्रतिरक्षा नियमों का दुरूपयोग किया है। बड़े बड़े न्यायवादी भी यह कह चुके हैं कि इस आपात को जारी रखना मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करना है। इससे सरकार विधिवत नहीं चल रही। कानून का उल्लंघन करने वाले को न्यायोचित सजा नहीं मिलती। मेरा अनुरोध यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर उचित रूप से न्यायिक कार्यवाही की जानी चाहिए।

अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह इसके लिए उपयुक्त अवसर नहीं था। मेरा निवेदन है कि इस दिशा में किसी भी प्रकार की गलत धारणा नहीं रहनी चाहिए। हम यह चाहते हैं कि पाकिस्तानी घुसपैठियों का ठीक ढंग से मुकाबला किया जाय। उनके अतिकरण का ठीक ढंग से उत्तर दिया जाय। परन्तु जब हमने घर में भी आग लगती देखी, यह देखा कि देश दीवालियेपन की ओर बढ़ रहा है तो हमने यह अपना कर्त्तव्य समझा की सरकार की गलत नीतियों की ओर देश का ध्यान आकृष्ट करवाया जाय। सरकार की गलत नीतियों का हमारी प्रतिरक्षा पर भी बहुत प्रभाव है। इस सन्दर्भ में एक बात और भी याद रखने योग्य है कि यद्यपि पदाधीन दल काफी बहुसंख्या में है और विरोधी दलों की संख्या कम है। परन्तु मतदान के हिसाब से विरोधी दल देश के 50 प्रतिशत के प्रतिनिधि है।

यह भी प्रायः कहा जाता है कि विरोधी पक्ष वाले सरकार को सहयोग नही देते। वे सरकार से मिल कर समस्याओं को हल क्यों नहीं करते। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि हमारे सभी रचनात्मक सुझाव भी रद्द कर दिये जाते है। 1959 में हमने सरकार को साम्यवादी खतरे से सावधान करते हुए चेतावनी दी थी परन्तु सरकार ने उनकी बात सुनने से इन्कार कर दिया। यदि सरकार विरोधी दलों की बात सुने और निष्पक्षता से उस पर विचार करें, तो हम बड़ी प्रसन्नता से उनसे सहयोग कर सकते हैं। वैसे जहां तक अविश्वास के प्रस्ताव का सम्बन्ध है यह काफी शिक्षात्मक रहा है इससे भीतर ही भीतर जो असन्तोष बड़े व्यापक रूप में उबल रहा था, वह वैधानिक ढंग से बाहर आ गया है। लोगों को यह भी पता चला है कि क्या किया जा सकता है और देश को नयी और अच्छी सरकार उपलब्ध हो सकती है।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : श्री मसानी ने जिस प्रकार इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है उससे सभी विरोधी दलों के विचार व्यक्त नहीं होते। हम सरकार के प्रति अविश्वास तो व्यक्त करते हैं, परन्तु हमारे कारण भिन्न है।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** ( केन्द्रपाड़ा) : हम प्रस्तावक की सारी बातों से सहमत नही अतः प्रस्ताव को पढ़ दिया जाय।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है : "कि यह सभा मंत्री परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करती है।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुवा**/*The Lock Sabha divided*

**पक्ष में** 66; **विपक्ष में** 318/Ayes 66; Noes 318

**प्रस्ताव अस्विकृत हुवा।** *The Motion was negatived*

## कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेंयक–जारी

COMPANIES SECOND AMENDMENT BILL—*Contd.*

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम 18 अगस्त, 1965 की श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा प्रस्तुत निम्न-लिखित प्रस्ताव पर विचार करेंगे :—

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय।"

**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर) : मैं इस विधेयक के लिये वित्त मंत्री को मुबारक बात देता हूं। वित्त मंत्री चाहते हैं कि निगमित क्षेत्र प्रगति करें। क्योंकि यह भी समाजवाद का एक रास्ता है। परन्तु खेद यह है कि संयुक्त समिति द्वारा जांच के बाद भी विधेयक उस रूप में प्रस्तुत नहीं हुआ है, जिसमें कि आम तौर पर आशा और विश्वास का निर्माण हो सके।

यह दुःख की बात है कि निगमित क्षेत्र अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहा। इस समय सारे गैर सरकारी समवायों की कुल पूंजी का 25 प्रतिशत चोटी की चार व्यापारी साथों के हाथ में हैं। केवल 20 औद्योगिक संस्थाएं 1073 संस्थाओं का नियन्त्रण कर रही है और उनकी कुल अंशपूंजी 352 करोड़ रुपये हैं। छोटे अंशधारियों की कोई आवाज और प्रभाव नहीं है। प्रस्तावित संशोधन से चल रही एकाधिकार की प्रवृत्तियों पर काबू नहीं पाया जा सका। हमें प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिये अथवा कम से कम उसमें आमूल परिवर्तन कर देना चाहिये।

खंड 35 के अन्तर्गत निदेशकों की आयु का प्रश्न है। उनकी आयु को बढ़ा कर 65 से 75 कर देना समय की भावना के प्रतिकूल बात है। हमें योग्य उत्साही युवकों को मैदान में आने का अवसर देना चाहिए। संयुक्त समिति अंशधारियों की उपेक्षा की है। अंशदार चाहते हैं कि अनाम हस्तान्तरण पद्धति पूर्णतया समाप्त की जानी चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। इसे स्वीकार कर लिया गया है और इसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

यह कोई ऐसी चीज नहीं कि खुले तौर पर बेची जा सके। इसे खुले तौर पर बेचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। खंड 44 के अन्तर्गत कम्पनियों को 20 प्रतिशत तक ऋण देने की अनुमति दी गयी है। मेरा मत यह है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हमें यह बात समझनी चाहिए कि कम्पनियां धन अपने व्यापार के लिये एकत्रित करती हैं। यह भी देखने में आया है कि एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी को दिये जाने वाले ऋण का बहुत प्रकार से दुरुपयोग भी हो जाता है।

राजनीतिक दलों को दान देने के बारे में भी चर्चा हुई है। मेरा मत यह है कि कम्पनियों को राज-नीतिक दलों को चन्दा नहीं देना चाहिए। यह एक भ्रष्टाचार का साधन है। व्यापारियों के पास काफी धन होता है और वे लोग राजनीतिक दलों पर और विधायकों पर दबाव डाल कर उन्हें अपने प्रभाव में कर लेते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इसे एक दल की दृष्टि से नहीं प्रत्युत सार्वजमिक जीवन की शुद्धता की दृष्टि से देखना चाहिए।

मैं खंड 23 के संशोधन का स्वागत करता हूं। यह ठीक ही है कि अधिकृत लेखापालों तथा अन्य लोगों पर जो लागत लेखापाल का कार्य करते हैं, एक शर्त लगा दी जानी चाहिए कि उन्हें लागत लेखा सम्बन्धी परीक्षा पास करके अपने आपको उचित रूप से इस कार्य के अनुरूप कुशल बना लेना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई के आने की संभावना नहीं है। खंड 15 की नई धारा के अन्तर्गत कम्पनियों को कम्पनी विधि-बोर्ड की अनुमति से अपना व्यवसाय बदलने का अधिकार दिया गया है। इसके परिणाम अच्छे निकलेंगे इसमें मुझे संदेह है।

"कम्पनी ला एडमिनिस्ट्रेशन" (समवाय विधि प्रशासन) की ओर से कई छोटी छोटी कम्पनियों के कार्यों की उचित रूप से जांच नहीं की जाती। ये कम्पनियां धन की बईमानी तथा उसका दुरुपयोग करती रहती है। इस दिशा में कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिबसागर) : काफी परिश्रम के बाद 1956 में कम्पनी कानून पारित हुआ और फिर इसमें बार बार संशोधन होते रहे। यह कोई अच्छी बात नहीं है। अति हर जगह बुरी होती है। लोगों को इससे काफी परेशानी महसूस होती है। कम्पनी अधिनियम के कार्य तथा प्रशासन के बारे में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि 1956 में नये अधिनियम के अस्तित्व में आ जाने के बाद इस विधि का कोई बहुत गम्भीर उल्लंघन नहीं हुआ है। इस पर भी निरन्तर इसमें महत्वपूर्ण पविवर्तन किये जाते रहे हैं। सम्बद्ध जनता को काफी कठिनाइयां इसके फलस्वरूप हुई। इसका यह भी एक परिणाम हुआ है कि निगमित क्षेत्र भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। हालांकि वह बिना किसी प्रोत्साहन के विनियोजन करता तथा जोखिम उठाता हैं। खंड 20 के अन्तर्गत, खातों तथा लेखाओं के निरीक्षण किये जाने के लिये और भी व्यापक अधिकार दिये गये हैं। मेरा सुझाव है कि मूल उपबन्ध ही इसमें रहना चाहिए और संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।

यह भी व्यवस्था की गई है कि हिसाब और रिकार्ड आठ वर्ष तक महफूज़ रखा जाय। बड़ी स्पष्ट बात है कि आठ वर्ष तक, लेखाओं तथा रिकार्डों को महफूज़ रखने की व्यवस्था करना एक बहुत लम्बी अवधि है। यह बात कठिन ही नहीं असम्भव भी है। एक एक वाऊचर को सम्भाले रखा नहीं जा सकता। अतः या तो आठ वर्ष की अवधि कम कर दी जाय अथवा 1000 रुपये से कम की राशि के वाऊचरों को शामिल न किया जाय।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

खंड 23 के अन्तर्गत अनिवार्य लागत लेखा व्यवस्था का उपबन्ध है। मेरी राय में अनिवार्य लागत लेखा व्यवस्था उन अधिकांश कम्पनियों पर अनुचित बोझा डालेंगी जो अभी इतनी छोटी हैं कि लागत लेखा की कुल प्रक्रिया को नहीं अपना सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी कठिनाई है कि देश में लागत लेखापालों की काफी कमी है। मेरा यह भी मत है कि निदेशकों की आयु सीमा पर कोई अनिवार्य रोक लागू नहीं होनी चाहिए। अच्छा हो यदि यह मामला अंशधारियों पर छोड़ दिया जाय। वर्तमान सलाहकार आयोग सभी सभी दिशाओं में अच्छा काम कर रहा है। मेरे विचार में इसके स्थान पर सलाहकार समिति की नियुक्ति की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है।

खंड 56 के अन्तर्गत एक नई धारा रखी गई है जिसके द्वारा सरकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा प्राधिकार के सामने, सरकार अथवा उन व्यक्ति द्वारा प्राप्त सूचना का उद्‌गम बताने पर बाध्य नहीं किया जा सकता। इससे काफी हानि होगी और लोगों को आधार-हीन आरोप लगाने के लिये प्रोत्साहन प्राप्त हो जायगा। इस खंड का अपेक्षित संशोधन किया जाना चाहिए। आशा है कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों की ओर ध्यान देंगे। मैं विधेयक का समर्थन करता हुं।

**श्री अल्बारेस** (पंजिम) : 1956 में श्री विवियन बोस की अध्यक्षता में जांच आयोग स्थापित किया गया, और जांच की गयी। काफी बुराइयों का पता चला। परन्तु खेद है कि 'विवियन बोस समिति' के बावजूद निगमित क्षत्र में वही पुरानी चाल ही चली जा रही है। अतः मेरा निवेदन है कि यह बात कि

विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, गलत बात है । विधेयक के अन्तर्गत निषेधात्मक उपबन्ध नहीं है, केवल विनियमात्मक तथा प्रतिबन्धात्मक उपबन्ध ही हैं । 'स्टाक एक्सचेंज' कम्पनियों के कार्य संचालन के विनियमित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । यदि उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ, तो और भी अधिक निषधात्मक उपाय विचारार्थ प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि लागत लेखा की व्यवस्था करना भी बड़ा ही जरूरी है । इससे उत्पादन के स्थान पर होने वाली दुरूपयोग की विभिन्न घटनाओं का पता चलता है। इससे बीजक की आड़ में होने वाली बेईमानी का ही नहीं अपितु उसके साथ साथ कच्चे माल तथा तयार माल की लागत मूल्य के बीच दिखाये जाने वाले भारी अन्तर का भी पता चलेगा । लागत लेखापालों के सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि इनका अपना अलग अस्तित्व होना चाहिए । यह गलत बात है कि अधिकृत लेखापालो को ही लागात लेखा सम्बन्धी काम करने को कहा जाए । उनके काम का रूप प्रायः परस्पर विरोधी है ।

हमारी आज की अर्थव्यवस्था का निर्माण नफे के आधार पर ही किया जाता है । इस लिए आज की स्थिति में प्रबन्धक अधिकरण के ढंग को अपनाने की आवश्यकता नहीं, इससे कई हानियों का भय रहता है । इनका दुरुपयोग भी होता है । प्रबन्धक अभिकर्ताओं की अंशधारियों के प्रति शायद ही कोई जिम्मेदारी होती हो । वे लोग विभिन्न अवधियों के लिए नियुक्त होते हैं और अंशधारी उनसे कोई जवाब तलब नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त 'स्टाक एक्सचेजों' का होना भी जरूरी है । पर यह भी एक मानी हुई बात है कि ये एक्सचेंज बड़े बड़े व्यापारीयों की ईछाच्नुसार ही चलते हैं। अतः मुझे आशा है कि वित्त मंत्री 'स्टाक एक्सचेंजो' तथा प्रबन्ध अदिकारण पद्धति को समाप्त करने के लिए शीघ्र ही एक व्यापक विधान प्रस्तुत करेंगे ।

**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर—मध्य-दक्षिण): मैं इस विधयक के बारे में कुछ विचार व्यक्त करूंगा । सब से पहले मेरा निवेदन यह है कि बेनाम हस्तांतरण की पद्धति से विनियोजन करने को प्रोत्साहन मिलता है । इसके द्वारा 'शेयर बाजार' में तेजी आती है । इसके लिए कोई अपेक्षित उपबन्ध किया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि कार्य-संचालन में कोई बाधा न पड़े । अतः मेरा सुझाव यह है कि कम्पनियों को हस्तान्तरण पत्र दे दिये जाने की अवधि को बढ़ा कर कम से कम एक वर्ष कर दिया जाना चाहिए ।

यह भी महत्वपूर्ण बात है कि शेयरों को बैकों में जमा कराने के सम्बन्ध में जो भी व्यवस्था की जा रही है वह तब ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है यदि इस आशय की एक अन्य व्यवस्था भी की जाय कि शेयरों को न्यासीवत रुप में रखने के लिए भी सुविधा प्रदान की जाय । कम्पनियों के रजिस्ट्रार को कम्पनियों को पूर्व सूचना दिये बिना पुस्तकों तथा लेखों का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए ।

मेरा यह भी निवेदन है कि जो लोग 'लागत लेखापाल' होने का व्यवसाय करते है उनके लिए कुछ योग्यतायें निर्धारित की जानी चाहिए, और उसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए । निदेशकों की सेवानिवृत्ति के बारे में जो व्यवस्था की गयी है वह काफी लचीली है । उसमें तब्दीली करना कोई जरूरी दिखाई नहीं देता । संयुक्त समिति ने विधेयक में अच्छे परिवर्तन किये हैं ।

सलाहकार बोर्ड का अन्त कर दिया जाना, बडे दुःख की बात है । यह कहना भी इस बोर्ड के स्थान पर एक नयी सलाहकार समिति का गठन एक सुधार की बात है, नितान्त भ्रांति है । खंड 20 के बारे में भी कुछ सचेत रहने की आवश्यकता है ।

**श्री गो० ना० दीक्षित** (इटावा) : यह विधेयक संयुक्त समिति द्वारा काफी सुधरे हुए रुप में हमारें समक्ष आया है । इसके लिए काफी परिश्रम हुआ है । सभी मामलों में प्रायः एकमत भी रहा है ।

वित्त मंत्री ने भी सभी बातें स्वीकार की केवल दो बातों पर वह अड़ गये । एक बात निदेशकों की सेवा निवृत्ति के लिए 75 वर्ष की आयु निर्धारित करने की थी । मेरे विचार में यह बात उचित नहीं है । मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह इस मामले पर पुनः विचार करें । यह तो कर ही दिया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसकी आयु 75 वर्ष से अधिक है तथा कार्य करने के योग्य है, निदेशक बना रहने दिया जाय ।

इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि "विवियन बोस आयोग" ने यह पता लगाया था कि अंशधारियों के 2,6000000 रुपये की बईमानी की गयी है । इस पर भी यह प्रतिवेदन आगे श्री दफ्तरी को भेजा गया था । शास्त्री समिति ने भी इसकी छानबीन की थी और उसके लिए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था । उस प्रतिवेदन में उन्होंने कहा था कि कुछ परिसीमाओं के करण इस धन को वसूल करने की दिशा में कठिनाइयां है । मेरा कहना है कि सदन इस अवधि निधि में अपेक्षित संशोधन कर सकता था । गरीब अंशधारियों को भुगतान करने हेतु उस राशि को वसूल करने के लिए रास्ते साफ कर सकती थी । परन्तु खेद है कि इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया । वित्त मंत्री का यह कर्तव्य है कि धर्तों के हाथों से उस राशि को निकाल कर अंशधारियों को दिलाये ।

यह दुःख की बात है कि साकारी क्षेत्र आशातीत कार्य नहीं कर रहा । यह आवश्यक है कि सरकारी क्षेत्र में कारखानों के भार साधक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, जिन्हें इस कार्य का काफी अनुभव हो । यदि ऐसा न किया गया तो मुझे भय है कि सरकारी क्षेत्र प्रायः नष्ट हो जायेगा । ईमानदार लोगों को दबा कर काम लेने से समस्या हल नहीं होगी ।

**श्री अ० क० भट्टाचार्य** (रायगंज) : मैं जो कुछ कहूंगा वह सामान्य अंशधारी के हित के लिए होगा । मैं विधेयक के उन सभी खंडो के पक्ष में हूं जिन से अंशधारियों की स्थिति मजबूत होती है । लोग कम्पनी के प्रबन्ध पर ताबिज होकर अंश धारियों के हितों की उपेक्षा करने लगते है । यह प्रसन्नता की बात है कि एक ऐसा खंड उपबन्धित किया जा रहा है जिससे कोई कम्पनी अंशधारियों की अनुमति के बिना अपने कार्यों का स्वरूप नहीं बदल सकेगी यह अंशधारियों के हित की बात है ।

फिर बेनाम हस्तान्तरण एक प्रतिबन्ध लगाया गया है । इससे भ्रष्टाचार को काफी बढ़ावा मिलता था । यदि मालिकों के नाम दिये बिना अंशों को हस्तांतरित किया जा सकता था, तो उन अंशों के साथ कुछ भी किया जा सकता था ।

पहले यह होता था कि कुछ व्यापारी आपस मिल कर एक कम्पनी के धन से दूसरी कम्पनी को अपने काबू में कर लेते थे और बहुत सी कम्पनियां कठिनाई में पड़ जाती थीं । कुछ लोगों की इस प्रकार की नीति से कई कम्पनियों का दिवाला निकल जाता था । इसलिये यह उपबन्ध बहुत अच्छा है और इसका समर्थन किया जाना चाहिये ।

कम्पनी कानून के अन्तर्गत एक व्यक्ति एक समय में 20 से अधिक कम्पनियों का निदेशक नहीं हो सकता । इस उपबन्ध का उल्लंघन करने के लिये एक कम्पनी के अन्तर्गत कई सब कम्पनियां बना ली जाती हैं और इस प्रकार वे कानून की पकड़ में नहीं आते हैं और इन सभी कम्पनियों और सब-कम्पनियों का प्रबन्ध उन्हीं चन्द व्यक्तियों के हाथों में होता रहता है । मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इसकी रोक थाम करने का भी कोई तरीका निकालें ।

दूसरे उपबन्ध के अनुसार निदेशकों की आयु 75 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये । मैं इस उपबन्ध को अच्छा नहीं समझता । श्री दीक्षित ने मेरे मित्र श्री हिम्मत सिंहका का जिक्र किया । मैं उनको चालीस साल से जानता हूं परन्तु मेरे लिये वह वैसे ही हैं जैसे कि मैंने 40 वर्ष पहले देखे थे । सर ए० रामास्वामी जैसे व्यक्ति को इसलिये नहीं निकाल देना चाहिये वह 75 वर्ष को पार कर गये हैं । श्री पालकीवाला ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया जिसे कि एक सरकारी कम्पनी के प्रबन्ध के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था । उसकी आयु 76 वर्ष थी । और वह कम्पनी को

[श्री अ० क० भट्टाचार्य]

मुनाफे की स्थिति तक ले आया था । आयु हमेशा अनर्हता नहीं होती । एक अभिनेता, नर्तक और नाई के मामले में आयु अलाभकर सिद्ध होती है । परन्तु एक बुद्धिमान व्यक्ति डाक्टर और न्यायाधीश के मामले में आयु बहुत लाभक सिद्ध होती है । उनके बड़े अनुभव से वे कम्पनी के लिये बहुत सहायक सिद्ध होंगे ।

अब मैं संयुक्त समिति द्वारा पेश किये गये विधेयक के खंड 23 को लेता हूं । इस में लागत की जांच करने के लिये लागत लेख पालकों की नियुक्ति के लिये उपबन्ध किया गया है । संयुक्त समिति द्वारा इस खंड के संशोधित रूप के स्थान पर मैं मूल खंड को ज्यादा अच्छा समझता हूं । मैं समझता हूं कि चार्टर्ड लेखापालकों का इस खंड में शामिल किया जाना आवश्यक नहीं था । उनका काम तो काफी बाद में आयेगा ।

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : अन्तिम वक्ता ने कहा संयुक्त समिति ने लागत लेखे के काम के लिये चार्टर्ड लेखापालों को शामिल करने के लिये उपबन्धों क्षेत्र बढ़ा दिया है । वास्तव में ऐसा नहीं है । इसके विपरीत, आजकल लागत लेखपाल बहुत कम संख्या में उपलब्ध हैं और यदि हम उपबन्धों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें अन्य अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को इस काम के लिये लाना होगा । हम चाहते हैं कि सभी उद्योगों में लागत लेखापाल हों और उत्पाद की लागत और विक्रय मल्य का ठीक ठीक हिसाब लगाया जाय ताकि हमें मुनाफे का पता चल सके । क्योंकि इतने लागत लेखापाल नहीं हैं इसलिये हम चाहते हैं कि इस दिशा में कार्य शुरू करने के लिये चार्टर्ड लेखापालों को भी शामिल किया जाये ।

कुछ माननीय सदस्य इस देश में सम्पत्ति और स्वामित्व के आर्थिक ढांच की आधारभूत बातों के बारे में बोले । समवाय कानून में केवल एक ही दोष है और वह यह कि कम्पनी कानून संयुक्त स्कन्ध समवायों के कार्य के विनियमन के लिये ही है जिसका अर्थ यह है कि हम विनियोजन और उसको उपयोग करने की एक विशेष पद्धति को ही स्वीकार करते हैं । मैं नहीं समझता कि इस में रद्दोबदल करने का यह उचित समय है ।

दूसरा प्रश्न आयु के बारे में उठाया गया है । अब तक हमारे कानून का मजाक उड़ाया जाता था । क्योंकि जिन लोगों के हाथ में कम्पनी का नियन्त्रण होता था उनके लिये विशेष संकल्पों को पारित कराना कोई कठिन काम नहीं होता था । इसलिये इन सब से छुटकारा दिलाने के लिये हम ने 65 वर्ष की आयु निर्धारित की है ।

**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : यदि कोई कम्पनी एक विशेष संकल्प पास नहीं कर सकती है तब ?

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : ऐसा एक भी मामला नहीं है जिसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के किस व्यक्ति की नियुक्ति को अस्वीकार किया गया हो । किसी कम्पनी ने ऐसा नहीं किया है । कुछ माननीय सदस्यों ने 75 वर्ष की आयु का सुझाव दिया और यह कहा कि कुछ विशिष्ट मामलों में सरकार अनुमोदन कर सकती है । मैं इस चीज को नहीं चाहता । 75 वर्ष की आयु से अधिक का कौनसा व्यक्ति अच्छा है और कौनसा नहीं इस प्रकार की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर नहीं ले सकती । अन्यथा दूसरा तरीका यह है कि कोई आयु निर्धारित न की जाये और यदि सभा ऐसा चाहती है तो मैं इसके लिये तैयार हूं ।

मेरे मित्र श्री गांधी ने समवाय विधि मंत्रणा आयोग और समवाय विधि मंत्रणा समिति के बारे में भी कुछ कहा । मामले पर बहुत गौर किया गया था और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि समिति को रखना अधिक लाभप्रद होगा । जिस तरीके से आयोग का संगठन किया जाता है उसको देखते हुए वह एक

न्यायिक निकाय नहीं है । मैं समझता हूं कि समिति को रखना ज्यादा अच्छा है। समिति में सभी वर्गों के सदस्य होंगे । इसलिये मैं समझता हूं कि प्रस्तावित समिति द्वारा अधिक न्याय किया जा सकता है ।

श्री दीक्षित ने एक मामले का ज़िक्र किया । इस समय इसके बारे में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मामले का अनुसरण किया जायेगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है "कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में विचार किया जाय ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ** / *The motion was adopted.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे । खंड 2 पर कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है : "कि खंड 2 विधयक का भाग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ** / *The motion was adopted*

**खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया** / *Clause 2 was added to the Bill*

**खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया** / *Clause 3 was added to the Bill*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 4 विधेयक का भाग बने। "

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ** / *The motion was adopted*

**खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया** / *Clause 4 was added to the Bill*

**खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया** / *Clause 5 was added to the Bill*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है : "कि खंड 6 और 7 विधेयक के अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ** / *The motion was adopted*

**खंड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिये गये** / *Clauses 6 and 7 were added to the Bill*

**खंड 8 (नयी धारा 68 का जोड़ा जाना)**

**श्री हिम्मत सिंहका** (गोउड़ा) : मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या हमें बनावटी नामों के इस्तेमाल करने से संबंधित खंड (2) को रखना चाहिये । क्या उपधारा (1) के उपबन्धों को कम्पनी द्वारा जारी किये गये प्रत्येक विवरण पत्र और हर प्रकार के आवंटन पत्र में दिया जायेगा ? क्या ऐसा करना हास्यस्पद नहीं लगेगा ? इसलिये, उपबन्ध तो रहे परन्तु मैं समझता हूं कि उपखंड (2) को हटा दिया जाना चाहिये ।

**श्री ति० त० कृष्णामाचारी** : यह रह सकती है । मैं नहीं समझता कि इससे कोई हानि होगी ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि "कि खंड 8 विधेयक का अंग बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ** / *The motion was adopted*

**खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया** / *Clause 8 was added to the Bill*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है : "कि खंड 9 और 10 विधेयक के अंग बनें ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ** / *The motion was adopted*

**खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिये गये** / *Clauses 9 and 10 were added to the Bill*

**खंड 11 (धारा 75 का संशोधन)**

**श्री नारायण दांडेकर** (गोंडा) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं । इस संशोधन से मेरा उद्देश्य वर्तमान परन्तुक को रखना है । दूसरे शब्दों में खंड 11, (उपधारा (ग), एक परन्तु को पुरःस्थापित करती है और मैं उस उस परन्तुक को स्वीकार करता हूं ।

मेरे संशोधन का प्रथम भाग तो यह है कि वर्तमान परन्तुक के स्थान पर प्रस्तावित परन्तुक जोड़ दिया जाना चाहिये । दूसरा भाग यह है कि वर्तमान परन्तुक जिस रूप में यह अधिनियम में है रहना चाहिये । मूल अधिनियम के खंड 11, धारा 75 द्वारा किये गये संशोधनों द्वारा इस पर कोई असर नहीं पड़ा है । ये संशोधन, अर्थात, खंड 11 के उपखंड (क) और (ख) अच्छे है विशेष रूप से उपखंड (ख) जिसके द्वारा यदि दिया गया समय अपर्याप्त हो तो रजिस्ट्रार समय बढ़ा सकता है । इसके साथ ही वर्तमान परन्तुक में से इस बात को हटाने का भी प्रस्ताव है कि उचित मामलों में यदि कम्पनी ठीक समझे तो वह रजिस्ट्रार के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में जा सकती है । और इसका कारण कम्पनियों को कचहरी के खर्चे से बचाना है । मैं नहीं समझता कि इसको क्यों हटयाया जाना चाहिये । यह अधिकार तो पहले से ही मौजूद है ।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : प्रस्तावित संशोधन से इस विशिष्ट उपखंड को हटाने का प्रश्न नहीं उठता । इसका अर्थ यह होगा कि न्यायालय और रजिस्ट्रार का क्षेत्राधिकार साथ साथ चलेगा ।

**श्री नारायण दांडेकर** : यह तो पहले से ही है ।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह परिवर्तन सोच समझकर किया गया है। अब तक के अनुभव से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कानूनी खर्चों और देरी के अतिरिक्त न्यायालय ने बहुत अधिक जुरमाने किये हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या 2 को मतदान के लिये रखता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ** / *Amendment No. 2 was put and negatived.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ** / *The motion was adopted*

**खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया** / *Clause 11 was added to the Bill*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ** / *The motion was adopted*

**खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया** / *Clause 12 was added to the Bill*

**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड 13 । क्या माननीय सदस्य कोई संशोधन पेश करना चाहते हैं ?

**श्री नारायण दांडेकर** : मैं अपने संशोधन संख्या 3, 4 और 5 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री कृ० च० पंत** (नैनीताल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(1) पृष्ठ 5,—

(एक) पंक्ति 26,—

"obtainable from" (से प्राप्य) शब्दों के स्थान पर "and presented to" ["और को दिया गया"] शब्द रख दिये जायें ;

(दो) पंक्ति 27,—

"who" ["जो"] शब्द के स्थान पर "before it is signed by or on behalf of the transferer and the prescribed authority" ["हस्तांतरक तथा विहित प्राधिकार द्वारा अथवा उनकी ओर से इसपर हस्ताक्षर किये जाने से पूर्व"] शब्द रख दिये जायें ;

(तीन) पंक्ति 28,—

"issued" ["जारी की गई"] शब्द के स्थान पर "so presented" ["इस तरह प्रस्तुत की गई"] शब्द रख दिये जायें ;

(चार) पंक्ति 31 और 32,—

"within six months from such date" ["उस तिथि से छ: महीने के भीतर"] शब्दों के स्थान पर "at any time before the date on which the register of members is closed in accordance with laws for the first time after the date of such presentation" ["ऐसी प्रस्तुति की तिथि के बाद किसी भी समय उस तिथि से पूर्व जिस पर कि सदस्यों का रजिस्टर विधि अनुसार पहली बार बन्द किया जाये"] शब्द रख दिये जायें : और

(पांच) पंक्ति 33 और 34,—

"that date" ["उस तिथि"] शब्दों के स्थान पर "the date of such presentation" ["ऐसी प्रस्तुति की तिथि"] शब्द रख दिये जाये । (74)

(2) पृष्ट 5 और 6,—

पंक्तियां 35 से 41 और 1 से 3 के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित रख दिया जाये—

"(1B) Any instrument of transfer which is not in conformity with the provisions of sub-section (1A) shall not be accepted by a company—

(a) in the case of shares dealt in or quoted on a recognised stock exchange, after the expiry of six months of the commencement of the Companies (Amendment) Act, 1965, or after the date on which the register of members is closed in accordance with law for the first time after such commencement, whichever is later;

(b) in any other case after the expiry of six months of such commencement.



7—21 L. S./65

[श्री कृ० च० पंत]

(1C) The provisions of sub-section (1A) shall not apply to any shares deposited by any person with—

(a) the State Bank of India;

(b) any scheduled bank; or

(c) such banking company (other than a scheduled bank) or financial institution as may be approved by the Central Government by notification in the Official Gazette,

by way of security for the repayment of any loan advanced to, or for the performance of any obligation undertaken by, such person".

["(1ख) एक समवाय द्वारा, हस्तांतरण संबंधी ऐसी कोई लिखत जो उपधारा (1 क) के उपबन्धों के अनुरूप न हो—

(क) उन अंशों के विषय में जिनका सौदा मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में होता हो अथवा भाव निकलते हों समवाय (संशोधन) अधिनियम 1965 के प्रारम्भ होने के छः महीने समाप्त होने के बाद अथवा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उस तिथि के बाद जिस पर कि सदस्यों का रजिस्टर विधि अनुसार प्रथम बार बन्द किया जाये जो भी बाद में हो ;

(ख) अन्य किसी विषय में ऐसे प्रारम्भ के छः महीने की समाप्ति के पश्चात स्वीकार नहीं की जायेगी।

(1 ग) उपधारा (1 क) के उपबन्ध ऐसे किन्हीं अंशों पर लागू नहीं होंगे जो किसी व्यक्ति द्वारा—

(क) स्टेट बेंक आफ इन्डिया में ;

(ख) किसी भी अनुसूचित बैंक में ; या

(ग) ऐसे बैंकिंग समवाय में (अनुसूचित बैंक के अतिरिक्त) या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्था में उस व्यक्ति को दिये गये किसी ऋण के भुगतान के लिये अथवा उसके द्वारा किसी कार्य के निष्पादन के लिये दी गई जमानत के रूप में—
जमा किये गये हो।"] (75)

(3) पृष्ठ 6, पंक्ति 5,—

"Company Law Board" ["समवाय विधि बोर्ड"] शब्दों के स्थान पर "Central Government" ["केन्द्रीय सरकार"] शब्द रख दिये जायें। (77)

(4) पृष्ठ 6, पंक्ति 6,—

"the Board" ["बोर्ड"] शब्द के स्थान पर "that Government" ["वह सरकार"] शब्द रख दिये जायें। (78)

(5) पृष्ठ 6,—

पंक्ति 9 से 12 के स्थान पर ये शब्द रख दिये जायें,—

"it may deem fit; and the number of extensions granted hereunder and the period each such extension shall be shown in the annual report laid before the Houses of Parliament under section 638" ["यह उचित लगे ; और इसके अन्तर्गत अवधि बढ़ाने की संख्या तथा प्रत्येक ऐसी अवधि को धारा 638 के अन्तर्गत संसद के सदनों के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में दिखाया जायेगा"]। (79)

**श्री हिम्मत सिंहका** (गोड्डा) : मैं अपने संशोधन संख्या 73 और 76 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री नारायण दांडेकर** (गोंडी) : मैं इस खंड के उद्देश्य से पूर्णतया सहमत हूं । मेरे संशोधन संख्या 3 और 4 बिलकुल सीधे हैं । इन दोनों संशोधनों में मैंने शेयरों के हस्तांतरण की अवधि बढ़ाने का सुझाव रखा है । मार्किट की आज कल की हालत को देखते हुए और यह देखते हुए कि हम एक नई चीज़ ला रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह अवधि बढ़ाना उचित है । शेयर खरीदने वाले व्यक्ति सारे देश में बिखरे हुए हैं और शेयर खरीदने में काफी समय लगता है और कम्पनियों में उनके पंजीयन में भी काफी समय लगता हैं । मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि शेयरों को अर्जित करने के बाद उनको हस्तान्तरित करने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं।

मेरा संशोधन संख्या 5 बिलकुल भिन्न प्रकार का है । समवाय विधि न्यासधारियों द्वारा रखी गई सम्पत्ति को मान्यता नहीं देती । इस खंड में जमानत के रूप में किन्हीं बैंकों में जमा किये गये शेयरों पर जो छूट दी गई है मैं चाहता हूं कि वह छूट उन व्यक्तियों को भी दी जानी चाहिये जो न्यासधारी के रूप में किसी दूसरे के अंशों को अपने नाम में रखते हैं ।

**श्री प्रभातकार** (हुगली) : जहां तक श्री दांडेकर के संशोधनों का सम्बन्ध है मेरे विचार में अनाम हस्तान्तरण के बारे में समय सीमा बढाने की आवश्यकता नहीं हैं । अब इस समय को रजिस्टरों के बन्द करने तक बढाया जा रहा है । यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया है । अतः श्री दांडेकर की बात लगभग मान ली गई है ।

कम्पनियों के द्वारा अंशों का अनाम हस्तान्तरण एक कुप्रथा है । इस का समाप्त होना चाहिये । समय बढाने के बारे वर्तमान धारा ठीक है । मेरा सुझाव है कि उस में संशोधन नहीं होना चाहिये । केन्द्रीय सरकार के पास पहले ही बहुत अधिकार हैं अतः इस बारे में कोई कठिनाई नही होगी ।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : संशोधन संख्या 3 और 4 श्री दांडेकर ने प्रस्तुत किये हैं । मैं उन से सहमत नहीं हूं । परन्तु हमने पर्याप्त परिवर्तन कर दिये हैं । सरकार संशोधन संख्या 74 स्वीकार करने को तैयार है । इस से लोगों को सुविधा हो जायेगी । संशोधन संख्या 75 जिसे मैंने स्वीकार किया है स्पष्टीकरण करने वाली है । मैं संशोधन संख्या 3 से 5 तक स्वीकार नही कर सकता । जैसा मैंने कहा है मैं संशोधन संख्या 74, 75, 77, 78 और 79 स्वीकार करने को तैयार हूं ।

**श्री नारायण दांडेकर** : मैं संशोधन संख्या 3, 4 और 5 वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

**संशोधन संख्या 3, 4 और 5, सभा की अनुमति से, वापिस लिये गये**/*The amendments Nos. 3, 4 and 5 were, by leave withdrawn.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

(1) पृष्ठ 5,—

(एक) पांक्ति 26,—

"obtainable from" ['से प्राप्य'] शब्दों के स्थान पर "and presented" ["और को दिया गया"] शब्द रख दिये जायें ।

(दो) पंक्ति 27,—

"who" (जो) शब्द के स्थान पर "before it is signed by or on behalf of the transferer and the prescribed authority" (हस्तांतरक तथा विहित प्राधिकार द्वारा अथवा उनकी ओर से इस पर हस्ताक्षर किये जाने से पूर्व) शब्द रख दिये जायें ।

(तीन) पंक्ति 28,—

"issued" (जारी की गई) शब्द के स्थान पर "so presented" [इस तरह प्रस्तुत की गई] शब्द रख दिये जायें।

(चार) पंक्ति 31 और 32,—

"within six months from such date" (उस तिथि से छ: महीने के भीतर) शब्दों के स्थान पर "at any time before the date on which the register of members is closed in accordance with law for the first time after the date of such presentation" (ऐसी प्रस्तुति की तिथि के बाद किसी भी समय उस तिथि से पूर्व जिस पर कि सदस्यों का रजिस्टर विधि अनुसार पहली बार बन्द किया जाये) शब्द रख दिये जायें ; और

(पांच) पंक्ति 33,—

"that date" (उस तिथि) शब्दों के स्थान पर "the date of such presentation" (ऐसी प्रस्तुति की तिथि) शब्द रख दिये जायें। (74)

(2) पृष्ठ 5 और 6,—

पंक्तियां 35 से 41 और 1 से 3 के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित रख दिया जाये :

(1B) Any instrument of transfer which is not in conformity with the provisions of sub-section (1A) shall not be accepted by a company—

(a) in the case of shares dealt in or quoted on a recognised stock exchange, after the expiry of six months of the commencement of the companies (Amendment) Act, 1965, or after the date on which the register of member is closed in accordance with law for the first time after such commencement, whichever is later;

(b) in any case after the expiry of six months of such commencement.

"(1C) The provisions of sub-section (1A) shall not apply to any shares deposited by any person with—

(a) the State Bank of India;

(b) any scheduled Bank; or

(c) such banking company (other than a scheduled bank) or financial institution as may be approved by the Central Government by notification in the official Gazette, by way of security for the repayment of any loan advanced to or for the performance of any obligation undertaken by such person."

"(1ख) एक समवाय द्वारा हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐसी कोई लिखत जो उपधारा (1क) के उपबन्धों के अनुरूप न हो।

(क) उन अंशों के विषय में जिन का सौदा मान्यता प्राप्त स्टाक एकस्चेंज में होता हो अथवा भाव निकलते हो समवाय (संशोधन) अधिनियम 1965 के प्रारंभ होने के छ: महीने समाप्त होने के बाद अथवा ऐसे आरम्भ के पश्चात उस तिथि के बाद जिस पर कि सदस्यों का रजिस्टर विधि अनुसार प्रथम बार बन्द किया जाये जो भी बाद में हो ;

(ख) अन्य किसी विषय में ऐसे प्रारंभ के छः महीने की समाप्ती के पश्चात् स्वीकार नहीं की जायेगी ;

(1ग) उपधारा (1क) के उपबन्ध ऐसे किन्ही अंशो पर लागू नही होंगे जो किसी व्यक्ति द्वारा—

(क) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ;

(ख) किसी भी अनुसूचित बैंक में; या

(ग) ऐसे बैंकिग समवाय (अनुसूचित बैंक के अतिरिक्त) या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसुचना द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्था में उस व्यक्ति को दिये गय किसी ऋण के भुगतान के लिये अथवा उसके द्वारा किसी कार्य के निष्पादन के लिये दी गई जमानत के रूप में जमा किये गये हों"] (75)

(3) पृष्ठ 6, पंक्ति 5,--

"Company Law Board" [समवाय विधि बोर्ड] शब्दों के स्थान पर "Central Government" [केन्द्रीय सरकार] शब्द रख दिये जायें। (77)

(4) पृष्ठ 6, पंक्ति 6,--

"the Board" (बोर्ड) शब्द के स्थान पर "that Government" (वह सरकार) शब्द रख दिये जायें । (78)

(5) पृष्ठ 6,—

पंक्ति 9 से 12 के स्थान पर ये शब्द रख दिय जायें,--

"it may deem fit ; and the number of extensions granted hereunder and the period of each such extension shall be shown in the annual report laid before the Houses of Parliament under Section 638." [यह उचित लगे और इस के अन्तर्गत अवधि बढाने की संख्या तथा प्रत्येक ऐसी को धारा 638 के अन्तर्गत संसद के सदनों के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में दिखाया जायेगा।] (79)

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**श्री हिंम्मत सिंहका (गोडा)** : मैं अपने संशोधन संख्या 73 और 76 सभा की अनुमति से वापिस लेता हूं ·

**संशोधन संख्या 73 और 76 सभा की अनुमति से वापिस लिये गये**/*Amendments Nos. 73 and 76 were, by leave, withdrawn.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**खंड 13 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया**/*Clause 13, as amended, was added to the Bill.*

**खंड 14 विधयक म जोड़ दिया गया**/*Clause 14 was added to the Bill.*

**खंड 15 (धारा 149 का संशोधन)**

**श्री कृ० चं० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(1) पृष्ठ 6, पंक्ति 40 में "clause (i)" [खंड (1)] शब्दों के पश्चात "or as the case may be, sub-section (2B)" [या जैसा मामला हो, उपधारा (2ख)] शब्द रखे जायें। (81)

(2) पृष्ठ 7, पंक्ति 20 में "Company Law Board" (कम्पनी विधि बोर्ड) के स्थान पर "Central Government" (केन्द्रीय सरकार) शब्द रख दिये जायें। (82)

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं इन दोनों संशोधनों को स्वीकार करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

(1) पृष्ठ पंक्ति 6, 40 में "clause (i)" [खंड (i)] शब्दों के पश्चात "or as the case may be, sub-section (2B)" [या जैसा मामला हो, उपधारा (2ख)] शब्द रखे जायें। (81)

(2) पृष्ठ 7, पंक्ति 20 में "Company Law Board" [कम्पनी विधि बोर्ड] के स्थान पर "Central Government" [केन्द्रीय सरकार] शब्द रख दिये जायें। (82)

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि "खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**खंड 15 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया**/*Clause* 15, *as amended, was added to the Bill.*

**खण्ड 16 से 19 विधेयक में जोड़ दिये गये**/*Clauses* 16 *to* 19 *were added to the Bill.*

**खण्ड 20 (धारा 20 का संशोधन)**

**श्री नारायण दांडेकर** : मैं अपने संशोधन संख्या 6, 7, 9 और 10 प्रस्तुत करता हूं।

पृष्ठ संख्या 9, पंक्ति 30,—

"bankers" ["बैंक"] शब्द के पश्चात "auditors" ["लेखापरीक्षक"] शब्द रख दिया जाये। (11)

**श्री कृ० च० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8 में पंक्तियों 23 और 24 के स्थान पर यह रख दिया जाय :

"manufacturing or mining activities, such particulars relating to utilization of material or labour or to other items of cost as may be". [उत्पादन या खनन गतिविधियां, जैसे वस्तु या श्रम या परिव्यय के अन्य ब्यौरों सम्बन्धी] (83)

**श्री व० ब० गांधी (बम्बई नगर—मध्यदक्षिण)** : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ये संशोधन अब सभा के समक्ष हैं।

**श्री नारायण दांडेकर** : मेरे पहले संशोधन का आशय है कि खण्ड 20(बी) में से पंक्तियां 36 और 37 हटा दी जायें। मैं चाहता हूं कि केवल रजिस्ट्रार को ही अधिकार होना चाहिये कि वह समवायों की पुस्तकें आदि का निरीक्षण कर सकें। और अन्य लोगों को ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिये।

मैं अपने अगले संशोधन अर्थात संख्या द्वारा चाहता हूं कि रजिस्ट्रार को पहले अपने कार्यालय में यह लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिये कि वह निरीक्षण किन कारणों से करना चाहते हैं। यह उपबन्ध मूल विधेयक में था परन्तु प्रवर समिति ने इसे हटा दिया है।

यह ठीक है कि निरीक्षण के लिये पूर्व सूचना नहीं होनी चाहिये। परन्तु इस के लिये कम से कम सरकार के कार्यालय में तो पूरी बात का ब्यौरा होना चाहिये। संशोधन संख्या 10 और 11 छोटे छोटे परन्तु महत्वपूर्ण बातों से सम्बन्ध रखते हैं। ये है लेखा पुस्तकों के बारे में। सरकार को इस सम्बन्ध में अधिक सख्त उपबन्ध नहीं बनाने चाहियें। नहीं तो देश की प्रगति ये बाधायें सिद्ध होगी। मैं चाहता हूं कि कुछ पत्रों आदि को संभाल कर रखने के लिये कम से कम राशि निर्धारित कर देना चाहिये कि अमुक धन जैसे 1,000 रुपये के कागज़ात रखे जायें। इस के लिये अवधि निर्धारित कर दी जानी चाहिये।

संशोधन संख्या 11 का उद्देश्य है कि लेखापरीक्षकों के विरुद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही न की जा सके। उन के बारे पृथक रूप से कानून है। वे कम्पनी के कर्मचारी नहीं होते हैं।

**श्री व० ब० गांधी** (बम्बई—नगर—मध्यदक्षिण): किसी को भी इस बात पर आपत्ति नहीं हो सकती कि रजिस्ट्रार कम्पनी की पुस्तकों को निरीक्षण करें। परन्तु इस के रजिस्ट्रार को जो अधिकार दिया गया है कि वह पूर्वसूचना के बिना निरीक्षण कर सकते हैं नहीं होना चाहिये।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं संशोधन संख्या 11 और 83 स्वीकार कर रहा हूं। रजिस्ट्रार द्वारा निरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है। यह उसी प्रकार होगा जैसे कि रिजर्व बैंक अन्य अनुसूचित बैंकों के बारे में करता है। अत: मैं श्री दांडेकर का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

जब लेखा पुस्तकें बनायी जाती हैं तो उन में सभी ब्यौरों से जानकारी उपलब्ध होती है। इसलिये यह संशोधन नहीं माना जा सकता।

**श्री नारायण दांडेकर** : मैं चाहता हूं कि संशोधन संख्या 10 मतदान के लिये रखा जाये। शेष संशोधन मैं वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

**संशोधन संख्या 6, 7 और 9 सभा की अनुमति से वापिस लिये गये**/*Amendments 6, 7 and 9 were, by leave, withdrawn.*

**श्री व० ब० गांधी** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

**संशोधन संख्या 8, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया**/*Amendment No. 8 was by leave, withdrawn.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या 10 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 मतदान के लिये रखा तथा अस्वीकृत हुआ**/*Amendment No. 10 was put and negatived.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 9, पंक्ति 30 में, "bankers" ["महाजन"] शब्द के स्थान पर "auditors" ["लेखा परीक्षक"] शब्द रख दिया जाये। (11)

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पंक्तियों 23 और 24 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"manufacturing or mining activities, such particulars relating to utilisation of material or labour or to other items of cost as may be" ["निर्माण अथवा खनन कार्य, सामान अथवा श्रम अथवा खर्चे की अन्य मदों के उपयोग के बारे में ऐसा ब्यौरा"] (83)

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया**/*Clause 20, as amended, was added to the Bill.*

**खंड 21 (धारा 227 का संशोधन)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम खंड 21 लेंगे। क्या कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहता है ?

**श्री नारायण दांडेकर :** मैं संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं।

खंड 21 से मूल अधिनियम की धारा 227 का संशोधन करने का विचार है ; यह धारा अधिनियम की महत्वपूर्ण धारा है और इसमें लेखापरीक्षकों की शक्तियां तथा कर्तव्य विहित हैं । वर्तमान धारा 227(1) में लेखापरीक्षक की शक्तियां दी हुई हैं और जो उपधारा जोड़ी जानी है उसमें कई मामलों के लिये लेखापरीक्षकों के लिये कई कर्त्तव्य निर्दिष्ट किये गये हैं। लेखापरीक्षक, जो एक परिनियत अधिकारी, के अधिकार और कर्त्तव्य कानूनी तौर से पहले ही विहित हैं और सरकार उस उप-खंड द्वारा उसे कुछ और कार्य देने के लिये अपने हाथ में शक्ति लेना चाहती है। अतः, खंड 21 की उपधारा (ख) से केन्द्रीय सरकार एक परिनियत अधिकारी के कर्त्तव्यों और दायित्वों के बारे कानून बनाने की शक्ति अपने हाथ में लेना चाहती है। और मेरे विचार में यह केन्द्रीय सरकार की शक्ति से परे है। परन्तु अध्यक्ष महोदय का कहना है कि जब यह विधेयक पारित हो जाये, तब उस मामले को किसी न्यायालय में उठाया जाना चाहिये। सिद्धान्ततः, सरकार अथवा प्रशासन को लेखापरीक्षकों के कर्त्तव्यों तथा दायित्वों के बारे में विधान बनाने की शक्ति देना गलत है।

परन्तुक में यह कहा गया है कि जिन मामलों अथवा समवायों को सरकार निर्दिष्ट करना चाहेगी, उनके बारे में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटेंट से परामर्श करेगी, परन्तु जब सरकार उसे अनावश्यक समझेगी तो परामर्श नहीं करेगी। मेरे विचार में यह भी बिल्कुल गलत है। अतः अपने संशोधन द्वारा मैं पृष्ठ 10 में पंक्ति 31 से पृष्ठ 11 में पंक्ति 4 तक सभी कुछ हटाना चाहता हूं।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** यह परन्तुक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों के परामर्श से जोड़ा गया था। यहां तक कि सरकार उन लोगों को पूर्व सूचना दिये बगैर कोई कार्य नहीं करती। यह खंड इसलिये रखा गया है कि यदि सरकार किसी छोटी सी बात के लिये परामर्श नहीं करती तो सरकार के आदेश की अवहेलना न हो। अतः मैं इस विशेष उपबन्ध को हटाने के लिये तैयार नहीं हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय .** अब मैं संशोधन संख्या 12 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ**/*Amendment No. 12 was put and negatived.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया**/*Clause 21 was added to the Bill.*

**खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया**/*Clause 22 was added to the Bill.*

**खंड 23 [नई धारा 233(ख) का जोड़ा जाना]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब खंड 23 को लिया जायेगा। क्या कोई संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं ?

**श्री श्यामलाल सर्राफ** : मैं संशोधन संख्या 47 और 49 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री कृ० चं० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 11 में पंक्तियां 10 से 14 के स्थान पर यह रखा जाये :

"233B(1) Where in the opinion of the Central Government it is necessary so to do in relation to any company required under clause (d) of sub-section (1) of section 209 to include in its books of account the particulars referred to therein, the Central Government may, by order, direct that an audit of cost accounts of the company shall be conducted—"

[233ख(1) जहां केन्द्रीय सरकार की राय में धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन अपेक्षित किसी समवाय के सम्बन्ध में, उसमें निर्दिष्ट विवरण उसके खातों में सम्मिलित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उस समवाय के लागत लेखों की लेखा परीक्षा की जायेगी।"] (84)

**श्री व० ब० गांधी** : मैं संशोधन संख्या 41, 42 और 43 प्रस्तुत करता हूं।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत नहीं की गई ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : 41 और 48 एक समान हैं।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं 84 को स्वीकार करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड 23 के संशोधन अब सभा के सामने हैं।

**श्री श्यामलाल सर्राफ** : मेरे विचार में इस धारा में लागत लेखापालों और शासप्राप्त लेखापालों को एक ही स्तर पर रखा गया है। वास्तव में लागत लेखापालों का कार्य लेखापरीक्षकों से विभिन्न है। लागत लेखापालों का कार्य यह देखना है कि किसी भी उद्योग में यदि रूपया लगाया जाये तो उसका उचित लाभ प्राप्त हो। यह एक विशेष प्रकार का कार्य है। लेखापरीक्षकों का कार्य केवल लेखे के सम्बन्ध में है। मेरे सुझाव को देखते हुए इस खंड का संशोधन किया जाये। इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात हमें और लागत लेखापालों की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लेंगे।

**श्री व० ब० गांधी** : मेरे संशोधन संख्या 41 से भाषा सीधी और सरल हो जायेगी। मैं अपने संशोधनों संख्या 42 और 43 द्वारा लागत लेखापालों के प्रतिवेदनों को गुप्त बनाना चाहता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि यह प्रतिवेदन बजाये समवाय के निदेशकों के मण्डल को पेश किया जाये। समवायों को अभी यह आशंका है कि जब लागत लेखापरीक्षा लागू हो जायेगी, तो शायद समवायों की कुछ महत्वपूर्ण बातें बाहर निकल जायेंगे। अतः इस प्रकार की आशंका को दूर करने के लिये मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाये।

[**डा० सरोजिनी महीषी पीठासीन हुई**
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं श्री श्यामलाल का समर्थन करती हूं। मैं श्री दांडेकर से भी सहमत हूं कि जब तक लागत लेखापालों की कमी पूरी नहीं हो जाती हमें कोई और व्यवस्था करनी चाहिये। इस समय जब कि कई कम्पनियां आधुनिकरण की ओर जा रही हैं और अपनी कार्य-क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, लागत लेखापालों की हमें बहुत आवश्यकता है। वे हमें यह भी बता सकते हैं कि किसी विशेष उद्योग से हमें लाभ भी होगा अथवा नहीं।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

मुझे याद है एक बार एक मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के बारे में यह कहा था कि योजना में जिस खर्चे का अनुमान होता है और जो वास्तव में खर्चा होता है, उसमें बहुत अन्तर होता है, अतः हमें ठीक ढंग से लागत लेखा करना चाहिये। वित्त मंत्री ने भी इस बात की ओर इशारा किया था। परन्तु इस नए संशोधन द्वारा हम सरकार को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह लागत लेखापालों का कार्य शासप्राप्त लेखापालों को करने दे। यह सच है कि लागत लेखापालों की कमी है। परन्तु यदि हम उनके लिये तरक्की करने के रास्ते खोलेंगे तो उनकी संख्या में भी वृद्धि हो जायेगी। परन्तु समस्या यह है कि बीच की अवधि में क्या किया जाये।

मेरा सुझाव यह है कि इस सम्बन्ध में हमें एक अवधि निश्चित कर देनी चाहिये जिसम शासप्राप्त लेखापालों को लागत लेखापालों का कार्य करने दिया जायेगा। यह अवधि इतनी होनी चाहिये कि हमारे पास पर्याप्त लागत लेखापाल हो जायें। यह बहुत आवश्यक है कि जो भी विधान हम बनायें वह अन्तरिम अवधि के लिये होना चाहिये। हमें समवाय विधि बोर्ड के सभापति को यह सुझाव देना चाहिये कि वह लागत और कार्य लेखापाल अधिनियम, 1959 में संशोधन करके पूर्णकाल वेतन प्राप्त लागत लेखापालों को लागत लेखा परीक्षक के रूप में आंशिक काल के लिये प्रैक्टिस करने की आज्ञा दे दें। परन्तु स्थिति हमेशा के लिये नहीं होनी चाहिये।

लागत लेखा परीक्षा और वित्तीय लेखा परीक्षा के बीच में बहुत अधिक समय नहीं होना चाहिये। यह सच है कि छोटी कम्पनियां अपने लेखे उस प्रकार नहीं रखतीं, जिस प्रकार लागत लेखा परीक्षक चाहते हैं। परन्तु जब कानून के अनुसार उनके लिये ऐसे लेखे रखना अनिवार्य हो जायेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वह अपने लेखे ठीक ढंग से रखना आरम्भ कर देंगी। परन्तु मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि यह खंड अन्तरिम समय के लिये होना चाहिये और जो भी अधिसूचना जारी की जाये वह निश्चित काल के लिये होनी चाहिये। और हमें लागत लेखापालों की संख्या में वृद्धि करने के लिये सभी कुछ करना चाहिये।

**श्री नारायण दांडेकर** (गौडा) : मैं लागत लेखा सम्बन्धी इस खंड का विरोध करता हूं क्योंकि यह उपबन्ध करना समवायों के हित में नहीं होगा। मैंने इस सम्बन्ध में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में एक टिप्पणी भी दी है। लागत लेखा सम्बन्धी उपबन्ध से सम्बन्धित इस उपबन्ध को स्वीकार करना एक उल्टी बात करना होगा। लागत लेखा की व्यवस्था पर्याप्त उन्नत अवस्था में उद्योगों के विकास मे की जाती है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। विभिन्न लागत लेखा पालों के लेखापरीक्षा के अपने अपने तरीके होते हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। उससे उद्योगों के विकास में कठिनाई होगी। उपबन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है किन्तु यह नहीं बताया गया है कि प्रतिवेदन किसको दिया जायेगा। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन गोपनीय रह सकता। समवाय का कोई भी अंशधारी कानूनी रूप से प्रतिवेदन की प्रति मांग सकता है। इस तरह देश के उद्योग उन्नति नही कर सकेंगे। यदि यह खंड स्वीकार किया गया तो इससे वास्तव में उन समवायों को दंड दिया जायेगा जिनका प्रबन्ध अच्छा है और जो सुव्यवस्थित ढंग से काम कर रहे। यह एक प्रतिगामी खंड है अतः इसे पारित नहीं किया जाना चाहिये।

**श्री प्रभात कार** (हुगली) : यह खंड जो आरंभ में क्षति न पहुंचाने वाला समझा जाता था उसी में समवाय विधि प्रशासन तथा विधि मंत्रालय ने संशोधन किया है। खंड का मूल रूप अपने वर्तमान संशोधित रूप से अधिक अच्छा था। हमारे देश के विकासोन्मुख उद्योगों में लागत निकालने का बहुत महत्व है। यह प्रसंशनीय बात होती यदि कानूनी तौर प्रत्येक उद्योग लागत लेखापाल नियुक्त करने तथा प्रतिवेदन देने का उपबन्ध स्वीकार किया जाये। किन्तु वर्तमान खंड में यह उपबन्ध नहीं किया गया है, जब तक केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि किसी विशेष उद्योग की लागत की जांच अनिवार्य है

तब तक लागत लेखा परीक्षा के प्रश्न पर विचार नहीं किया जायेगा। मैं समझता हूं कि इसमें उद्योगों को हानि पहूंचाने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। अतः कुछ माननीय सदस्यों द्वारा इसका विरोध करना न्याय संगत नही है।

मैं इस सम्बन्ध में केवल यह कहना चाहता हूं कि लागत लेखा परीक्षा लागत लेखापालों द्वारा की जानी चाहिए। श्री दांडकर का कहना है कि लागत लेखापालों के लेखा परीक्षा के तरीके अलग अलग हो और एक दूसरे से मेल नहीं खाते। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी रोग के बारे में विभिन्न डाक्टरों की राय अलग अलग होती है किन्तु फिर भी रोगी के लिय डाक्टरों से इलाज करवाना अनिवार्य होता है। अतः श्री दांडेकर के कथन में कोई महत्व नहीं हैं।

वित्त मंत्री महोदय को श्री व० ब० गांधी का संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि यह विधेयक प्रस्तुत करते समय विधेयक में था। समवाय विधि प्रशासन ने सभा में प्रस्तुत करने से पहले इस पर अवश्य विचार किया होगा। अतः अब उसमें संशोधन करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि श्री गांधी का संशोधन स्वीकार नही किया गया तो श्री सर्राफ ने संशोधन संख्या 47 और 49 को मिलाकर किया जाना चाहिए।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य श्री दांडेकर इस खंड को विधेयक से निकलना चाहते हैं। इस खंड पर संयुक्त समिति द्वारा विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। यह ठीक है कि इस समय सरकार प्रत्येक समवाय को लागत लेखापाल नियुक्त करने के लिये नही कह सकती क्योंकि इस समय इस व्यवसाय में आर्हता प्राप्त व्यक्तियों की कमी है। हम चाहते हैं कि यह व्यवसाय उन्नति करें और यह तभी संभव हो सकता है जब लोगों के इस व्यवसाय में रोजगार के अवसर अधिक हों। चार्टर्ड लेखापाल प्रशिक्षण प्राप्त करके लागत लेखापाल का कार्य कर सकते हैं। श्री सर्राफ के संशोधन में कुछ कमियां हैं। उन के द्वारा रखा गया साधारणतः शब्द के बिना भी स्थिति स्पष्ट रहती है। अतः इस समय माननीय सदस्य के संशोधन करने का कोई औचित्य नहीं है। सभी समवायों से हमारा तात्पर्य सरकारी समवायों से भी है।

लागत लेखापाल उपयोगी व्यक्ति हैं। प्रशल्क आयोग में भी लागत लेखापाल है जो मूल्यों पर प्रशल्क निर्धारित करते हैं। वित्त मंत्रालय में भी विभिन्न मामलों की जांच करने के लिये लागत लेखापालों की व्यवस्था है। हमें लागत लेखापाल व्यवसाय को प्रोत्साहन देना चाहिए। अतः मैं केवल संशोधन संख्या 84 स्वीकार करता हूं।

**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर जोर दें रहे हैं?

**श्री व० ब० गांधी** : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

**श्री श्यामलाल सर्राफ** : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत किये जाने पर जोर नही देना चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्यों को अपने संशोधन वापिस लेने की सभा की अनुमति है?

**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां।

**संशोधन संख्या 41 से 43, 47 और 49, सभा की अनुमति से, वापिस लिये गये**/*Amendments Nos.* 41 *to* 43, 47 *and* 49 *were, by leave, withdrawn.*

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 11, पंक्ति 10 से 14 की स्थान पर निम्न लिखित रखा जाये :

"233B. (1) Where in the opinion of the Central Government it is necessary so to do in relation to any company required under clause (d) of sub-section (1)

[सभापति महोदय]

of section 209 to include in its books of account the particulars referred to therein, the Central Government may, by order, direct that an audit of cost of accounts of the company shall be conducted........"

"233ख. (1) जहां केन्द्रीय सरकार की राय में धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन अपेक्षित किसी समवाय के सम्बन्ध में, उसमें निर्दिष्ट विवरण, उसके खातों में सम्मिलित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उस समवाय के लागत लेखों की लेखा परीक्षा की जायगी........"(84)

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 23, संशोधित रूप से में, विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**खंड 23, संशोधत रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया**/*Clause* 23, *as amended, was added to the Bill.*

**खंड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया**/*Clause* 24 *was added to the Bill.*

**खंड 25 (धारा 240 का संशोधन)**

**श्री नारायण दांडेकर** : मैं अपने संशोधन संख्या 14 से 17 और 19 प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 12, पंक्ति 13—

"or any person authorised by him in this behalf" (अथवा इस सम्बन्ध में उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति") निकाल दी जायें। (13)

पृष्ठ 13, पंक्तियां 10 और 11—

"or any person authorised by him in this behalf" ("अथवा इस सम्बन्ध में उस के द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति") निकाल दिये जाये।

मैं अपने संशोधनों के सम्बन्ध में केवल दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि समवायों की जांच केवल निरीक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। निरीक्षक द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को जांच करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा करना समवायों के सम्मान को ठेस पहुंचना होगा। अतः मेरा अनुरोध है कि इस खंड में से "अथवा इस सम्बन्ध में उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति" शब्द निकाल दिये जाने चाहिये।

दूसरी बात मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि निरीक्षकों को केवल उन समवायों के खाते मांगने का अधिकार दिया जाना चाहिए जिनकी जांच हो रही हो। यदि निरीक्षकों को यह अधिकार दिया जाये कि वे किसी भी समवाय के खाते मांगने का अधिकार दिया गया तो समवायों के लिये कार्य चलाना कठिन हो जायेगा। यदि किसी समवाय के बारे में कोई शिकायत की गई हो तो निरीक्षक चाहें तो उनके खाते वहीं जा कर देख सकते हैं। अतः मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेरे उक्त संशोधन स्वीकार कर लें।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं। मैं समझता हूं कि "अथवा इस सम्बन्ध में उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति" से पहले यह "केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से"

जोड़ा जाना चाहिये। यदि कोई माननीय सदस्य इसका प्रस्ताव करे और सभा उसे मान ले तो मैं अध्यक्ष की अनुमति से उसे मानने के लिये तैयार हूं।

**श्री नारायण दांडेकर** : मैं अपने संशोधन संख्या 13 के संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। यह इस प्रकार होना चाहिये "अथवा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति"।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य के संशधन संख्या 13 और 18 एक समान है। यदि सभा स्वीकार करे तो इन संशोधनों का रूप यह होना चाहिये :

"अथवा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से उसके द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति"

यदि सभापति अनुमति दे और सभा मान ले तो मैं संशोधन स्वीकार कर लूंगा।

**सभापति महोदय** : वित्त मंत्री महोदय संशोधन संख्या 13 और 18 के संशोधन मानने के लिये तैयार है। क्या श्री दांडेकर अपने संशोधन संख्या 14, 15, 16 और 19 के बारे में कुछ कहना चाहते है ?

**श्री नारायण दांडेकर** : संशोधन संख्या 13 और 18 के बारे में वित्त मंत्री महोदय के सुझाव से सहमत हूं। संशोधन संख्या 14, 15, 16 और 19 अपने वर्तमान रूप में रहेंगे।

**सभापति महोदय** : अब मैं इन संशोधन संख्या 13 और 18 के संशोधन को सभा के समक्ष स्वीकृति के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि श्री नारायण दांडेकर द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 13 और 18 में,—

"or any person authorised by him in this behalf" ("अथवा इस बारेमें में उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति") शब्दों के पश्चात् "with the previous approval of the Central Government" ("केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से") शब्द जोड़ दिये जायें"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**सभापति महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या 13 और 18 को संशोधित रूप में मतदान के लिये सभा के सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

(1) पृष्ठ 12, पंक्ति 13—

"or any person authorised by him in this behalf" ("अथवा इस सम्बन्ध में उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति") के बाद "with the previous approval of the Central Government" ("केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से") जोड़ दिया जाये"। (संशोधित रूप में संशोधन संख्या 13)—

(2) पृ० 13, पंक्ति 10 और 11—

"or any person authorised by him in this behalf" ("अथवा इस सम्बन्ध में उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति") के बाद "with Previous approval of the Central Government" ("केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से") जोड़ दिया जाये (संशोधित रूप में संशोधन संख्या 18)।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन संख्या 14, 15, 16, 17 और 19 के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं ?

**श्री नारायण दांडेकर** : मैं संशोधन संख्या 17 वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं और शेष पर मतदान होना चाहिए।

**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन संख्या 17 वापिस लेने की सभा की अनुमति है ?

**कई माननीय सदस्य** : जी, हां।

**संशोधन संख्या 17, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया**/*Amendment No. 17 was, by leave, withdrawn.*

**सभा पति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14, 15, 16 और 19 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए**/*Amendment, Nos.* 14, 15, 16 *and* 19 *were put and negatived.*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया** *Clause* 25, *as amended was added to the Bill.*

**खंड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया**/*Clause* 26 *was added to the Bill.*

**खंड 27 (धारा 241 का संशोधन)**

**श्री नारायण दांडेकर** : मुझे इस खंड के सम्बन्ध में आपत्ति है अत: मैं इसका विरोध करता हूं। खंड में कहा गया है अन्तरिय रिपोर्टों के अलावा ही किसी रिपोर्ट की प्रति जांचाधीन समवाय को दी जायेगी। यह अनुचित है। जांच किये जा रहे समवाय को मालूम रहना चाहिये कि उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है। उसे केवल अन्तिम रिपोर्ट उपलब्ध करना उचित नहीं है। मंत्री महोदय को यह अनुरोध मान लेना चाहिये कि समवायों को अन्तरिय रिपोर्ट भी उपलब्ध की जाये।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि समवाय को वही रिपोर्ट उपलब्ध की जानी चाहिए जो उसके लिये महत्वपूर्ण हो, जब किसी समवाय के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी तो उसे रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध की जायेगी। अत: माननीय सदस्य की आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 27 विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**खंड २७ विधेयक में जोड दिया गया**/*Clause* 27 *was added to the Bill.*

**खंड 28 और 29 विधेयक में जोड़ दिये गये**/*Clauses* 28 *and* 29 *were added to the Bill.*

**नया खंड 29-क**

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह एक ऐसा संशोधन है जिस पर खंड 35 और 37 के संशोधनों को निपटाये जाने के बाद विचार किया जा सकता है।

**सभापति महोदय** : हम नये खंड 29-क पर बाद में विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 30 से 35 विधेयक के अंग बनें"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**खंड 30 से 34 विधेयक में जोड़ दिये गये**/*Clauses* 30 *to* 34 *were added to the Bill.*

**खण्ड 35**

**श्री हिम्मत सिंहका** (कच्छ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 15 और 16 में खंड 35 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखा जाये** :

"35. *Omission of section* 280—Section 280 of the principal Act shall be omitted." ["35. **धारा 280 को हटाना**—मूल अधिनियम की धारा 280 को हटा दिया जाये।"] (56) खण्ड 35 में प्रस्ताव रखा गया है कि आयु सीमा को बढ़ाकर 75 वर्ष कर दिया जाये लेकिन खण्ड 36 के द्वारा इस लाभ को समाप्त किया जा रहा है। यदि हम दोनों धाराओं को स्वीकार कर लें तो इसका परिणाम यह होगा कि 75 वर्ष की आयु हो जाने पर किसी भी व्यक्ति को पब्लिक कम्पनी अथवा किसी पब्लिक कम्पनी की सहायक प्राइवेट कम्पनी का डायरेक्टर नियुक्त किया जा सकेगा। संसार में कहीं भी ऐसा उपबन्ध नहीं है। 75 वर्ष की आयु के व्यक्ति को मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति आदि जैसे उत्तरदायी पदों पर नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है। अतएव मैं समझता हूं कि यह उपबन्ध सर्वथा अनावश्यक है और धारा 280 को हटा देना चाहिए।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने इस बात को सभा पर छोड़ दिया है।

**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणासी) : पुरानी धारा रहनी चाहिए।

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैंने देखा है कि पुरानी धारा हमारे साथ एक धोखा है कि हम 65 वर्ष की सीमा रखें लेकिन शेयरहोल्डरों के विशेष प्रस्ताव द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। अनेक कम्पनियों के मामलों में इसका कोई प्रभाव नहीं है। उनमें 78 अथवा 80 वर्ष के व्यक्ति है, कुछ ऐसे भी है जो खड़े तक नहीं हो सकते। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। सभा को चाहिए कि या तो 75 वर्ष की सीमा रखे या कोई भी सीमा न रखे। मैं इसे सभा पर छोड़ता हूं। केवल बात इतनी है कि यदि सभा इसे स्वीकार करती है तो आनुषंगिक सीमा स्वीकार करनी होगी।

**श्री रघुनाथ सिंह** : हमारी राय यह है कि कोई भी आयु सीमा नहीं होनी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 15 और 16 में खण्ड 35 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखा जाये** :

"35. *Omission of section* 280—Section 280 of the principal Act shall be omitted." ["35. **धारा 280 को हटाना**—मूल अधिनियम की धारा 280 को हटा दिया जाये।"] (56)

**संशोधन स्वीकृत हुआ**/*The amendment was adopted.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक में, जोड़ दिया जाय।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The amendment was adopted.*

**खण्ड 35, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया**/*Clause* 35, *as amended, was added to the Bill.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 36 विधेयक का अंग बने"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**खण्ड 36 विधेयक में जोड़ दिया गया**/*Clause* 36 *was added to the Bill.*

**खण्ड 37**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्ड 37 को लेंगे।

**संशोधन किया गया**/*Amendment made.*

पृष्ठ 16 में खण्ड 37 के **स्थान पर** निम्नलिखित **रखा जाये**—

"37. *Omission of section* 282—Section 282 of the principal Act shall be omitted." ["37. **धारा 282 को हटाना**—मूल अधिनियम की धारा 282 को हटाया जाये।"] (57)

[**श्री हिम्मतसिंहका**]

**नया खण्ड 29क—जारी**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं नया खण्ड 29-क को मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन किया गया**/*Amendment made*

पृष्ठ 14 में पंक्ति 30 के बाद निम्नलिखित रखा दिया जाये :

"29A. *Amendment of Section* 256—In Section 256 of the principal Act,—

(i) in sub-section (4) in sub-clause (v) of clause (b), the words, brackets and figures "or sub-section (3) of section 280" shall be omitted;

(ii) sub-section (5) shall be omitted".

[29क. **धारा 256 का संशोधन**—मूल अधिनियम की धारा 256 में,—

"(एक) उपधारा (4) में खंड (ख) के उप-खंड (पांच) में "अथवा धारा 280 का उप-खण्ड (3)" शब्द, ब्रेकेट, अंक हटा दिये जाये ;

(दो) उपखण्ड (5) हटा दिया जाये।"] (85)

[**श्री कृ० चं० पन्त**]

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 29क विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**नया खण्ड 29क विधेयक में जोड़ दिया गया**/*New clause 29A was added to the Bill.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 37 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**खण्ड 37, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया**/*Clause 37, as amended, was added to the Bill.*

**खण्ड 38 से 40 तक विधेयक में जोड़ दिये गये**/*Clauses 38 to 40 were added to the Bill.*

**खण्ड 41**

**श्री नारायण दांडेकर (गोंडा)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 18 में, पंक्ति 7 में, "monthly payment" ("मासिक भुगतान") **के स्थान पर** "monthly, quarterly or annual payment" ("मासिक, त्रैमासिक अथवा वार्षिक भुगतान") रखा जाये। (23)

अधिकांश व्यक्ति पूरे समय के लिये डायरेक्टर नहीं होते हैं, और उनको पारिश्रमिक का भुगतान त्रैमासिक अथवा वार्षिक होता है। इसे मासिक बनाना आवश्यक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 18 में पंक्ति 7 में "Monthly payment" ("मासिक भुगतान") **के स्थान पर** "monthly, quarterly or annual payment" ("मासिक, त्रैमासिक अथवा वार्षिक भुगतान") रखा जाये। (23)

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 41 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**खण्ड 41 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया**/*Clause 41, as amended, was added to the Bill.*

**खण्ड 42 (धारा 310 का संशोधन)**

**श्री नारायण दांडेकर (गोंडा)** : मैं अपना संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूँ।

आजकल पारिश्रमिक में वृद्धि करने के लिये सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। इस खण्ड में यह उपबन्ध किया गया है कि कुछ मामलों में यह आवश्यक नहीं होगी। मैं केवल इस खण्ड का क्षेत्र

[श्री नारायण वांडेकर]

का विस्तार करना चाहता हूँ। मेरा सुझाव केवल इतना है कि ऐसे व्यक्तियों के पारिश्रमिक में, जो पूरे समय के लिये डायरेक्टर नहीं है, वृद्धि करने के लिये सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होना चाहिए जैसा कि कम्पनी की प्रत्येक बैठक के लिए फीस में वृद्धि के बारे में है, यदि वृद्धि को मिलाकर कुल राशि धारा 309 की उप-धारा (4) में दी गई सीमा से अधिक न हो।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे डर है कि इससे उपबन्ध का क्षेत्र बढ़ जायेगा। इस समय मैं नहीं कह सकता कि इसके क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ।

**श्री नारायण दांडेकर** : कोई कम्पनी एक विशेष प्रस्ताव द्वारा डायरेक्टरों के पारिश्रमिक में, यदि वे एक निश्चित प्रतिशत से अधिक न हो, बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति लिए वृद्धि कर सकती है। मैं तो केवल इतनी व्यवस्था कराना चाहता हूं कि वास्तव में उन्होंने तीन वर्ष पहले उन्होंने कुछ कम पारिश्रमिक मंजूर किया हो तो वे बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त किये उसे उस स्तर पर ला सकें जो होनी चाहिए।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : सामान्य सिद्धान्त अच्छा मालूम देता है लेकिन इसका क्या प्रभाव होगा इस पर मुझे सावधानी से विचार करना होगा। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करुंगा कि वे इस संशोधन पर जोर न दें।

**संशोधन संख्या 24, सभा कि अनुमति से, वापस लिया गया**/*Amendment No. 24 was by leave, withdrawn.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 42 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**खण्ड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया**/*Clause 42 was added to the Bill.*

**खण्ड 43 विधेयक में जोड़ दिया गया** / *Clause 43 was added to the Bill.*

**नया खण्ड 43-क**

**संशोधन किया गया**/*Amendment made.*

पृष्ठ 19 में पंक्ति 29 **के बाद** निम्नलिखित **रख दिया जाये** —

"43A. *Amendment of Section* 318—In Section 318 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (c), the word and figures "section 280" shall be omitted".

["43क. धारा 318 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 318 की उप-धारा (3) में खण्ड (ग) में से "धारा 280" शब्द और अंक हटा दिये जाये।"] (87)

**[श्री कृ० चं० पंत]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 43 क विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**नया खण्ड 43 क विधेयक में जोड़ दिया गया**/*New clause 43A was added to the Bill.*

**खंड 44 (धारा 370 का संशोधन)**

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्री पन्त के संशोधन संख्या 88 को मैं स्वीकार करता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या 89 विषय-क्षेत्र से बाहर है इसलिए नियम-बाह्य है।

**संशोधन किया गया**/*Amendment made.*

पृष्ठ 21, पंक्ति 14 "Company Law Board" ("समवाय विधि बोर्ड") **के स्थान पर** "Central Government" ("केन्द्रीय सरकार") रखा जाये। (88)

[श्री कृ० चं० पन्त]

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 44, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**खण्ड 44 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।**/*Clause 44, as amended, was added to the Bill.*

**खण्ड 45 से 49 तक विधेयक में जोड़ दिये गये**/*Clause 45 to 49 were added to the Bill.*

**खण्ड 50**

**Clause 50**

**श्री नारायण दांडेकर** : मैं अपने संशोधन संख्या 25 और 26 प्रस्तुत करता हूँ। इस खण्ड का सम्बन्ध उन परिस्थितियों से है जिनमें किसी अन्य कम्पनी में मिलाई जाने वाली कम्पनी के खाते केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना निपटाये नहीं जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि इस प्रकार विलय होने वाली कम्पनी के खातों को केवल इतने समय तक सुरक्षित रखना आवश्यक होना चाहिए जितना कि विलय न होने पर कानूनन रखना पड़ता। इस खण्ड का दूसरा प्रयोजन सरकार को विलय होने वाली कम्पनी के खातों का निरीक्षण करने का अधिकार देना है। मैं चाहता हूँ कि इस काम के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति छः महीनों के अन्दर अपना प्रतिवेदन दे तथा इस सम्बन्ध सारा व्यय सरकार को उठाना चाहिए।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे सलाह दी गई है कि मैं इन्हें स्वीकार न करूं।

**संशोधन संख्या 25 और 26, सभा की अनुमति से, वापस लिए गये**/*Amendment No. 25 and 26 were, by leave, withdrawn.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 50 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**/*The motion was adopted.*

**खण्ड 50 विधेयक में जोड़ दिया गया**/*Clause 50 was added to the Bill.*

**खंड 51 (भाग 6 के अध्याय 7 का संशोधन)**

**श्री नारायण दांडेकर** (गोंडा) : इस खण्ड का उद्देश्य समवाय विधि सलाहकार आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर एक सलाहकार समिति की स्थापना करना है। समवाय अधिनियम के प्रवर्तन में यह आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है। न तो उद्देश्य सम्बन्धी खण्ड में और न ही संयुक्त समिति के सामने इस आयोग को समाप्त करने के कारण नहीं बताये गये। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : संयुक्त समिति में इस पर चर्चा हुई थी और यह कहा गया था कि परिवर्तन सुधार के लिए होगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 51 से 55 तक विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ** / *The motion was adopted.*

**खण्ड 51 से 55 तक विधेयक में जोड़ दिये गये** / *Clauecs 51 to 55 added to the Bill.*

**खण्ड 56**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्ड 56 पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

**श्री नारायण दांडेकर** : मैं अपने संशोधन संख्या 27 और 28 प्रस्तुत करता हूँ।

अधिकारियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को उन्मुक्ति देने पर मुझे आपत्ति है। चोरबाज़ारी करने वाले तथा मुखबिरों का नाम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को नहीं बताने तक की उन्मुक्ति देने का कोई भी उचित कारण मेरी समझ में नहीं आता। मैं अपने संशोधन संख्या 27 और 28 पर ज़ोर देता हूँ।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 27 और 28 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए** / *Amendments Nos. 27 and 28 were put and negatived.*

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 56 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ** / *The motion was adopted.*

**खण्ड 56 विधेयक में जोड़ दिया गया** / *Clause 56 was added to the Bill.*

**खण्ड 57 से 60 तक विधेयक में जोड़ दिये गये** / *Clause 57 to 60 were added to the Bill.*

**अनुसूची, खण्ड 1 और विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये** / *The Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को संशोधित रुप में पारित किया जाय।"

**श्री ओंकार लाल बेखा (कोटा)** : श्रीमान्, सभा में कोरम नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : घंटी बजाई जा रही है। अब कोरम हो गया है।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रुप में पारित किया जाये।"

**प्रस्ताव सवीकृत हुआ** / *The motion was adopted.*

**इसके पश्चात् लोक सभा 27 अगस्त, 1965/5 भाद्र 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

*The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, August 27, 1965/ Bhadra 5, 1887 (Saka).*



भा०स०मु०ना–विभाग 5–21 लोकसभा/65–22-3-66–६00,